हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

15 सितम्बर, 1994

खण्ड 2, अंक 4

अधिकृत विवरण

विशय सूची

वीरवार, 15 सितम्बर, 1994

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(4)1
नियम45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(4)21
वक्तव्य–	(4)32

जन–स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संख्या 6 सम्बन्धी	
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव– (i) राज्य में तथा वि ोशकर जिला फरीदाबाद में आई–फ्लू फैलने सम्बन्धी	(4)36
वक्तव्य– स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्तावों सम्बन्धी	(4)37
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव– (ii) लिबर्टी सीड कारपोरे ान द्वारा किसानों को नकली तथा घटिया धान का बीज बेचने सम्बन्धी	(4)42
वक्तव्य– कृशि मन्त्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी	(4)43
ध्यानाकर्शण सूचनाए–	(4)50
श्री चमन लाल गुप्ता, भूतपूर्व एम0एल0ए0 से सम्बन्धित मामले को उठाना	(4)55
ध्यानाकर्शण सूचनाए (पुनरारम्भ)–	(4)55

प्रैस सम्वाददाताओं की चैकिंग/तला ाी पर चर्चा	(4)56
वाक–आउट	(4)58
प्रैस सम्वाददाताओं की चैकिंग/तला ाी पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(4)58
कथित वि ोशाधिकार भंग का प्र ान– चौधरी ओम प्रका ा चौटाला, एम0एल0ए0 द्वारा गलत तथा असत्य ब्यान देने सम्बन्धी	(4)59
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(4)76
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(4)77
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव/नेमिंग आफ मेम्बर्ज/बैठक का स्थगन	(4)77

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 28 फरवरी, 1994

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ई वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः साहेबान, अब सवाल होंगे।

तारांकित प्र न एवं उत्त

यह प्र न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय प्रो0 राम बिलास भार्मा सदन में उपस्थित नहीं थे।

Power Houses

***916 @Shri Mohan Lal Pippal:** Will the Minister for Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the capacity of the Power Houses of Rarukhnagar and Pataudi Sub-Divisions; if so, the time by which the capacity of the said power houses is likely to be increased?

Power Minister (Shri A.C. Chaudhry): Yes sir, It is planned to increase the capacity of existing 66KV sub-stations, Farukhnagar and Pataudi during the current year.

श्री कृश्ण लालः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि फरूखनगर और पटौदी में 66 के0वी0 के सब–स्टे ान हैं, उनमें 16–16 के0वी0 के ट्रांसफार्मरज लगे हुए हैं। इनकी वृद्धि करने की जो योजना बनाई गई है, उसके अन्तर्गत फरूखनगर और पटौदी में 66 के0वी0 का ट्रांसफार्मर कब तक लगा दिया जाएगा।

श्री ए0सी0 चौधरीः स्पीकर सर, मैंने बहुत स्पश्ट कहा है कि इसी करन्ट ईयर में पूरा करने की कोि ा ा कर रहे हैं। पटौदी का तो भाायद अगले महीने हो जाए और फरूखनगर में दिसम्बर से पहले कर दिया जाएगा ताकि रबी की क्रौप में कोई दिक्कत न हो और किसानों को पूरी राहत मिल सके।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, ...

श्री अध्यक्षः इस विशय में आपको जो भी बात कहनी है, वह जीरो आवर में कहें। क्वै चन आवर में इस तरह की बात नहीं उठाई जा सकती।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, ...

Mr. Speaker: It is not the time. Please sit down (Noise & Interruptions). संपत सिंह जी, मैं खड़ा हूं, आप बैठ जाइये। जो कुछ भी बात कहनी है जीरो आवर में कहिए। Please do not interrupt the question hour.

चौधरी ओम प्रका ा चौटाला: अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: जो कुछ भी मेरी परमी ान के बैगर बोला गया है उसको रिकार्ड न किया जाए। आप सभी बैठ जाईए।

Tubewell Connections

***918. Shri Dhirpal Singh:** Will the Minister for Power be pleased to state the village-wise number of Tubewell connections released to the farmers in Badli Sub-Division during the period from March, 1994 to 31st July, 1994?

Power Minister (Shri A.C. Chaudhry): One tubewell connection in each of the villages namely, Daboda Khurd, Sondhi and Pelpa was released from 1-3-94 to 31-7-94 under operation Sub-Division, Badli.

श्री धीरपाल सिंह: स्पीकर साहब, मेरी आपसे विनती है कि जो क्वै चन मैंने भेजा था, उसमें यह पूछा था कि मार्च, 1994 से लेकर 31 जुलाई, 1994 तक बादली सब–डिविजन में गांव–वाईज कितने किसानों ने अपने कनैक ान कटवाए लेकिन मन्त्री महोदय ने यह बताया है कि कितने कनैक ान इस पीरियड में दिए। अगर मन्त्री महोदय के पास यह जानकारी इस वक्त नहीं है, तो घंटे या दो घंटे में, ये अपने एस0ई0 से पूछ लें और इसका जवाब मुझे दे दे या अपना रिकार्ड चैक करवाएं कि दोनों में गल्ती कहां हुई है?

श्री ए0सी0 चौधरीः स्पीकर साहब, इन्होंने जो क्वै चन पूछा है, वह मैं पढ़ देता हूं–

"Will the Minister for Powr be pleased to state the village-wise number of Tubewell connections released to the farmers in Badli Sub-Division during the period from March, 1994 to 31st July, 1994?"

स्पीकर साहब, रिलीज का मतलब तो अंगेजी में यह है कि कितने कनेक्शन दिए।

श्री धीरपाल सिंहः आपके पास क्या लिखकर आया है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। सवाल यह है कि मैंने जो लिखकर दिया है, उसका जवाब मुझे मिलना चाहिए। आपके पास क्या है, इसकी मैं गारन्टी नहीं देता। स्पीकर साहब के ऑफिस में जो मैंने लिखकर दिया है, उसको देख लिया जाए।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, जो इन्होंने लिखकर दिया है, उसमें इन्होंने यह पूछा है–क्या बिजली मन्त्री कृपया बताएंगे कि मार्च, 1994 से 31 जुलाई, 1994 की अवधि के दौरान बादली उप–मण्डल में किसानों को गांव–वार कितने नलकूप कुनैक्शन दिए गए।

श्री धीरपाल सिंहः यह प्रिंटिंग आपकी ओर से है।

चौधरी भजन लालः यह क्वै चन विधान सभा से आया है।

श्री धीरपाल सिंहः जो मैंने लिखकर दिया हैए स्पीकर साहब, आप उसको मंगवा लें।

श्री अध्यक्षः उसका पता करा लेंगे।

Auction of the Land of Municipal Committee, Palwal

***955. Shri Karan Singh Dalal:** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to auction some land belonging to Municipal Committee, Palwal during the year 1994?

श्री अध्यक्षः इस क्वै चन पर ऐक्सटैन् ान मांगी गई है और यह ग्रांट कर दी गई है।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, यह बहुत जरूरी सवाल है। पलवल की जमीन में काफी धांधली हुई है।

श्री अध्यक्षः मिनिस्टर ऐक्सटेन् ान मांग सकते हैं और यह मन्जूर कर दी गई है। इस बारे में मंत्री महोदय से प्राप्त पत्र इस प्रकार से हैः—

Interim Reply

D.O. No. PS/MIG/94

"Dharambir Gauba Minister of State,

Local Govt. Department, Haryana,

Chandigarh.

Dated: 13-9-94

Respected Ch. Ishwar Singh Ji,

Starred Question No. 955 regarding 'Auction of the land of Municipal Committee, Palwal' is reported to be fixed for 15-9-1994. The detailed information in this regard is required to be collected from the field and detailed examination is required to be done as to the nature of the land viz. whether it is green-belt area or open space etc. This information is required in respect of 127 residential and commercial sites proposed to be sold through open auction. It is, therefore, requested that four weeks time may kindly be given for furnishing reply to this question.

With kind regards.

Yours sincerely,

-Sd-

(Dharambir Gauba)

Ch. Ishwar Singh,

Hon'ble Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh."

Mis-appropriation of Subsidy

***986. Chaudhri Om Parkash Beri:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether any enquiry in regard to misappropriation of subsidy on Sprinkler Sets was instituted by the Government against the officers/officials of Soil Conservation wing of the Agriculture Department during the year 1988; if so, the results thereof?

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh): Yes. FIRs were registered against 45 officials of the Agriculture Department, representatives of firms and bank officials. These have since been withdrawn, since no criminal case was made out.

चौधरी ओम प्रका ा बेरी: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि 45 कर्मचारियों के विरूद्ध कोई केस नहीं बनता था इसलिए इन औफि ियल्ज के अगेन्सट केस वापिस ले लिया था। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके नोटिस में यह बात है कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर चौधरी भजन लाल के डिप्टी प्रिंसीपल सैक्रेटरी का भतीजा इसमें इंवाल्वड था और जिस वक्त केस विदड्रा किया, उस वक्त केस डिफैन्स विटनैसिज और डिस्क ान की मैच्योर स्टेज पर था? अगर यह केस विदड्रा नहीं होता तो लाजमी तौर पर इस केस में मुलजिमों को सजा होने की पूरी गुंजाई ा थी। लेकिन एक आदमी को बचाने के लिए यह केस विदड्रा कर लिया गया, क्या यह बात सही है? दूसरा मेरा सवाल इसी से सम्बन्धित है। स्पीकर साहब, जिन आफिसर्ज/आफि ियल्ज के खिलाफ यह क्रिमीनल केस दर्ज था

उनके खिलाफ विभागीय जांच भी इंस्टीच्यूट की गई थी, उस जांच का क्या बना? क्या किसी के खिलाफ कोई ऐक ान लिया गया?

श्री हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, केस रजिस्टर किये गये थे और उन आफिसर्ज को सस्पैन्ड भी किया गया था और बाद में डायरैक्टर ने इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट दी कि जिस–जिस बेसिज पर ये केस रजिस्टर हुए थे, उसमें दरअसल वह क्रिमीनल केस बनते नहीं थे और उसी रिपोर्ट के आधार पर, उस डायरैक्टर की रिकमैन्डे ान पर सरकार ने यह फैसला किया कि यह तो उन लोगों के साथ ज्यादती है। ये केस विदड्रा होने चाहिये।

चौधरी ओम प्रका ा बेरीः अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के डिप्टी प्रिंसीपल सैक्रेटरी थे, क्या उनका भतीजा भी इस केस में इंवाल्वड था या नहीं।

श्री हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, कौन था या कौन नहीं था, यह तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन इस तरह का फैसला मैरिट पर होता है। किसी एक आदमी के लिये कभी कोई केस विदड्रा नहीं होता।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इनको तो कभी भजन लाल के खिलाफ तो कभी उनके प्रिंसीपल सैक्रेटरी के खिलाफ फोबिया हो जाता है। इस के में 45 आदमी इंवाल्वड

थे, जिसमें इन्होंने प्रिंसीपल सैक्रेटरी के भतीजे का जिकर भी किया। मैं आन ओथ यह कह सकता हूं कि प्रिंसिपल सैक्रेटरी ने कभी किसी को यह नहीं कहा कि उस लड़के के खिलाफ केस विदड्रा कर लिया जाए। जब उस केस में 45 आदमी इंवाल्वड हैं, तो किसी एक के लिये केस कैसे विदड्रा किया जा सकता है? अगर एक ही आदमी होता, तो बात मानी जा सकती थी। ये जो कह रहे हैं, यह बिल्कुल बेबुनियाद और बेसलैस बाते हैं।

चौधरी ओम प्रका ा बेरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार ये यह जानना चाहता हूं कि जो डिपार्टमैन्टल इंक्वायरी इंस्टीच्यूट की गई थी, उस बारे में विभाग ने क्या कार्यवाही की है? अगर कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो उसके क्या कारण हैं? इन्होंने खुद माना है कि यह क्रिमीनल केस नहीं था, सिविल केस था। सबसिडी देने में काफी घपलेबाजी हुई है। क्या इस बारे में आफिसर्ज या आफि ियल्ज के खिलाफ विभाग ने कोई ऐक ान लिया है, यह बताएं?

श्री हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो डायरैक्टर की रिपोर्ट थी, उसमें लिखा है कि जो स्प्रिन्कलर सैट्स किये गये हैं, उसी के हिसाब से उसको देखते हुए उनके खिलाफ जो कार्यवाही है, उसको ऐग्जामिन किया जाएगा। विभागीय जांच करनी है या नहीं, इस को जल्दी ही डिसाईड कर लेंगे।

तारांकित प्र न संख्या 918

श्री अध्यक्षः साहेबान, थोड़ी देर पहले अभी धीरपाल सिंह जी ने अपने सवाल के सम्बन्ध में एतराज उठाया था। मैंने इनका ओरिजनल सवाल मंगवाया है। वह मेरे सामने है। उसमें लिखा है कि किसानों ने अपने ट्यूबवैलज के कनैक ान करवाये हैं। इसमें''कटवाये'' नहीं लिखा हुआ।

Shifting of Subzi Mandi, Jhajjar

***958. Shri Daryao Singh:** Will the Minister of Agriculture be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the Subzi-Mandi, Jhajjar; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to materialize and the location thereof?

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh):

(a) Yes.

(b) The Subzi Mandi will be shifted to the New Subzi Mandi which is adjacent to the New Grain Market Jhajjar on Jhajjar Gurgaon Road within this financial year 1994-95.

सरदार जसविन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पेहवा में सब्जी मंडी बनाने के लिए काफी देर से प्रावधान था लेकिन आज तक वहां कुछ नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि वह मंडी कब तक बना दी जाएगी?

श्री अध्यक्षः इस सवाल का मेन सवाल से कोई संबंध नहीं है। फिर भी अगर मन्त्री जी जवाब देना चाहें, तो दे सकते हैं।

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, ऐसा है कि पेहवा के अन्दर कोई साईट पीछे सिलैक्ट की गई थी लेकिन वह साईट इतनी लो–लाईग थी कि उसमें एक–एक फुट पानी खड़ा रहता था। उस साईट को डी0सी0 और सी0ए0 ने देखा और कहा कि यह ठीक नहीं है। अब नई साईट की तला ा है। अगर आनरेबल मैम्बर कोई साईट सजैस्ट कर सकते हैं, तो वे कर दें। उसके बाद ही कोई एक ान लिया जाएगा।

श्री दरियाओ सिंहः स्पीकर साहब, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा से ट्रैफिक उस साईड से गुजरता है और इस वजह से लोगों को वहां पर दो–दो घंटे इन्तजार करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वहां से मंडी को जल्द से जल्द ि ाफ्ट किया जाए।

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, इनकी जो परे ाानी है वह बिल्कुल दुरूस्त है कि वहां लोगों को दिक्कत आती है। यह कोर्ट केस था और इस पर मार्किटिग बोर्ड काम नहीं कर सकता था। अभी रिसैंटली कोर्ट से बोर्ड के हक में फैसला हो गया है। हम दो–तीन महीने में उस मंडी को वहां से ि ाफ्ट कर देंगे।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: स्पीकर साहब, अभी मन्त्री जी ने बताया कि उस सब्जी मंडी को जल्द ही ि ाफ्ट कर देंगे। बड़ी अच्छी बात है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि सब्जी मंडी के साथ–साथ जो अनाज मंडी का काम झज्जर में अधूरा पड़ा है, उसको कब तक पूरा कर देंगे? इसके साथ साथ बेरी और कोसली की जो अनाज मंडियां 5–7 साल से अधूरी पड़ी हैं उनको कब तक पूरा कर देंगे? अगर उनको पूरा कर दिया जाता है, तो वहां की दुकानों को औक ान करने से सरकार को पैसा भी आएगा।

श्री हरपाल सिंह: आप उसके लिए सैपरेट नोटिस दे दें कि वहां पर क्या–क्या रह गया और क्या–क्या होने वाला है, हम बता देंगे।

श्री अध्यक्ष: नोटिस देने की बजाए आप इनसे अलग से वैसे भी पूछ सकते हैं।

चौधरी बलवन्त सिंह मैना: स्पीकर साहब, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे मेरे से पूर्व साथियों ने सब्जी मंडी का सवाल किया इसी तरह से मैं जानना चाहता हूं कि साम्पला के अन्दर जी0टी0 रोड पर रोज सुबह मंडी लगती है। वहां पर हर रोज कोई न कोई घटना हो जाती है। क्या कृशि मन्त्री जी आ वासन देंगे कि उसको किसी दूसरी जगह पर ि ाफ्ट कर दिया जाएगा?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, जहां तक मेरे नोटिस में है, उसकी जमीन एक्वायर करने के बारे में एक ान भाुरू है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही वह जमीन एक्वायर करने का काम पूरा हो जाएगा। जब जमीन एक्वायर हो जाएगी उसके बाद मंडी का काम भाुरू कर देंगे।

श्री पौर चन्दः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के रतिया में एक ब्राहमणवास गांव है, उस गांव में परचेज सैंटर बनाने के लिए 6–7 महीने से इनके पास केस पड़ा है। वह पंजाब से लगता हुआ इलाका है। वहां पर परचेज सैंटर बनाने से एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड और मार्किट कमेटी को बहुत फायदा होगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह परचेज सैंटर कब तक बना दिया जाएगा?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, वह परचेज सैंटर बनाने का काम जरूर करेंगे।

श्री अजमत खांः स्पीकर साहब, नूंह की मंडी के लिए 1985 में प्लाटों की जमीन एक्वायर की गई थी और आज 1994 आ गया लेकिन आज तक वे प्लाट अलाट नहीं किए गए हैं। वहां पर जो मंडी का प्लेट–फार्म बनाया हुआ है, उसके पत्थर निकाल–निकाल कर लोग ले जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे प्लाट कब तक लोगों को अलाट कर दिए जाएंगे?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, नूंह के बारे में मैं पर्टिकुलरली इस समय कुछ नहीं कह सकता कि वहां पर क्या पोजी ान है। हमारे सामने एक जनरल प्रौब्लम है कि जहां जहां भी नई मंडीज बनी है, उनमें जितना जल्दी बिजनैस भुरू होना चाहिए, उतना जल्दी भुरू नहीं हो पा रहा है। उन मंडियों में जल्दी बिजनैस क्यों भुरू नहीं हो पा रहा है, इस बारे में एग्जामिन कर रहे हैं और उन मंडियों में प्लाट देने की जो पालिसी है, उसको भी देख रहे हैं। यदि उस पालिसी को रिव्यू करना पड़ा तो उसको रिव्यू करेंगे लेकिन फिर भी वाटर सप्लाई और दूसरे जो डिवैल्पमैंट के काम हैं उनमें भी समय लग जाता है। जब वहां पर पीने के पानी का और सीवरेज सिस्टम ठीक हो जाएगा तो वहां पर लोगों को ि ाफ्ट करेंगे।

श्री रमे ा कुमारः स्पीकर साहब, गोहाना में सब्जी मंडी है, उसकी जगह बहुत कम है जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कत होती है। उस मंडी के लिए जगह भी एक्वायर की थी लेकिन आज तक वह सब्जी मंडी वहां पर ि ाफ्ट नहीं की गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह सब्जी मंडी कब तक ि ाफ्ट कर दी जाएगी?

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, वहां साईट फाईनल नहीं हुई है। उसकी साईट एग्जामिन कर रहे हैं कि कौन सी साईट पर मंडी ि ाफ्ट हो सकती है।

Copying in Examination

***952. Shri Jai Pal Singh:** Will the Minister of State for Sports be pleased to state-

(a) whether any case of irregularities and copying in the examination of 10+2 system in the Moti Lal Sports School, Rai on 4-3-94 has come to the notice of the Government; and

(b) if so, the action taken thereon?

खेल राज्य मन्त्री (श्री राजे ा भार्मा):

(क) 4 मार्च, 1994 को मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय, राई परीक्षा केन्द्र में आल इंडिया सीनियर सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा (कक्षा–12वीं), 1994 में किसी अनियमितता एवं नकल करने का मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया।

(ख) प्र न ही नहीं उठता।

श्री जयपाल सिंह: स्पीकर साहब, स्पोर्टस स्कूल राई में 8 लड़के नकल करते हुए पकड़े गए। केन्द्रीय ि ाक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने उन लड़कों को नकल करते हुए पकड़ा। उस स्कूल का प्रधानाचार्य उन लड़कों को नकल करवा रहा था। उन 8 लड़कों के मेरे पास रोल नम्बर भी हैं, आप देख लें। मंत्री जी ने कहा है कि वहां पर कोई लड़का नकल करते हुए नहीं पकड़ा गया। मैं कहता हूं कि वहां पर 8 लड़के नकल करते हुए पकड़े गए हैं और उन लड़कों को एक साल के लिए आउट कर दिया गया है।

श्री राजे ा भार्मा: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने 4 मार्च के बारे में पूछा है, उस दिन वहां पर मैथेमैटिक्स का पेपर था। इसलिए उसमें नकल करने का मामला नहीं था। यह तो 17 मार्च का मामला है उस दिन फिजिक्स का पेपर था। उस पेपर में 8 लड़के नकल करते हुए पकड़े गए। नकल के मामले में सी0बी0एस0ई0 का बोर्ड भी बैठा था उसके सामने उन लड़कों को पे ा भी किया गया था। अध्यक्ष महोदय, नकल का मामला आने के बाद उन बच्चों को उन्हीं क्वै चन्ज को पूछने के लिए बोर्ड के सामने पे ा किया गया। बोर्ड ने उन बच्चों से वही सवाल पूछे तो उनमें से सिर्फ एक बच्चा ही ठीक जवाब दे पाया। उसको तो पास कर दिया गया और जो ठीक जवाब नहीं दे पाये, उनको फेल कर दिया।

श्री जय पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह राई स्कूल, हरियाणा की जमीन में खुला हुआ है और हरियाणा सरकार का ही स्टाफ यहां पर लगा हुआ है। हम अपने बजट में हर साल उसको करोड़ों रुपया भी देते हैं। फिर यह कैसे हो सकता है कि नकल को रोकने की जिम्मेवारी सिर्फ दिल्ली वालों की है। हरियाणा सरकार की नहीं है। बहन भाांति देवी राठी जी जब ि ाक्षा मंत्री थी, तो इन्होंने जाकर देखा भी होगा कि वहां पर बच्चों को खुद अध्यापक नकल करवाते हैं। 1973 से लेकर, जब से यह स्कूल खुला है आज तक एक भी बच्चा वहां से स्पोर्टसमैन का राश्ट्रीय/अन्तर्राश्ट्रीय अवार्ड लेकर नहीं आया। स्पोर्ट्स स्कूल होते

हुए भी हमारे बच्चे गेम में फर्स्ट नहीं आते । वहां पर क्या अनियमितताएं हो रही हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरे भाब्दों में मैं यह कहना चाहूंगा कि उस स्कूल को पढ़ाई का केन्द्र न बनाकर एक रैस्ट हाउस बना कर रख दिया गया है और आने–जाने वाले वहां पर ठहरते हैं और वहां के प्रधानाचार्य आने–जाने वालों की सेवा में लगे रहते हैं।

श्री अध्यक्षः आप भाशण न दें, अपना सवाल पूछें।

श्री राजे ा भार्माः अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे देता हूं। इन्होंने सारे ि ाक्षा जगत पर अरोप लगा दिया कि वहां पर ि ाक्षा नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि वह स्कूल है न कि रैस्ट हाउस। अध्यक्ष महोदय, वहां पर 732 बच्चे पढ़ रहे हैं और होस्टल में रहने वाले बच्चों की संख्या 678 है। इसका खर्चा 1 करोड़ 56 लाख का है। इसमें से साढ़े पचास लाख रुपया बच्चों की फीस वगैरह के रूप में आ जाता है। सरकार वहां पर एक बच्चे पर 18 हजार रुपये प्रति वर्श खर्च करती है। एक बात आपने कह दी कि वहां पर स्पोर्ट्स में कोई बच्चा अवार्ड लेकर नहीं आया। मेरे पास जिन जिन बच्चों ने अवार्ड लिया है, उनकी पूरी लिस्ट है, उसको पढ़ूंगा तो काफी समय लग जाएगा इसलिए अगर चाहें तो इसको मैं आपको, अलग से भेज सकता हूं। फिर भी इनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अभी हाल ही में सबसे कम उम्र की एक लड़की अर्जुन एवार्ड लेकर आयी है। इसी प्रकार से वहां पर बहुत से

बच्चों ने गोल्ड मैडल लिए हैं और बहुत से बच्चे आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 में और दूसरी सर्विसिज में आए हैं। आपका यह कहना कि उसको रैस्ट हाउस बना दिया गया है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, केवल उनके अभिभावक ही वहां पर ठहरते हैं, और कोई नहीं।

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने बताया कि एक साल में एक बच्चे पर सरकार 18 हजार रुपये खर्च कर रही है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है, जो खुद सारा पैसा वहन करके वहां पर ि ाक्षा प्राप्त कर रहे हैं?

10.00 बजे

ि ाक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना): अध्यक्ष महोदय, श्री जय पाल सिंह जी ने अच्छा खासा भाशण दे दिया और उस भाशण में यह कह दिया कि स्पोर्ट्स स्कूल, राई और दूसरी जगहों पर नकल करवाई जाती है। अध्यक्ष जी, ि ाक्षा एक कन्क्रेन्ट लिस्ट का विशय है। भाायद मेरे माननीय साथी इसका मतलब नहीं समझेंगे। स्टेट लिस्ट, सैंट्रल लिस्ट और कन्क्रेट लिस्ट अलग अलग बात है। कन्क्रेट लिस्ट के तहत स्टेट गवर्नमैंट भी काम कर सकती है और सैंट्रल गवर्नमैंट भी काम कर सकती है। स्पोर्ट्स स्कूल, राई भारत सरकार के सैंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुके ान से रिकोग्नाईज्ड है और वही लोग इसके विशय सिलेबस और

एग्जामिने ान कण्डक्ट करते हैं। जहां तक हरियाणा सरकार के ि ाक्षा जगत का ताल्लुक है, मैं दावे के साथ इस सदन में कह सकता हूं और आप लोगों को हर्श भी होगा कि आप सब लोगों के सहयोग से हम नकल रोकने में सफल हुए हैं। हरियाणा के अन्दर इस समय हरियाणा बोर्ड ऑफ ऐजुके ान के सप्लीमैंट्री एग्जामिने ान चल रहे है और नकल का एक भी केस अभी तक नोटिस में नहीं आया है। यह बहुत ही खु ाी की बात है। बच्चे बहुत अच्छे पेपर्ज कर रहे हैं। बहुत अच्छा लिख कर आ रहे हैं। नकल रोकने के लिए जो कदम उठाए गए थे, उसकी वजह से बच्चों ने खूब तैयारी की है और अध्यापकों ने भी बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ाया है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्पोर्टस स्कूल का ताल्लुक है मेरे साथी श्री राजे ा भार्मा जी ने भी माननीय जय पाल सिंह जी को ठीक जवाब दिया है। धीरपाल सिंह जी को मैं बताना चाहता हूं कि जो बच्चे वहां पर सिलैक्ट होते हैं, उनके लिए बाकायदा एक कमेटी बनी हुई है जो कि मैरिट के आधार पर उनका सिलैक ान करती है।

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी बात पर प्र न चिन्ह नहीं लगाया है। मैंने तो स्पोर्टस स्कूल की वर्किंग के बारे में मात्र जानकारी ही चाही है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री राजे ा भार्माः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनकी जानकारी के लिए इनको बताना चाहूंगा कि जो बच्चे स्पोर्टस स्कूल, राई में अध्ययन कर रहे हैं, उनमें से किसी से भी

पूरा खर्चा नहीं लिया जाता है। पारिवारिक आय के हिसाब से सलैब्ज बने हुए हैं, उन्हीं के हिसाब से खर्चा लिया जाता है। जिन की पारिवारिक आय 1500 रुपये महीना है, उनसे 3,000 रुपया सालाना, जिनकी पारिवारिक आय 2500 रुपये है, उनसे 5000 रुपये सालाना और इस प्रकार 10 हजार रुपये तक पारिवारिक आय के सलैब्ज बने हुए हैं। जो नान हरियाणवी हैं, उनसे 9500 रुपए लिये जाते हैं जब कि सरकार की ओर से हर बच्चे पर 18,000 रुपये सालाना खर्च किया जाता है। स्पोर्टस स्कूल के जिन बच्चों ने भिन्न भिन्न अवार्डज और मैडल्ज हासिल किए हैं, उनकी पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं उस पूरी लिस्ट को पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा और सुनते सुनते इनके कान पक जाएंगे। इनकी तसल्ली के लिए मैं कुछ नाम इनको बता देता हूं। इन बच्चों ने नै ानल और इनटरनै ानल लैवल पर अनेकों मैडल और अवार्ड हासिल किये हैं। एक लड़की कपिल पटेल है जिसने जिमनास्टिक में हिन्दुस्तान में सबसे कम उम्र के बच्चों में अर्जुन अवार्ड हासिल किया है। इन्टरनै ानल एथलैटिक्स में विकास ि ाव राम ने मैडल लिया है। राज सिंह चौहान और नवनीत लाठर ने फुटबाल में अवार्ड हासिल किया है। कविता साहा और सुमन दास ने जिमनास्टिक में इनटरनै ानल गोल्ड और आका ा लाम्बा ने टैनिस में गोल्ड मैडल लिया है। संगीता और चित्रा सारवां ने वालीबाल में अवार्ड हासिल किये हैं। यह लिस्ट बहुत लम्बी है। (विध्न)

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि क्या इनकी नौलिज में यह बात है कि वर्श 1991–92 या 1992–93 में कोई व्यक्ति अवैध रूप से छात्रावास में घुस आया था? अगर हां? तो क्या वह पकड़ा गया? (विध्न) अगर पकड़ा गया था तो क्या मन्त्री जी को इस की जानकारी है? (विध्न)

श्री अध्यक्षः यह सप्लीमैंटरी इस सवाल से रिलेट नहीं करता, इसलिए आप बैठिये। (विध्न)

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो लड़कियां और लड़के छात्रावास में रहते हैं, उनके मां–बाप अपने बच्चों के प्रति बहुत चिन्तित रहते हैं। मन्त्री महोदय से मैं केवल यह जानकारी चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी घटना इनकी जानकारी में है?

श्री राजे ा भार्माः अध्यक्ष महोदय, ये एकदम गलत बात कह रहे हैं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः धीरपाल सिंह जी आप बैठ जाएं।

श्री राजे ा भार्माः अध्यक्ष महोदय, मैं धीरपाल जी को आपके माध्यम से कहता हूं कि ये मेरे कार्यालय में आ जाएं, मैं इनकी तसल्ली करवा दूंगा। वैसे वहां पर एक बार डंगर चराने वालों ने चारदिवारी तोड़ी हुई थी, वहां से एक आदमी अन्दर आ गया था। (ाोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब वह आदमी

अन्दर आया था तो सुरक्षा वालों ने उस आदमी को पकड़ कर फौरन पुलिस के हवाले कर दिया था।

श्री धीर पाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं आप पर छोड़ता हूं कि अगर ये सत्य बोल रहे हैं तो जब तक यह असैम्बली चल रही है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा और अगर ये असत्य बोल रहे हैं तो जो सजा आप इन्हें देंगे, वह हमें मन्जूर होगी। अध्यक्ष महोदय, वह आदमी वहां से सवा–किलोमीटर दूर जाकर पकड़ा गया था। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री राजे ा भार्माः अध्यक्ष महोदय, मैं फैक्ट्स एंड फाईल के साथ आपके चैम्बर में आ जाऊंगा। वहां पर प्रिंसिपल साहब भी आ जाएंगे और धीर पाल जी आप भी आ जाना। हम आपको सभी तथ्यों से सैटीस्फाई कर देंगे। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जहां तक राई के स्कूल की स्पोर्टस एक्टीविटी की बात है, इस स्कूल की पिछले सालों में बहुत बढ़िया परफोरमैंस रही है और वहां से जूनियर लेवल के इन्टरनै ानल और नै ानल लेवल के प्लेयर निकले हैं। यह स्कूल चौधरी बंसी लाल जी के समय में बना था। उस समय नीति के मुताबिक इस स्कूल के बजट का हैड स्पोर्टस डिपार्टमैंट के नीचे था। यह बात तो ठीक है कि दूसरे स्कूलों के मुकाबले में इस स्कूल की स्पोर्टस में एक्टीविटी ज्यादा है। दरअसल यह स्कूल एक साख किस्म के स्टूडैन्टस को एजूके ान इम्पार्ट करता है।

अब जैसे के मंत्री जी ने बताया कि इसका बजट 1 करोड़ 56 लाख है। तो मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि स्पोर्टस का टोटल कितना बजट है। हमारी यह मं ाा रही है कि बंसी लाल जी के टाईम से लेकर आज तक की स्पोर्टस एक्टीविटी के नाम पर इस स्कूल को इतना पैसा दिया गया है कि दूसरे जो गांवों में छोटे–छोटे स्पोर्टस सैंटर्ज जैसे किलोई गांव और मुवाना गांव है। वहां पर भी सही स्पोर्टमैन होते हैं और आगे निकलते हैं। लेकिन वहां पर फैसीलिटीज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, स्पोर्टस के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो इस स्पोर्ट स्कूल को डाईवर्ट होता है जब कि यह पैसा दूसरी स्पोर्टस एक्टिविटीज में भी लगाना चाहिए। क्या मुख्य मंत्री जी ऐसा प्रावधान करेंगे कि इस स्कूल के फंडज एजुके ान हैड के नीचे आ जाएं और स्पोर्टस का पैस स्पोर्टस की एक्टिविटी पर ही खर्च हो।

श्री राजे ा भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरे भाई वीरेन्द्र सिंह जी ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है लेकिन ये एक थोड़ी सी गलती कर गए। यह जो 1 करोड़ 56 लाख रुपये का बजट है, वह स्पोर्टस डिपार्टमैंट से नहीं जाता है, वह स्कूल का अपना ही अलग बजट है। जहां तक स्पोर्टस डिपार्टमैंट की बात है, अध्यक्ष महोदय, जब हरियाणा बना था, तो उस वक्त स्पोर्टस डिपार्टमैंट का बजट 1 लाख 20 हजार रुपए हुआ करता था। उसके बाद जब 1991 में दोबारा हमारी सरकार आई तो बजट 4 करोड़ रुपए हुआ करता था। हमने मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध किया कि इससे कुछ नहीं

होता है, मंहगाई बढ़ गई है। मुख्य मंत्री जी ने एक सैकेंड की देरी लगाए बगैर 6.5 करोड़ रुपया इसका बजट किया। जैसा इन्होंने कहा कि किलोई गांव में या दूसरे दूरदराज के इलाकों में बड़े अच्छे–अच्छे स्पोर्टमैन पैदा होते हैं तथा उनको हम क्या–क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाईड कर रहे हैं यह देखने की बात है। स्पीकर साहब, यह सिर्फ हरियाणा स्पोर्टस डिपार्टमैंट की प्रोब्लम ही नहीं है बल्कि यह पूर हिन्दुस्तान की प्रोब्लम है। स्पोर्टस के लिए तो आप हिन्दुस्तान की ही नहीं बल्कि दूसरे अन्य मुल्कों अमेरिका आदि का बजट देख लीजिये। वहां भी हमे ाा स्पोर्टस को लास्ट प्रायोरिटी पर ही रखा जाता है। मगर उन मुल्कों में स्पोर्टस फिर भी आगे क्यों है? वह इसलिए क्योंकि वहां पर प्राईवेट स्पोसर्ज और मल्टी नै ानल कम्पनियां बहुत ज्यादा हैं, वे स्पोर्टस को बहुत बढ़ावा देती हैं जबकि हमारे मुल्क में प्राईवेट स्पोंसर्ज और मल्टी नै ानल कम्पनियां बहुत कम हैं और वे आगे भी नहीं आती। अगर ये प्राईवेट कम्पनियों आगे आ जाएं तो हमारे यहां हरियाणा में भी जो टैलेंट मौजूद हैं, उसके द्वारा हम अपने यहां पर कम इन्फ्रास्ट्रक्चर के होते हुए भी ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मैडल जीत कर ला सकते हैं।

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, मैं फिर यह बात दोहरा रहा हूं कि मंत्री जी ने जो बताया है कि यह 1 करोड़ 56 लाख रुपये का बजट स्पोर्टस हैड के अन्दर से नहीं आता। मंत्री जी यह बताएं कि फिर यह कौर से हैड के नीचे आता है?

श्री राजे I भार्मा: स्पीकर सर, मोती लाल नेहरू स्पोर्टस स्कूल, राई का अपना अलग से बजट है।

चौधरी वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, मैं फिर से यह दोहराना चाहता हूं कि 1 करोड़ 56 लाख रुपया जो स्पोर्टस की कास्ट पर खर्चा जाता है, यह पैसा स्पोर्टस के हैड में है। मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि यह पैसा स्पोर्टस को डाईवर्ट हो इसलिये this should form the part of Education Department. This is my submission, Sir.

श्री राजे I भार्मा: स्पीकर सर, 1 करोड़ 56 लाख रुपये में उस पूरे इलाके की 250 एकड़ की मैंटेनैंस, बिल्डिंग की मैंटेनैंस, बच्चों का खर्चा, स्टाफ की तनख्वाह, स्वीमिंग पूल और दूसरी स्पोर्टस एक्टिविटीज पर जो खर्चा होता है वह इन्हीं पैसों से होता है। स्कूल तो अलग से है। (विध्न)

श्री अध्यक्ष: वीरेन्द्र सिंह जी, Government functions as a whole. क्या आप यही चाहते हैं कि स्पोर्टस डिपार्टमैंट का बजट बढ़ाया जाए?

Chaudhri Birender Singh: When you are to formulate the budget projection of a particular year this thing should be in your mind that you are providing sufficient funds for it and not at the cost of sports activities. This is my submission, Sir. The amount spent on education should form part of Education Department and not come under the sports head. The Minister should tell me whether this provision is

under the sports head or under the head of Education Department? If he tells me this then I am satisfied.

श्री अध्यक्षः आप यह पूछिए कि क्या सरकार इसको दूसरे हैड में बदलने के लिए कंसीडर करेगी?

चौधरी वीरेन्द्र सिंहः सर, इसके लिए मैंने मन्त्री जी से यही कहा है।

श्री राजे ा भार्माः स्पीकर साहब, जेसा इन्होंने सुझाव दिया है, उसके लिए हम वित्त मन्त्री और ि ाक्षा मन्त्री से बात कर लेंगे। अगर ये लोग इसको दूसरे हैड में चेंज करने के लिए मान जाएंगे तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, पिछले दिनों अखबारों में एक खबर आयी थी कि स्कूलों के छात्र और छात्राएं न ाीली दवाइयों का सेवन करते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्षः इस प्र न का मूल प्र न से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए आप बैठिए। (विध्न)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, अभी माननीय मन्त्री जी ने स्कूल के बजट के बारे में बताया है। वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि स्पोर्टस पर काफी पैसा खर्च होता है। ठीक है, हमारा अच्छा स्कूल है, प्रीमियर संस्था है इसलिए, हरियाणा स्टेट के बजट में से पैसा खर्च होता है और कंनै ानल रेट्स पर हम विभिन्न

कैटेगरीज के बच्चों को यह सुविधा दे रहे हैं। लेकिन मेरा प्र न यह है कि आप इस स्कूल में बच्चों का दाखिला करते हो, तब आप क्या उनसे हरियाणा का डौमिसाईल सर्टीफिकेट मांगते हो? स्पीकर सर, उस डौमीसाईल सर्टिफिकेट के लिए क्या होता है, उसके लिए यह होता है कि दूसरी स्टेट्स के बच्चे भी यह सर्टिफिकेट दाएं–बाएं से बनाकर उसमें दाखिला ले लेते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस स्कूल में जो यह डौमीसाईल सर्टिफिकेट लाने की भार्त है, क्या यह सर्टिफिकेट लाने के लिए कोई बच्चा हरियाणा के स्कूल में पढ़ा होना जरूरी है? इसके अलावा मेरा दूसरा सवाल स्पोर्टस डिपार्टमैंट के बारे में है। हमारे मन्त्री जी भी बहुत बढ़िया स्पोर्टसमैन रहे हैं। आल राउंडर रहे हैं और इन्होंने स्पोर्टस डिपार्टमैंट की अचीवमैंट्स के बारे में कहा भी है। स्पीकर सर, आपने भी हफ्ता–दस दिन पहले अखबारों में पढ़ा होगा कि नै ानल लैवल पर लड़कों की हाकी हो रही थी और उसमें हमारी टीम सैकेन्ड आयी है जबकि पहले नम्बर पर इंडियन एयर लाईन्ज की टीम आयी है जो कि बाईलक ही प्रथम स्थान पर आयी है जबकि हमारी टीम बहुत ही बढ़िया टीम थी। इसी तरह उससे पहले वीमैन हाकी में भी हमारी टीम ने ानल लैवल में दूसरे स्थान पर थी। हमारी जूनियर वीमैन हाकी टीम भी नै ानल लैवल पर सैकन्ड आयी थी। दोनों टीमें फर्स्ट–सैकण्ड आ रही है। हरियाणा के किसी भी स्टेडियम में ऐस्ट्रोटर्फ नहीं है? आपके यहां के खिलाड़ी कहीं भी जाएंगे, नै ानल गेम्ज में तो जब उनको पता ही नहीं होगा कि एस्ट्रोटर्फ पर कैसे खेला जाता है तो वह कैसे

खेलेंगे? घास पर स्लो गेम चलता है पर ऐस्टोटर्फ पर गेम तेजी से खेलना पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जल्दी ही ऐस्ट्रोटर्फ लगाने की कोि ा ा आप करेंगे?

राजे ा भार्मा: स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने पहले तो एडमि ान के क्राइटेरिया के बारे में पूछा है और कहा है कि नान–हरियाणवी आकर ऐडमि ान ले लेते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया कांस्टीच्यू ान के तहत नहीं बनाया जा सकता कि हरियाणा का बच्चा नहीं आएगा, पंजाब का नहीं आएगा या और कहीं का नहीं आएगा।

प्रो0 सम्पत सिंह: पैसा तो हरियाणा का है। (विध्न) स्पीकर सर, मैं यह कह रहा हूं कि डोमिसाईल के लिए कुछ परसैंटेज जरूरी है और डोमिसाईल जिन बच्चों का जरूरी है, उन बच्चों की डोमिसाईल की कंडी ान की बात कर रहा था।

श्री राजे ा भार्मा: सर, उसमें 80 परसैंट हरियाणा के लोगों के लिए रिजर्वे ान है। उसकी आगे कैटेगरीज बनी हुई है। 30 परसैंट डिफैंस के लिए व 18 परसैंट एस0सी0 व एस0टी0 के लिए सीटें रिजर्व्ड है। (विध्न) चौथी क्लास से वहां ऐडमि ान होता है, उसमें जिस साल ऐडमि ान हो रहा है, उस साल की एक जुलाई को कैंडीडेट की आयु 8 से 10 वर्श के बीच होनी चाहिए। उसके बाद फिजिकल एफीि ाएंसी और एप्टीट्यूड टैस्ट

होता है, जिसमें 40 परसैंट मार्क्स होने चाहिए। हिन्दी या इंगलि ा में से एक औप ानल सब्जैक्ट होना चाहिए।

प्रो0 सम्पत सिंहः हम यह नहीं पूछ रहे हैं।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी यह पूछ रहे हैं कि यदि कोई बाहर से आकर हरियाणा का पता लिखा कर दर्खास्त दे देता है तो वह हरियाणा का कैसे बन जाएगा?

श्री राजे ा भार्माः अध्यक्ष महोदय, जो हरियाणा के कोटे में है, वह बच्चा हरियाणा के स्कूल का पढ़ा होना चाहिए।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का कोटा अलग से फिक्स है। उस कोटे में हरियाणा के स्टूडैंट्स ही लिए जाते हैं। यह आ वासन हम सदन को दे रहे हैं। बच्चा हरियाणा के स्कूल में पढ़ा होना चाहिए। डौमिसाईल भी हरियाणा का हो, उस कोटे में बाहर का लड़का नहीं लिया जाएगा लेकिन कोटे की सीटों के अलावा जो सीटें हैं, उन पर बाहर से पाबन्दी भी नहीं लगा सकते।

श्री राजे ा भार्माः अध्यक्ष महोदय, श्री सम्पत सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि विदे ाों में जब हरियाणा के बच्चे खेलने के लिए जाते हैं तो उनकी परफारमैंस अच्छी नहीं होती क्योंकि उनको वहां पर ऐस्ट्रोटर्फ पर खेलना पड़ता है जबकि यहां पर उनको नंगे पांव मैदान में दौड़ना पड़ता है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हरियाणा ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ऐस्ट्रोटर्फ

बिछाने का काम होना था। इनकी सरकार ने एक कम्पनी को ठेका दे दिया। उसमें एक करोड़ रुपए का गबन हुआ और आज वह कम्पनी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। पांच साल हो गए हैं और हरियाणा ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मैदान खुदा पड़ा है। स्पीकर साहब, हम जल्दी ही ऐस्ट्रोटर्फ बिछाने का काम भ्रारू करने जा रहे हैं और उसकी कापी हम इनको भेज देंगे।

बिजली मंत्री (श्री ए0सी0 चौधरी): स्पीकर साहब, बतौर विधायक मैं एक जानकारी चाहता था। अभी बताया गया है कि हरियाणा डोमिसाईल जिन लड़कों की है, उन्हीं को एडमि ान दिया जाता है। बाहर के लड़कों को नहीं दिया जाता। दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा फैला हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हरियाणावासी हैं, वे हरियाणवी हैं लेकिन उनके बच्चे हरियाणा से बाहर पढ़ते हैं। उन बच्चों के पेरैन्ट्स भी बाहर नौकरी पर हैं। क्या मन्त्री जी बताने का कश्ट करेंगे कि उन बच्चों को यह डिस्क्वालीफिके ान तो नहीं होगी?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, ऐसी कई श्रेणियां हैं, जैसे डिफैन्स पर्सोनल है, पुलिस के लोग हैं, जो रहने वाले तो हरियाणा के हैं और उनका हरियाणा डोमीसाईल हैं लेकिन डिफैन्स की या पुलिस की डियूटी पर है, और बाहर रहते हैं तथा उनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं लेकिन रहने वाले वे हरियाणा के हैं। उनके लिए स्पै ाल छूट है। उनका अधिकार है कि वे इसका फायदा उठा सकते हैं।

Up-gradation of Schools

***949. Chaudhri Balwant Singh Maina:** Will the Minister for Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of teh Government to upgrade the Government Girls High School Ismaila and Government Girls High School, Sampla of District Rohtak; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Schools are likely to be upgraded?

Education Minister (Shri Phool Chand Mullana):

(a) No, please.

(b) In view of (a) above, question does not arise.

चौधरी बलवन्त सिंह नैना: स्पीकर साहब, सांपला और इस्माईला के कन्या उच्च विद्यालय हमारी सरकार ने अपग्रेड किए थे। चौधरी देवी लाल की सरकार ने ये दोनों कन्या उच्च विद्यालय अपग्रेड किए थे लेकिन इस सरकार ने दोनों को कैन्सिल कर दिया। क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि इन दोनों उच्च विद्यालयों की अपग्रेडे ान को क्यों कैन्सिल कर दिया गया? मेरी जानकारी यह भी है कि 24 तारीख को मुख्य मंत्री जी सांपला जा रहे हैं, क्या जाने से पहले इन स्कूलों के बारे में घोशणा करके जाएंगे?

श्री फूल चन्द मुलाना: स्पीकर साहब, ये चौधरी देवी लाल के समय की बात कर रहे हैं। उस समय इन स्कूलों को अपग्रेड करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था। जहां तक लड़कियों के स्कूलों की बात है स्पीकर साहब, इस्माईला में दो हाई स्कूल हैं। एक तो लड़कियों का है और दूसरा लड़के और लड़कियों दोनों का है। इस साल यह निर्णय लिया गया है कि इसमाईला का जो लड़के और लड़कियों का हाई स्कूल है, यानी जो को–ऐजुके ान स्कूल है, उसको अपग्रेड कर देंगे। इस्माईला सांपला से चार किलोमीटर के फासले पर है। इस्माईला का स्कूल अपग्रेड करने से सांपला वाले बच्चे भी फायदा उठा सकते हैं।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: स्पीकर साहब, एक तरफ तो सरकार कहती है कि लड़कियों की ि ाक्षा को बढ़ावा दिया जाए और उनको मुफ्त ि ाक्षा दी जाए और दूसरी तरफ मंत्री ने जवाब दिया है कि . . . 'प्र न ही पैदा नहीं होता। क्या मन्त्री जी बताने का कश्ट करेंगे कि लड़के और लड़कियों के स्कूलों को अपग्रेड करने का क्राईटेरिया क्या है? मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस स्कूल का दर्जा मुख्य मन्त्री जी चाहते हैं उसका दर्जा बढ़ा देते है चाहे वह क्राईटेरिया पूरा करता हो या नहीं। अभी चन्द्र मोहन जी 11 तारीख को अम्बोली गए थे और वहां के स्कूल का दर्जा बढ़ा दिया गया जबकि बरोहड़ और केहड़ी बहुत बड़े गांव हैं। वहां के स्कूल अपग्रेडे ान की सारी भार्तें पूरी करते हैं

लेकिन वहां के स्कूलों को अपग्रेड नहीं किया गया है जबकि अम्बोली एक छोटा सा गांव है।

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, जिले सिंह जी ने लड़कियों की ि ाक्षा के बारे में बात की है और कहा है कि फलां लड़कियों का स्कूल अपग्रेड नहीं किया गया। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार लड़कियों की ि ाक्षा को ऊंचा उठाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है क्योंकि मुख्य मन्त्री जी का मानना है कि अगर एक लड़के को ि ाक्षा दी जाती है तो एक व्यक्ति को ि ाक्षित किया जाता है और अगर एक लड़की को ि ाक्षित किया जाता है तो तीन व्यक्तियों को ि ाक्षित किया जाता है। इस्माईला का जो को–ऐजुके ान स्कूल है यानी जो लड़के और लड़कियों का स्कूल है, उसके बारे में निर्णय लेने जा रहे हैं। यदि हम लड़कियों के स्कूलों को अपग्रेड करेंगे तो वहां सिर्फ लड़कियां ही पढ़ेंगी तो फिर लड़के कहा जाएंगे? इसलिये सरकार ने निर्णय लिया है कि वहां पर लड़के और लड़कियों के स्कूल को अपग्रेड किया जाए जहां दोनों ही पढ़ें। दूसरी इन्होंने स्कूलों को अपग्रेड करने का क्राईटेरिया पूछा है। जब हम हाई स्कूल से 10+2 अपग्रेड करते हैं तो जो हमारे दूसरे नामर्ज हैं, उसमें कम से कम 14 कमरे होने चाहिए और दूसरी सुविधाएं जैसे स्टाफ रूम, आफिस रूम, लैबोरेट्री रूम, स्टोर रूम हो। कम से कम 8 किलोमीटर का एक स्कूल से दूसरे स्कूल का फासला होना चाहिए और पांच हजार की कम से कम आबादी होनी चाहिये। मैं

यह भी मानता हूं कि कई दफा स्कूल्ज, लोगों की मांग को देखते हुए, लोगों के इंट्रैस्ट को देखते हुए जल्दी अपग्रेड करने पड़ते हैं और सरकार बाद में सभी भार्तें पूरी करवा लेती है।

चौधरी जिले सिंह जाखड़: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि 14 कमरे होने चाहिये और दूसरी फैसिलिटीज जैसे कि स्टाफ रूम, लेबोरेट्री रूम, आफिस रूम वगैरह हो। साथ ही आबादी का क्राईटेरिया भी इन्होंने अपग्रेडे ान के लिये बताया। मैं इनको बताना चाहता हूं कि बरोड़ गांव में एक स्कूल है। वहां पर 22 कमरे हैं और वहां के लोगों ने यह सब कुछ अपने पैसे से ही बनवाया है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उस की हालत अच्छी है। इसी तरह से मदनपुर में भी एक स्कूल है। वहां पर भी लोगों ने काफी पैसा लगा रखा है। सारी भार्तें भी ये स्कूल्ज पूरी करते हैं। तो मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन दोनों स्कूलों को इतनी सहूलियतों के बाद अपग्रेड करने का कोई विचार रखती है ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो और बच्चे पढ़ सकें।

श्री फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, सिर्फ कमरों का ही क्राईटेरिया नहीं देखा जाता। केवल कमरों की भार्तें पूरी करने की बात नहीं है और दूसरी भार्तें भी होती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, स्टाफ रूम, आफिस रूम, लैबोरिट्री, आबादी का

क्राइटेरिया भी ध्यान में रखा जाता है, तब जाकर स्कूल्ज अपग्रेड किये जाते हैं।

श्री अध्यक्षः आप यह बताएं कि आप इनका केस कंसीडर करोगे या नहीं?

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, ये एप्लाई कर दें, हम उस पर विचार कर लेंगे कि आया जिनका ये जिकर कर रहे हैं, वे स्कूल्ज नामर्ज के अनुसार हमारी भार्तें पूरी करते हैं या नहीं। स्पीकर सर, एक वक्त हरियाणा के अन्दर के 650 स्कूल्ज व कालेजों में 10+2 की ि ाक्षा बच्चों को दी जा रही है। 650 स्कूल्ज व कालेजिज चल रहे हैं। जहां जहां 10+2 की विस्तार करने की जरूरत सरकार महसूस करेगी, वहां पर स्कूलों को अपग्रेड कर दिया जाएगा।

Repair/Re-construction of Bridge

***973. Chaudhri Suraj Bhan Kajal:** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the bridge on Kila Zafargarh Minor on Jind-Rohtak road in Jind district is in damaged condition; and

(b) if so, the time by which the said bridge is likely to be repaired?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल):

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) उक्त पुल की मुरम्मत 30–11–94 तक कर दी जायेगी।

चौधरी सूरज भान काजलः अध्यक्ष महोदय, जफरगढ़ माईनर पर जो ब्रिज बना हुआ है, यह कम से कम 50–60 साल पुरानर है और वह माईनर उस वक्त कच्ची थी। उसकी जब लाइनिंग हुई तो उसका बैड ऊपर हो गया। छत और बैड के बीच पानी जाने का जो रास्ता है, वह बहुत कम है। जो गांव टेल पर है, वहां किसी भी गांव में इसका पानी नहीं जाता। जब पानी चलता है तो बैड ऊंचा होने की वजह से पानी पुल के साथ टकराता है, पीछे ही रह जाता है। मुख्य मंत्री महोदय ने यह आ वासन दिया है कि यह पुल 30–11–94 तक रिपेयर कर दिया जाएगा। मैं उन से रिक्वैस्ट करूंगा कि रिपेयर करते समय इस पुल को डेढ़ या दो फुट ऊपर उठाने की कृपा करें ताकि पानी का बहाव आगे जाने के लिए ठीक रहे और टेल के गांवों तक पानी आराम से पहुंचाया जा सके।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि यह पुल 50–60 साल पुराना है और इसकी लाइनिंग करते वक्त उसका बैड डेढ़–दो फुट नहर का लेवल ऊपर उठ गया और पानी पुल से टकराता था जिसकी वजह से यह पुल डैमेज हो गया। इसको हम दो–फेज में बनाएंगे ताकि ट्रैफिक भी

चलता रहे। यह पुल दो महीने के अन्दर अन्दर बनकर तैयार हो जाएगा और इसकी मुरम्मत करते समय डेढ़ या दो फुट ऊपर उठाने का पूरा प्रयत्न करेंगे ताकि पानी पुल के साथ न टकराए और टेल तक पूरा पानी जाए।

Construction of Roads

***969. Shri Ramesh Kumar :**Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads:

(i) from Chhichhrana to Kathura;

(ii) from Sanghi to Mirjapur-Kheri;

(iii) from Banwasa to Chhara;

(iv) from Chhatehra to Matand; and

(v) from Ridhana to Gharwal; and

(b) if so, the time by which teh aforesaid roads are likely to be completed?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल):

(क) तथा (ख)

1, 2 और 4 नहीं, श्रीमान जी।

3 और 5—जी हां, श्रीमान जी।

क्रमांक 3 और 5 पर दी गई सड़कों को धन की उपलब्धता के अनुसार जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जायेगा।

क्रमांक 1, 2 और 4 पर दी गई सड़कों को इस समय पूर्ण करने का प्र न ही नहीं उठता।

Mr. Speaker: Question hour is over.

नियम 45के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Appointment made in Haryana Roadways, Rohtak Depot

***954. Chaudhri Zile Singh Jakhar:** Will the Minister of State for Transport be pleased to sate the number of conductors, drivers and other employees who have been employed on daily wages in Haryana Roadways depot, Rohtak during the years 1992-93 and 1993-94 alongwith the names and addresses thereof?

परिवहन राज्य मन्त्री (श्री बलबीर पाल भााह): वर्श 1992–93 और 1993–94 के दौरान रोहतक डिपों में जितने दैनिक वेतन/ठेके के आधार पर कर्मचारी नियुक्त किये, उनका ब्यौरा इस प्रकार है:–

————————————

1992–93 1993–94

———————————————

चालक	53	39
परिचालक		9
अन्य कर्मचारी	24	15

उपरोक्त कर्मचारियों के नामों तथा उनके घर के पतों का विवरण संलग्न अनुबन्ध 1 और 2 में दिया गया है।

अनुबन्ध–I

क्रम सं.	**नाम/पिता का नाम एवं पता**	**नियुक्ति तिथि**	**सेवा में है या नहीं**
सर्वश्री–			
(चालक) ठेके के आधार पर			
1.	रामप्रका ा सुपुत्र श्री जयकि ान गांव व डा0 नूना माजरा, रोहतक	16–5–92	नहीं
2.	बलवान सिंह सुपुत्र श्री अमर सिंह गावं व डा0 मुदाना, रोहतक	16–5–92	नहीं
3.	अतर सिंह सुपुत्र दनीप सिंह गांव	18–5–92	नहीं

	व डा0 वजीरपुर, रोहतक		
4.	जय भगवान सुपुत्र मुन् ीराम गांव व डा0 बेरी, रोहतक	16—5—92	नहीं
5.	बलवान सिंह सुपुत्र श्री दयाराम गांव व डा0 चिमनी, रोहतक	18—5—92	नहीं
6.	सूरजमल सुपुत्र लखीराम गांव व डा0 बेरी, रोहतक	18—5—92	नहीं
7.	धर्मबीर सुपुत्र बलवन्त सिंह 437/25, प्रेम नगर, रोहतक	18—5—92	नहीं
8.	रामफल सुपुत्र दिलीप सिंह गांव व डा0 बेरी, रोहतक	18—5—92	नहीं
9.	जगबीर सिंह सुपुत्र गोकुलचन्द गांव व डा0 गोची, रोहतक	18—5—92	नहीं
10.	ऋशिपाल सुपुत्र धन्ना सिंह गांव व डा0 सुन्दरपुर, रोहतक	18—5—92	नहीं
11.	कृश्ण कुमार सुपुत्र बनी सिंह गांव व डा0 बालियान, रोहतक	18—5—92	नहीं
12.	बिजेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री सिंहराम	18—5—92	नहीं

	गांव व डा0 मातनहेल, रोहतक		
13.	प्रेम सिंह सुपुत्र मुन् ाीराम गांव व डा0 बेरी, रोहतक	8—10—92	नहीं
14.	धर्मराज सुपुत्र चन्द्र सिंह, गांव व डा0 बेरी, रोहतक	8—10—92	नहीं
15.	रमे ा कुमार सुपुत्र चिरंजी लाल, गांव व डा0 धांधलान, रोहतक	8—10—92	नहीं
16.	जयबीर सिंह सुपुत्र श्री निहाल सिंह, गांव व डा0 घानी दौलत, हिसार	10—7—92	नहीं
17.	सतनाराण सुपुत्र रूपचन्द गांव व डा0 डिगाना, जीन्द	12—8—92	नहीं
18.	रमे ा चन्द सुपुत्र रामधन गांव व डा0 मदीना, रोहतक	26—8—92	नहीं
19.	जयकरण सुपुत्र श्री द र्ान सिंह गांव व डा0 जखोदा	1—9—92	हां
20.	राजिन्द्र सिंह सुपुत्र चरणदास गांव व डा0 लाढोत, रोहतक	8—9—92	नहीं

21.	आजाद सिंह सुपुत्र देवीचन्द गांव व डा0 गिरवार, रोहतक	14—9—92	हां
22.	भगवान सिंह सुपुत्र राम सिंह 713/11, माता दरवाजा, रोहतक	8—10—92	हां
23.	भयामराम सुपुत्र रामसरूप गांव व डा0 सांगाहेडा, निगानी, रोहतक	9—10—92	हां
24.	कृश्ण कुमार सुपुत्र बलवन्त सिंह गांव व डा0 फरमाना, रोहतक	23—10—92	नहीं
25.	सन्तोश सिंह सुपुत्र महिन्द्र सिंह गांव व डा0 साधनवास, हिसार	29—10—92	हां
26	महताब सिंह सुपुत्र उमेद सिंह गांव व डा0 मोखरा, रोहतक	29—10—92	हां
27.	बलजीत सिंह सुपुत्र श्रवण सिंह गांव व डा0 मबोध—कलां, रोहतक	29—10—92	हां
28.	बलविन्द्र सिंह सुपुत्र बन्ता सिंह गांव व डा0 हदाकवाला, हिसार	29—10—92	हां
29.	त्रिलोक सिंह सुपुत्र दलीप सिंह गांव व डा0 साधनवास, हिसार	29—10—92	हां

30.	सुरे ा चन्द सुपुत्र पूर्ण चन्द गांव व डा0 कहानौर, रोहतक	1—11—92	हां
31.	सतनाम सिंह सुपुत्र कबूल सिंह गांव व डा0 ननहेडी, हिसार	10—11—92	हां
32.	क ामीर सिंह सुपुत्र दलाल सिंह गांव व डा0 किलाईखास, रोहतक	11—11—92	नहीं
33.	सुरे ा कुमार सुपुत्र मुन् ीराम गांव व डा0 नन्दाल, रोहतक	11—11—92	हां
34.	जयपाल सुपुत्र श्री रामचन्द्र गांव व डा0 बाढौत, रोहतक	11—11—92	हां
35.	अ ाोक कुमार सुपुत्र मान सिंह गांव व डा0 रूड़की, रोहतक	11—11—92	हां
36.	रणबीर सिंह सुपुत्र ि ावधन गांव व डा0 गहलौत, रोहतक	11—11—92	नहीं
37.	निमैल सिंह सुपुत्र गुरबख्भा सिंह गांव व डा0 ढानी लाखुवाली, हिसार	19—2—93	हां
38.	महिन्द्र सिंह सुपुत्र सोहन लाल	17—11—92	नहीं

	गांव व डा0 करतारपुर, रोहतक		
39.	रमे ा कुमार सुपुत्र सुन्दर सिंह गांव व डा0 बोहर, रोहतक	18—11—92	नहीं
40.	आनन्द सिंह सुपुत्र हरदेव सिंह गांव व डा0 धिलोद, रोहतक	26—11—92	नहीं
41.	निर्मल सिंह सुपुत्र श्रवण सिंह गांव व डा0 लालौद, हिसार	3—3—93	हां
42.	रमे ा कुमार सुपुत्र भीम सिंह 252, हाऊसिंह बोर्ड, रोहतक	26—11—92	हां
43.	रणबीर सिंह सुपुत्र ई वर सिंह गांव व डात्र बहु अकबरपुर, रोहतक	26—11—92	हां
44.	राम कि ान सुपुत्र खु ीराम, गावं व डा0 झज्जर, रोहतक	9—12—93	नहीं
45.	प्रताप सिंह सुपुत्र रिसाल सिंह गांव 662, सोनीपत रोड़, रोहतक	9—12—93	हां
46.	श्रवण सिंह सुपुत्र प्यारा सिंह गांव व डा0 कलाना, करनाल	9—12—92	नहीं
47.	धर्मबीर सुपुत्र रामसरूप गांव व	28—12—92	हां

	डा0 सींक, पानीपत		
48.	राज सिंह सुपुत्र जिले सिंह गांव व डा0 आसन, रोहतक	13—1—93	हां
49.	जय कि ान सुपुत्र गोपीराम गांव व डा0 ककरोला, गुड़गांव	15—2—93	हां
50.	रोहतास सिंह सुपुत्र रामदिया, डायरी मुहल्ना, रोहतक	18—2—93	नहीं
51.	जागीर सिंह सुपुत्र राजाराम गांव व डा0 मथवान, हिसार	19—2—93	हा
52.	कृश्ण लाल सुपुत्र जिले सिंह गांव व डा0 बापोली, पानीपत	16—11—92	हां
53.	सोमदत्त सुपुत्र चतर सिंह गांव व डा0 उचाना, करनाल	26—11—92	नहीं
अन्य कर्मचारी (दैनिक वेतन) हैल्पर			
1.	दयानन्द सुपुत्र पहलाद सिंह, गांव व डा0 आसन, रोहतक	6—1—93	हां
2.	सुरे ा कुमार सुपुत्र बलबीर सिंह, पारा मुहल्ला, रोहतक	6—1—93	हां

3.	राम कुमार सुपुत्र प्रताप सिंह, गांधीनगर, रोहतक	6—1—93	हां
4.	जयपाल सिंह सुपुज जीत सिंह, हांसी, हिसार	66—10—92	हां
5.	बलजिन्द्र सिंह सुपुत्र बलबीर सिंह गांव व डा0 रोहाना, सोनीपत	7—7—92	हां
6.	रघबीर सिंह सुपुत्र जोधाराम गांव व डा0 धांसुवाला, हिसार	24—2—93	हां
7.	क ामीरी लाल सुपुत्र मुन् ाी राम, रतिया, हिसार	1—5—92	हां
8.	अतर सिंह सुपुत्र मनफूल सिंह, गांव व डा0 नानौंद, रोहतक	1—12—92	हां
9.	बिजेन्द्र सिंह सुपुत्र रणधीर सिंह गांव व डा0 बलियाना, रोहतक	1—7—92	हां
10.	सुरे ा कुमार सुपुत्र दवान सिंह, सब्जी मण्डी, रोहतक	18—11—92	हां
11.	फूल कुमार सुपुत्र रूप चन्द ि ावाह, पानीपत	1—11—92	हां

12.	राजिन्द्र सिंह सुपुत्र सूरजभान, 1444/11, झज्जर, रोहतक	1–2–93	हां
13.	सोमवीर सुपुत्र चन्द्रभान गांव व डा0 नानौंद, रोहतक	1–5–92	हां
14.	सुनील कुमार सुपुत्र बलवीर सिंह गावं व डा0 खरवाड, रोहतक	11–11–92	हां
15.	अजय कुमार सपुत्र सोमनाथ हाऊसिंग बोर्ड, रोहतक	24–9–92	हां
16.	दिने ा कुमार सपुत्र राजकुमार, माडल टाउन, रोहतक	1–11–92	हां
17.	मनोज कुमार सपुत्र बलवीर सिंह गांव व डा0 कलानौर, रोहतक	11–11–92	हां
18.	प्रका ा सपुत्र बलवान सिंह गांव व डा0 डीग्गल, रोहतक	1–1–93	हां
19.	राजिन्द्र सपुत्र सुरजीत, किला रोड, रोहतक	19–8–92	हां
20.	राजकुमार सपुत्र बलवान, गावं व डा0 मायना, रोहतक	1–1–93	हां

21.	प्रेम कुमार सपुत्र आजाद सिंह गावं व डा0 खिडवाली, रोहतक	1—7—92	हां
22.	राजबीर सिंह सपुत्र कलीराम गांव व डा0 पिपलीखेड़ा, गन्नौर, सोनीपत	11—11—92	हां
23.	रणधीर सिंह सपुत्र राम सिंह गांव व डा0 बल्लम, रोहतक	1—12—92	हां
24.	राहुल चौधरी सपुत्र बलवन्त, 1286/19, सन्त नगर, रोहतक	15—1—92	हां

अनुबन्ध—II

क्रम सं.	**नाम/पिता का नाम एवं पता**	**नियुक्ति तिथि**	**सेवा में है या नहीं**
(चालक) ठेके के आधार पर			
1.	श्री राजेन्द्र प्र ाद सपुत्र मांगे राम गांव व डा0 कलानौर, रोहतक	9—4—93	हां
2.	नरे ा कुमार सपुत्र श्री रामधन गांव व डा0 भगवतीपुर, रोहतक	9—4—93	हां

3.	कृश्ण कुमार सपुत्र रामसरूप गावं व डा0 भराणा महम, रोहतक	9—4—93	हां
4.	जय सिंह सपुत्र जोगी राम गावं व डा0 पाकसमा, रोहतक	9—4—93	हां
5.	सुरेन्द्र सिंह सपुत्र नारायण सिंह गावं व डा0 मोरखेडी, रोहतक	9—4—93	हां
6.	देव राज सपुत्र केवल सिंह गावं व डा0 गोछी झज्जर, रोहतक	9—4—93	नहीं
7.	फुल सिंह सपुत्र बलवान सिंह गावं व डा0 सिसरावास, रोहतक	9—4—93	नहीं
8.	श्री भगवान सपुत्र रामधन गांव व डा0 बरान, महम, रोहतक	14—6—93	हां
9.	ई वर सिंह सपुत्र जगलाल गावं व डा0 अटेली, रोहतक	14—6—93	हां
10.	दलबीर सिंह सपुत्र रिसाल सिंह गांव व डा0 मोखरा, रोहतक	14—6—93	हां
11.	इन्द्र सिंह सपुत्र रामदत गांव व डा0 सिसाना, सोनीपत	14—6—93	हां

12.	अ ाोक कुमार सपुत्र जसवंत सिंह 6833, महम, रोहतक	1—6—93	हां
13.	सुखबीर सिंह सपुत्र जगनाथ 356/19 प्रेम नगर, रोहतक	1—6—93	हां
14.	नरेन्द्र सिंह सपुत्र सुरजमाल गांव व डा0 कलानौर, रोहतक	19—11—93	हां
15.	धर्मबीर सपुत्र राम निवास मण्डोठी, रोहतक	10—11—93	हां
16.	फतेह सिंह सपुत्र राम गांव व डा0 नरहेड़ी दरसोल, हिसार	3—5—93	हां
17.	त्रिलोक चन्द सपुत्र प्यारे राम गांधी नगर, बैरक नं0 3, रोहतक	3—5—93	हां
18.	हरदेव सिंह सपुत्र करतार सिंह गांव व ड0 भाकरपुरा, हिसार	3—5—93	हां
19.	बलवान सिंह सपुत्र रोहतास सिंह गांव व डा0 बालयाणा, रोहतक	3—5—93	हां
20.	राजे ा भार्मा सपुत्र मांगे राम डी0एल0एफ0 कालोनी, रोहतक	1—7—93	हां

21.	सतबीर सिंह सपुत्र फतेह सिंह गावं व डा0 ठरोली, जींद	19—7—93	हां
22.	सुरजमल सपुत्र कबूल सिंह गांव व डा0 बीरनवाला, हिसार	21—7—93	हां
23.	रजिन्द्र सिंह सपुत्र धूप सिंह गावं व डा0 मदीना, रोहतक	19—8—93	हां
24.	जोगिन्द्र सिंह सपुत्र मोहन सिंह गांव व डा0 रदूर, यमुनानगर	19—8—93	हां
25.	लखमिन्द्र सिंह सपुत्र सरनगत गांव व डा0 सरपनी कलां, कुरूक्षेत्र	1—9—93	हां
26.	प्यारे लाल सपुत्र नत्थु राम गांव व डा0 ढाणी बिलासपुर, हिसार	1—9—93	हां
27.	भूपेन्द्र सपुत्र प्रीतम सिंह गांव व डा0 जलमाना, करनाल	1—9—93	हां
28.	श्री भगवान सपुत्र रामधन गावं व डा0 बाहरन रोहतक	1—9—93	हां
29.	जय भगवान सपुत्र भगत सिंह गांव व डा0 लाखनमाजरा, रोहतक	18—9—93	हां

30.	बलवन्त सिंह बकतावर सिंह गांव व डा0 बलियाणा, रोहतक	3—5—93	नहीं
31.	गुरमीत सपुत्र जसबीर सिंह गावं व डा0 सदनवास, हिसार	12—12—93	हां
32.	दिलवारी सिंह सपुत्र मांगे राम गांव व डा0 किलोई, रोहतक	4—2—94	नहीं
33.	मोहिन्द्र सिंह सपुत्र सुरत सिंह गांव व डा0 बंगवाला, भिवानी	21—2—94	हां
34.	सत्यवान सपुत्र द र्न सिंह गांव व डा0 जूसर खेडी, कुरूक्षेत्र	24—2—94	हां
35.	अभे राम सपुत्र योग राम गांव व डा0 मंगल मंडी, रिवाड़ी	1—3—94	हां
36.	तेजा सिंह सपुत्र यमन सिंह गावं व डा0 नांदल, रोहतक	3—3—94	हां
37.	बलवान सिंह सपुत्र राम कि ान 265/12 सुखपुरा चौक, रोहतक	16—3—94	हां
38.	मोहिन्द्र सिंह सपुत्र कर्ता राम गांव व डा0 मंगल भानरी, हिसार	16—3—94	हां

39.	सुरे ा कुमार सपुत्र दलीप सिंह गावं व डा0 ढ़ाणा, हिसार	19—3—94	हां
कन्डक्टर			
1.	जय सिंह सपुत्र महर चन्द 15 बैरक नं0 3 गांधी नगर, रोहतक	20—5—93	हां
2.	दीप कुमार सपुत्र मखन लाल गांव डा0 मंगाली, महेन्द्रगढ़	20—5—93	हां
3.	राम कुमार सपुत्र सोना राम डी0एल0एफ0 कालोनी, रोहतक	31—5—93	हां
4.	बलविन्द्र सिंह सपुत्र खेम चन्द गांव व डा0 ढढलाना, करनाल	8—12—93	हां
5.	राजिन्द्र सपुत्र मोहर चन्द गावं व डा0 एफ पुरिया, सिरसा	9—11—93	हां
6.	मोहिन्द्र सिंह सपुत्र मनफूल सिंह गांव व डा0 कलोई, रोहतक	1—2—94	हां
7.	बलजीत सिंह सपुत्र फतेह सिंह हरवातगढ़ भाटा, कथैल	16—3—94	हां
8.	रोहतास सपुत्र दलीप प्रताप चौक,	19—3—94	हां

	रोहतक		
9.	रमे ा सपुत्र अमर चन्द पारा मोहल्ला, रोहतक	19—3—94	हां

अदर स्टाफ (डेली वेजिज)

क्रम सं.	**नाम/पिता का नाम व पता**	**पद**	**नियुक्ति तिथि**	**सेवा में है या नहीं**
1	2	3	4	5
1.	अनिल कुमार सपुत्र हंस राज हाउसिंग बोर्ड, रोहतक	हैल्पर	16—11—93	हां
2.	राम निवास सपुत्र नेकी राम पुराना कलां नरवाना, जींद	हैल्पर	24—2—94	हां
3.	मलखान सिंह सपुत्र श्री परमानन्द गांव व डा0 खोरा, रिवाड़ी	हैल्पर	27—10—93	हां
4.	रामतीर्थ सपुत्र लतर सिंह गावं व डा0	हैल्पर	11—11—93	हां

	गोपालपुरा, रोहतक			
5.	अमरनाथ सपुत्र अतर सिंह गांव व डा0 बहादुगढ़, रोहतक	हैल्पर	7—1—94	हां
6.	खरेती लाल सपुत्र कर्म नारायण गुरूनानमपुरा, पानीपत	हैल्पर	3—1—94	हां
7.	बलवान सिंह सपुत्र सुनहरा सिंह गावं व डा0 ढ़ाणी, पानीपत	हैल्पर	1—2—94	हां
8.	जोगिन्द्र सपुत्र मोहिन्द्र गावं व डा0 डीगल, रोहतक	हैल्पर	1—4—93	हां
9.	देवेन्द्र सिंह सपुत्र दलीप सिंह गांव व डा0 आसन, रोहतक	वाटर कैरियर	5—11—93	हां
10.	नरे ा कुमार सपुत्र चन्द्रभान गांव व डा0 मेरोदा, रोहतक	वाटर कैरियर	5—10—93	हां

11.	जगबीर सिंह सपुत्र रामकि ान सिसाना, सोनीपत	वाटर कैरियर	6—10—93	हां
12.	आनन्द कुमार सपुत्र ज्ञानी राम, रोड, रोहतक	वाटर कैरियर	8—2—94	हां
13.	सरोज रानी पत्नी सोमदत्त 1568/2, पारा मोहल्ला, रोहतक	वाटर कैरियर	23—6—93	हां
14.	विजय पाल सपुत्र पृथ्वी सिंह गांव व डा0 खर्ककलां, रोहतक	चौकीदार	6—1—94	हां
15.	फतेह सिंह सपुत्र मनी लाल गांव व डा0 नांगली, रिवाड़ी	वाटर कैरियर	4—5—93	हां

Allotment of Industrial Plots

***930. Shri Kitab Singh:** Will the Minister for Industries be pleased to state the details of criteria laid down for the allotment of Industrial plots in Udyog Vihar, Gurgaon?

उद्योग मन्त्री (श्री लछमन दास अरोड़ा): राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक 2(1) 44—I आई बी—II — 89 दिनांक 26—9—91 द्वारा औद्योगिक प्लाटों के अलाटमैंट बारे पथ

निर्देि ाका जारी की हुई है। इस पथ–निर्देि ाका अनुसार नए औद्योगिक सम्पदा के प्लाटों के प्रका ान के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों को उद्योग विभाग औद्योगिक विकास निगम, हरियाणा भाहरी विकास प्राधिकरण वित्तीय निगम, हरट्रोन के प्रतिनिधियों द्वारा गठित कमेटी में छानबीन की जाती है। यह कमेटी राज्य सरकार द्वारा, या जिस एजेन्सी द्वारा औद्योगिक सम्पदा विकसित की जाती है, के बोर्ड/अथोरिटी द्वारा गठित की जाती है। सम्बन्धित एजेन्सी के सक्षम अधिकारी इस कमेटी की सिफारि ाों के आधार पर प्लाट अलाट करते हैं।

उक्त अधिसूचना के अनुसार रिज्यूम्ड/सरेन्डर प्लाटों की अलाटमैंट सिंगल विन्डो सर्विस की सिफारि ाों पर की जाती है।

उक्त समिति उद्यमकर्ता की सक्षमता, प्रोजैक्ट की उपयोगिता, औद्योगिक सम्पदा की स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए प्रोजैक्ट का निरीक्षण करती है। यह नीति उद्योग विहार, गुड़गांव और अन्य औद्योगिक सम्पदाओं में प्लाट अलाटमैंट के सम्बन्ध में अपनायी जा रही है।

वक्तव्य–

जनस्वास्थ्य मन्त्री द्वारा, ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संख्या 6 संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, yesterday Public Health Minister assured to make a statement with regard to

calling attention motion *No. 6, given notice of by Shri Dhir Pal Singh, M.L.A. regarding non-supply of drinking water in village Munda Khera of Badli Constituency. He may make his statement.

Public Health Minister (Shri Ram Pal Singh Kanwar):

Speaker Sir,

A brief account of the water supply scheme to Badsa & Munda Khera group of 6 villages i.e. Badsa, Munda Khera, Lohat, Dewar khana, Lagarpur and Ismailpur with a total population 10,199 persons is as under:-

Water supply scheme for Badsa & Munda Khera group of 6 No. villages based on a tubewell installed in village Badsa, Tehsil Jhajjar, district Rohtak was commissioned during the year 1979-80 at the service level of 20 Iped which was to be augmented to 40 Iped with one more tubewell. However, in about a year, the quality of water of the tubewell turned brackish. In view of above failure of tubewell, alternative sites for tubewell were located in and around village Kaliawas (District Gurgaon). An estimate amounting to Rs. 28-27 lacs was got approved from the State Sanitary Board during 1987 and the work of drilling of a tubewell at Budhera (near village Kaliawas, district Gurgaon) was taken in hand.

However, after drilling, it was found that the discharge of the tubewell was neither adequate nor it was economical to lay 14000' connecting pipeline for such a low discharge from village Budhera to Badsa. In the meanwhile, a successful deep tubewell of about 1000' depth was got drilled

from the Central Ground Water Board in village Sondhi during 1990 for Badsa and Munda Khera group of 6 No. villages and accordingly an estimate amounting to Rs. 18-75 lacs for this scheme was got approved from the State Sanitary Board during November, 1990 to make this tubewell operational & lay the pipelines. Major work component pipelines from the tubewell in village Sondhi to village Munda Khera, which work has since been completed and water from this tubewell for these six villages is being supplied since 1992. The service level was about 15 Iped with this tubewell.

In view of the service level being inadequate, subsequently two number shallow tubewell were also installed one each in villages Lagarpur and Ismailpur during 1990-91 which were initially supply in Badsa group of 6 number villages. Thereafter the water supply to this Badsa group of 6 number villages has been temporarily split up into the following groups as an interim arrangement till another tubewell for this group is also installed in village Sondhi.

1. Badsa-Munda Khera

Population of these two villages was being supplied water from the tubewell in village Sondhi with a service level of 20 Iped till 14-7-1994 when the supply from this tubewell was discontinued on the verbal request of Sarpanch of village Munda Khera on the group that the water quality had turned brackish and water supply from this tubewell was not acceptable to them. However on chemical analysis of the water quality carried on 7-9-1994 (copy enclosed indicates that water quality is potable.

The number is being sorted out with village Panchayat Munda Khera and in the mean time villagers are drawing water from their own source i.e. Shallow wells & handpumps. However to provide immediate relief to the villagers of Munda Khera & Badsa following steps are being taken.

The Sarpanch of village Munda Khera has assured to arrange land for a shallow tubewell in village Ismailpur in view of the under ground water quality in village Munda Khera being brackish. An estimate for the same amounting to Rs. 5.70 lacs has been prepared. It shall be possible to take up the work in hand only after arrangement of land by the Panchayat and on completion of this work, the per capita supply level in village Munda Khera is likely to be 15 Iped.

As regards village Badsa drilling of a shallow tubewell has already been taken in hand during September, 1994.

2. Lagarpur group

Water supply from this tubewell is being made to village Lagarpur, Lohat and Dewar Khana with a population of 916, 1100 and 957 persons respectively and the present service level to these three villages is 15 Iped.

3. Ismailpur

Water supply to this village is being made from a shallow tubewell installed during 1990-91 and the service level is 20 Iped with a population of 1700.

Further, a shallow tubewell installed by the Panchayat in village Lohat has been taken over by the department and is likely to be commissioned by the end of this month and the service level in these three villages of Lagarpur group is likely to increase from 15 Iped to 25 Iped.

As regards the oubreak of water borne disease, no such complaint has been received so far. Rather, the Health Department has confirmed that no case of any water borne disease i.e. cholera, gastroentirities, jaundice and diahorea has been reported from village Munda Khera.

In order to provide immediate relief to the residents of the vigllage, Goverment will take steps to install handpumps also wherever needed, on a war footing. It will be ensured that the residents of the village do not have to drink unhygenic water and do not incur the risk of any water borne disease as a result thereof.

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय, ने अपनी योग्यता के आधार पर जवाब देने की कोि ा ा की है। इन्होंने अपने जवाब में एक सरपंच का नाम भी द ार्या है और भी बातें बताई हैं। यह गांव ऐसा है जहां पर भूमि के नीचे मीठा पानी नहीं है। मन्त्री जी ने अपने जवाब में यह आ वासन दिया है कि आव यकता पड़ी तो ग्रामवासियों की तुरन्त सहायता के लिये युद्ध स्तर पर हैंड पम्प लगाए जाएंगे। मैं मन्त्री जी से एक छोटी सी बात जानना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने जो जवाब दिया है वह गोलमोल है। वह मेल नहीं खाता। मुझे मन्त्री जी आ वासन दें कि मन्त्री जी वह हैंड पम्प काहं पर लगाएंगे?

श्री राम पाल सिंह कंवरः स्पीकर साहब, मुण्डाखेड़ा गांव में हैंड पम्प जल्दी से जल्दी लगाया जा सकता है लेकिन वहां पर ग्राउंड वाटर ब्रैकि ा है। हमने उस गांव के सरपंच को बार बार यह कहा है कि आप अपने पड़ोस के किसी गांव में जमीन ले कर हमें दे दें। हम वहां ट्यूबवैल लगा देंगे। इस गांव की प्रोब्लम को देखकर हमारा बार बार यह प्रयास रहा है कि डीप से डीप ट्यूबवैल लगाया जाए ताकि गांव के लोगों को पीने के पानी की समस्या दूर की जा सके। पड़ोस के गांव में भी यह कोि ा ा की गई कि अगर वहां पर ग्राउंड वाटर मीठा है तो भौलो ट्यूबवैल लगा कर देखा जाए। लेकिन जब खोद कर देखा गया तो उस गांव का पानी खारा था। इसलिये हमें डीप टयूबवैल लगाने की आव यकता पड़ी। इस समस्या को दूर करने के लिये साथ के किसी गांव में जमीन लेकर वहां पर टयूबवैल लगाने पर बातचीत चल रही है।

श्री धीरपाल सिंहः मैंने यह पूछा था कि हैंड पम्प कहां लगाएंगे।

श्री राम पाल सिंह कंवरः अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में बताया है कि इस समय उस गांव में एक भौलो टयूबवैल और दो हैंड पम्प चल रहे हैं और वहीं से सारा गांव पानी पीने का ले रहा है।

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी को बता देना चाहता हूं कि मैं उसी गांव का रहने वाला हूं, मेरा बचपन वहीं पर बीता है। पीछे बरसात के दिनों में सारा गांव बाढ़ के पानी से घिरा हुआ था और 20–25 दिन तक गांव की बहू–बेटियों को लैटरीन की भी काफी समस्या रही थी। सरपंच ने तो मौखिक बात की है। सोंधी गांव में 18 लाख रुपये की एक स्कीम मैंने तैयार करवाई थी लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद जिस हिसाब से वहां पर पानी का बंटवारा होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। जिस गांव में टयूबवैल लगा हुआ है उस गांव के लोग हमारे गांव में पानी आने देना नहीं चाहते। मैं आपको ईमानदारी से बात रहा हूं कि पिछले एक साल से वहां पर किसी जगह से भी पानी नहीं मिला है। केवल एक भौलो टयूबवैल से और हैंड पम्प से लोग पानी पी रहे हैं। अगर मेरी बात गलत हो, तो आप हाउस के कांग्रेसी मैम्बरों में से 4–5 मैम्बरों की एक कमेटी बना कर भेज दें पता चल जाएगा कि वहां पर कहीं से पानी पहुचा है या नहीं। (विध्न) मन्त्री जी ने तो सिर्फ लिखित जवाब पढ़ा है। इनकी जगह और कोई होता तो उन्होंने भी यही जवाब पढ़ना था। इसलिये मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी?

श्री राम पाल सिंह कंवरः स्पीकर साहब, मेरे साथी ने ठीक कहा कि बरसात के पानी से सारा गांव घिरा रहा। मेरी जानकारी के हिसाब से गांव की आबादी के अन्दर पानी नहीं खड़ा

था। (विध्न) मैंने कहा कि हैंड पम्प लगाकर लोगों के पीने के पानी की दिक्कत को दूर करेंगे क्योंकि गांव की आबादी में पानी नहीं है। इस गांव में अण्डर ग्राउन्ड वाटर खारा है। सरपंच ने हमें वि वास दिलाया है कि दूसरे गांव से जमीन लेकर दे देंगे। जब हमें दूसरे गांव में जमीन मिल जाएगी, तो वहां पर टयूबवैल लगा देंगे।

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, वहां पर रिंग डैम है। (विध्न) ये हैंड पम्प लगाने की बात कर रहे हैं लेकिन वहां पर तो हैंड पम्प लगाना पोसिबल ही नहीं है। उस गांव की आबादी में तो क्या, उसके बाहर भी 5–6 हजार बीघे तक जमीन में कहीं मीठा पानी नहीं है। इसलिये वहां पर हैंड पम्प का कोई सवाल ही नहीं है। वहां पर लोग कच्ची कुईयां खोद कर पीने का पानी लेते थे। उन कुईयों में पहाड़ का पानी घुस गया। इसमाईलपुर गांव में एक भौलो टयूबवैल मैंने लगवा रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि जब तक दूसरा टयूबवैल नहीं लग जाता उस टयूबवैल को बिजली का कनैक ान दिया हुआ है, केवल चालू करना है। आप आदे ा जारी कर दें भााम तक पानी सप्लाई हो जाएगा। टैम्पोरेरी तौर पर काम चल सकता है। पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट की पाईप लाईन वहां से गुजरती है जिसके जरिये से पानी की सप्लाई की जा सकती है।

श्री राम पाल सिंह कंवरः अध्यक्ष महोदय, अगर वहां से पाईप लाईन जुड़ी हुई है, तो जरूर पानी की सप्लाई वहां पर कर देंगे जब तक दूसरा भौलो टयूबवैल नहीं लगवा पायेंगे।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–

राज्य में वि ोशकर जिला फरीदाबाद में आई फ्लू फैलने संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a Calling Attention motion No. 2, given notice of by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. regarding the breaking out of eye flue (Viral Conjunctivitis) amongst the masses of the whole of the State, particularly in Faridabad District. I admit it. Shri Karan Singh dalal may read his notice.

श्री कर्ण सिंह दलालः मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्याव यक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि समस्त प्रदे ा में वि ोशकर फरीदाबाद जिले में आम लोगों में आई फ्लू (वायरल नेत्र ाोथ) नामक आंखों की बीमारी फैल रही है। इस बीमारी से ग्रस्त अधिकतर लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं और फिर रोगी को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इस बीमारी से उत्पन्न समस्या की रोकथाम करने के लिये प्र ाासन से कई बार आग्रह किया गया। परन्तु प्र ाासन ने इस संबंध में अभी तक कोई एहतियाती उपाय नहीं किये हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह सदन में इस संबंध में एक वक्तव्य दें।

वक्तव्य–

स्वास्थ्य मऩी द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव संबंधी

स्वास्थ्य मन्त्री (श्रीमती भाान्ति देवी राठी): आंखों का फ्लू बहुत जल्दी फैलने वाला छूत का रोग है। इसे आमतौर पर ''आंखे आना'' भी कहते हैं।

इस रोग में नेत्र लेश्मा (कंजक्टाईवा–नेत्र के सफेद भाग को ढकने वाली पारद र्शी फिल्म) और पलकों के भीतरी भाग में सूजन आ जाती है।

आंखें लाल होने का रोग अचानक भाुरू हो जाता है। रोग होने के 4–6 घंटे के भीतर यह गम्भीर रूप धारण कर सकता है।

आंखें आने पर रोगी की एक या दोनों आंखों में खुजली होने लगती है। रोग की प्रारम्भिक अवस्था में आंखों में पनीला या पतला सफेद स्राव निकलता है। इसके बाद गाढ़ा सफेद अथवा पीलापन लिये स्राव आंख में जमा हो जाता है। इससे पलकें चिपक जाती है। रोगी को आंखे खोलने में भी कठिनाई होती है। उसे तेज और चमकीला प्रका ा भी सहन नहीं होता। यह बीमारी अपने आप 7–10 दिन के भीतर खत्म हो जाती है।

रोग कैसे फैलता है?

आंखे लाल होने वाला रोग रोगी द्वारा प्रयोग किये गये रूमाल तौलिया तथा बर्तन आदि दूशित वस्तुओं से स्वस्थ

व्यक्तियों में फैल जाता है। यह रोग एक ही अंगुली या सलाई द्वारा कईयों को काजल या सुर्मा लगाने से भी फैलता है महिलाएं कई बार सुर्मा या काजल एक ही अंगुली से अनेक बच्चों के लगा देती है। मक्खियां भी इस रोग का इस्तेमाल करने से यह रोग उग्र हो जाता है।

रोक थाम कैसे?

1. अच्छी व्यक्तिगत सफाई तथा स्वच्छ पर्यावरण इस रोग की रोकथाम के सर्वोतम उपाय हैं।

2. रोगी के इस्तेमाल में आने वाले रूमाल, तौलिये, अन्य वस्त्र और बर्तनों आदि को अन्य व्यक्ति प्रयोग न करें। इन्हें अलग रखें और भली भांति गर्म पानी और साबुन से धो कर धूप में सूखा लें।

3. भीड़ भाड़ से बचें। जिन बच्चों की आंखे आई हों और उन्हें उपचार होने तक स्कूल न भेजें। ऐसा करने से यह रोग बच्चों में नहीं फैल पायेगा।

4. आंखों को तेज रो ानी और चमक से बचाने के लिये गहरे रंग का धूप वाला च मा पहने। रोगी के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला, धूप का च मा न पहनें।

5. जब किसी इलाके या समुदाय में आंखें लाल होने वाला रोग फैला हो तो उसके तालाब या तरण–ताल में न नहायें। आंखों को काफी साफ पानी से दिन में 3–4 बार धोएं।

सिविल सर्जनों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 32,353 आई फ्लू के केसिज का ईलाज किया गया है। जिला वार केसों की संख्या निम्न प्रकार है:–

1	अम्बाला	780
2	भिवानी	1463
3	फरीदाबाद	923
4	गुड़गांव	417 (जी0 एच0 गुड़गांव)
5	हिसार	4053
6	जीन्द	4059
7	कैथल	1000
8	करनाल	1904
9	कुरूक्षेत्र	1453
10	महेन्द्रगढ़	870
11	पानीपत	4089

12	रिवाड़ी	1680
13	रोहतक	3500
14	सिरसा	4760
15	सोनीपत	652
16	यमुनानगर	750
	जोड़	32353

इस बीमारी की रोकथाम के लिए जो पग उठाये गए हैं, वह निम्न प्रकार से हैं:–

1. पम्फलैटस जिला अम्बाला, सोनीपत, कुरूक्षेत्र, कैथल, हिसार, फरीदाबाद द्वारा बांटे गए।

2. स्वास्थ्य ि ाक्षा सारे राज्य में दी गई है।

3. कुछ जिलों में आई फ्लू के कैम्पों का भी आयोजन किया गया।

4. राज्य में दवाईयां बांटी गई।

जिला फरीदाबाद

इस वर्श में आंखों के मरीज जिला फरीदाबाद में देखे गये वह निम्न प्रकार से है:–

अप्रैल	4652
मई	4763
जून	4599
जुलाई	4862
अगस्त	9647

सिविल सर्जन, फरीदाबादनेजो रिपोर्ट भेजी है, उनमें बी0के0 हस्पताल, ई0एस0आई0 हस्पताल ई0 एस0 आई0 एन0 एच0 –3 बल्लभगढ़ तथा पलवल। कन्जैक्टीविटस के 16–8–94 से 12–8–94 तक 923 केस देखें गयें। जिला प्र ाासनिक विभाग इन परिस्थितियों से पूर्णता परिचित है। पम्फलैट जिला भर में बांटे गए जिनमें इस बीमारी से बचाव बारे जानकारी दी गई।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाई की जानकारी के लिये बताना चाहती हूं कियह बीमारी छूत की बीमारी है। इसकी कोई दवाई नहीं है और यह बीमारी सारे हरियाणा में फैली हुई है। अगर कोई आदमी इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के पास से भी गुजर जाए तो वह इससे बच नहीं सकताहै। दूसरे प्रान्तों में भी अनेकों आदमीइससे पीड़ित हैं। जिस आदमी ने स्वच्छ पानी के छींटे लगाए हैं, वही इस बीमारी से बच पाया है। जहां तक डाक्टरों की बात है, अध्यक्ष महोदय, हमारे डाक्टरों की टीम नि चित जगह पर और अनेकों जगहों पर समय पर पहुंची है।

जैसाकि मेरे भाई ने कह दिया कि संक्रामक बीमारी फैल गई है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सिविल हास्पीटलों में जितने भी केस आए हैं, मैं उनकी फिगर दे सकती हूं। प्राईवेट वालों को मुझे पता नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ हैकि इन्होंने ऐसी बात कही है। इनके इस ब्यान से तो हरियाणा के लोगों में जो बात फैली है, वह सच ही साबित होती लगती है कि हरियाणा सरकार ने च मे वालों से कमी ान खाई है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्रीमती भाांति देवी राठीः अध्यक्ष महोदय, ये तो भाी ाम काट कर ले जाने वाली बात भूल गए हैं। मुझे पता था कि कर्ण सिंह दलाल हमारे डाक्टरों पर इल्जाम लगाएंगे इसीलिये मैं अपने साथ सारी डिटेल्ज लेकर आई हूं। यदि कहें तो वह मैं आपको दे देती हूं। (ाोर एवं व्यवधान)

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदी ा नेहरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आज इन्होंने एक बात कही है। इनका नाम कर्ण सिंह दलाल है . . . . . .(ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कर्ण सिंह जी, क्या आपने अभी और कुछ भी कहना है।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इन्होंने जो हमारे गोत के बारे में कहा है उसको एक्सपंज कर दिया जाए। (ाोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह जो आंखों की बीमारी है (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगदी ा नेहराः स्पीकर सर, मैंने तो कर्ण सिंह दलाल के बारे में कहा था। लेकिन मैंने पूरे दलाल गोत के लिये नहीं कहा है। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, नेहरा साहब गलत कह रहे हैं। इन्होंने पूर ''दलाल' गोत के बारे में कहा है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नेहरा साहब ने जो ''दलाल'' गोत के बारे में कहा है, इसको रिकार्ड न किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलालः स्पीकर साहब, जैसे बहन जी ने अपने जवाब में माना है कि यह बीमारी न केवल फरीदाबाद जिले बल्कि पूरे हरियाणा में फैली हुई है। बहन जी ने अपने जवाब में इस बीमारी के फैलने के कारण भी बताएं हैं। इन कारणों में से एक कारण इन्होंने पर्यावरण का भी बताया है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि यह जो प्रदूशण हरियाणा में फैल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग तो पर्यावरण को ठीक रखनेके लिये बार बार इस सदन में भी आवाज उठाते रहे हैं लेकिन सरकार ने

इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। बहन जी ने यह भी बताया कि इस बीमारी के बाद आंखों में से पानी भी निकलता है। अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि यह बीमारी कहां से फैली?

श्रीमती भाांती देवी राठीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहूंगी कि इनको सदन की गरिमा में रहकर ही सम्यता से बोलना चाहिए।

श्री कर्ण सिहं दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह बीमारी कहां से फैलनी भाुरू हुई है, (विध्न) सर आप इनसे कहिए कि ये मेरी बातों को सुनें। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी यह भी बताएं कि जो इ तहार पूरे प्रदे ा में बांटने की बात कही है, इन्होंने ये इ तहार हमारे फरीदाबाद जिले में व पूरे प्रदे ा में किस किस तारीख को बांटे या किस किस तारीख को इन्होंने कम्प लगवाए?

श्रीमती भाांति देवी राठीः अध्यक्ष महोदय, अगर आप कहें तो मैं इनको यह इ तहार दिखा सकती हूं जो हमने सारे प्रदे ा में बांटे हैं। मेरे पास फरीदाबाद जिले में बंटने वाले इ तहार भी हैं। अगर आप कहें तो मैं इनको दिखा सकती हूं। लेकिन मेरा इनसे यह अनुरोध है कि पर्यावरण को बनाये रखने के लिये इनको भाी ाम के पेड़ काटने के बजाए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिएं जैसा कि हरियाणा सरकार का पेड़

लगाने का अभियान भी है। (विध्न) अध्यक्ष महोदय, यह बीमारी फैली है क्योंकि ये स्वयं ही इस बीमारी को गोआ या बम्बई से लेकर आए हैं।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदया जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि बहन जी ने जो अपने जवाब में पर्यावरण की बात कही है कि पर्यावरण के दूशित होने से भी यह बीमारी फैलती है। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो फरीदाबाद जिला है, वहां पर भी पर्यावरण के प्रदूशण की बहुत समस्या है। वहां पर यह प्रदूशण इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा उद्योग लगे हुए हैं। इसलिए मैं पर्यावरण मन्त्री और बहन जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या फरीदाबाद जिले में इस पर्यावरण की समस्या की वजह से ही आंखों की बीमारी फैली है। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार कब तक उन उद्योगों में पर्यावरण के यन्त्र लगवाने का प्रयत्न करेगी ताकि यह बीमारी वहां न फैल सके और वहां का पर्यावरण भी साफ रहे?

11.00 बजे

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव–

लिबर्टी सीड कारपोरे ान द्वारा किसानों को नकली तथा घटिया धान का बीज बेचने सम्बन्धी

Mr. Speaker: Hon. Members, I have received a notice of calling attention notice No. 3 given notice of by Shri

Om Parkash Beri, M.L.A. with which calling attention notice No. 13, given notice of by Shri Ram Bilas Sharma, M.L.A. is also bracketted regarding the reported distribution and sale of adulterated and sub-standard seed ofpaddy by a firm named "Liberty Seed Corporation." I admit it. Shri Om Parkash Beri and Shri Ram Bilas Sharma may please read out their respective notices and concerned minister may make a statement thereafter.

Chaudhri Om Parkash Beri: Sir, I want to draw the attention of this august House towards a matter of urgent public importance regarding the reported distribution and sale of adulterated and sub-standard seed of paddy by a firm named "Liberty Seed Corporation." to the farmers of Haryana and neighbouring Uttar Pradesh, resulting into unbearable loss to their crops. It has been reported in the Newspapers that the siad Karnal based Seed Corporation supplied the adulterated seed of Paddy variety P.R. 103 to the farmers through its authorised distributor named "Haryana Seed Company". The farmers of Haryana State are greatly agitated over this scandal. Both the Principal and its distributor are blaming and levelling allegations against each other for this scandal. The Haryana Seed Company is alleging in writing to its Principal (Liberty Seed Corporation) for deliberately supplying to it the adulterated and sub-standard seed which it further sold to the aggrieved farmers while the Chairman of "Liberty Seed Corporation" is quoted to have alleged in writing that the "Haryana Seed Company" deliberately cheated the farmers by selling sub-standard and adulterated seeds. The department of Agriculture and the administration is tight-

lipped over this highly sensitive issue. I, therefore, request the Government to make a statement in the House.

प्रो0 राम बिलास भार्मा: सर, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्याव यक लोक महत्व तथा हाल ही के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि करनाल की एक बीज कंपनी (लिबर्टी) ने किसानों को नकली तथा घटिया धान का बीज बेचकर घपला किया है। इससे पानीतप, कुरूक्षेत्र तथा करनाल जिलों के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उक्त घपले को लेकर उस इलाके में आन्दोलन चल रहा है। इस नकली बीज के कारण यह इलाका फसल रहित रह गया है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह सदन में इस संबंध में अपनी स्थिति स्पश्ट करे तथा किसानों को उस कंपनी से जिसने उनके साथ घपला किया है, उचित मुआवजा दिलवाया जाए।

वक्तव्य–

कृशि मन्त्री द्वारा, उपरोक्त ध्यानाकर्शण प्रस्तावों सम्बन्धी

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh): Sir, there was a record production of 20.59 lakh tonnes rice in the State in 1992-93. The prospects of Kharif, 1994 are excellent. The estimated area covered under paddy is about 7.50 lakh hectares in the State. The achievement of Production of rice in Kharif, 1994 is likely to exceed the achievement of 1993-94 and there will be a record production of rice in Haryana.

Some reports had appeared in the newspapers that a firm based in Karnal, namely, Liberty Seed Corporation has sold sub-standard and adulterated seed of paddy variety PR-103 to the farmers Immediately, Commissioner and Secretary Agriculture asked the Joint Director Agriculture (Zonal) Karnal to visit the farmers fields and send his report.

Joint Director Agriculture Karnal has reported that the office of the Deputy Director Agriculture Karnal have received complaints from 31 farmers till 13th September, 1994 in respect of paddy seed of variety PR-103 supplied by the Liberty Seed Corporation Gharaunda (Karnal). Deputy Director Agricultural Officer constituted a acommittee to inspect the fields of complainant farmers. The Committee comprised of Sub Divisional Agricultural Officer, Subject Matter Specialist and Sr. Distt. Extension Specialist (Agronomy), Krishi Gian Kendra of Haryana Agricultural University. The said Committee of officers and scientist of the department and the University respectively inspected the fields of the farmers and they have submitted a joint report. Deputy Director Agriculture and Joint Director Agriculture, Karnal alongwith Sub Divisional Agricultural Officers, Karnal also visited the fields. Dr. D.V.S. Panwar, Senior Rice Breeder, Haryana Agricultureal University, Campus Kaul was also associated in these inspections on 12th September. Teams inspecting the fields of PR-103 variety found that the farmers had purchased the seeds of PR-103 variety either directly from the Liberty Seed Corporation Counter or their dealer Haryana seeds Company. It was noted that the original seed was a mixture of off type seeds in PR-103 variety. These off type plants were of many types which differ in duration, grain type and plant

height. The committee has concluded that the farmers may get low price of their produce in the market and their fields would not be vacated because there are off-type plants of long duration.

As stated above, 31 farmers have given their complaints. Total aggregate area is only 283 acres (The total area under paddy is personally inspected 163 acres and given their reports. Some of the farmers met Deputy Commissioner, Karnal who advised them to approach the Consumer Forum. Since the report of the Joint Director has been received only on 13-9-1994, stringent action will be taken against the defaulting dealers/Company. The State Government will extend all help to the farmers in getting suitable compensation from the concerned Company/dealers.

Strict action will also be taken against the officers of the Haryana Seed Certification Agency who have certified this seed of paddy PR-103 variety sold by Liberty Seed Corporation or their dealers.

चौधरी ओम प्रका ा बेरी: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जीम ने अपना रिटन स्टेटमैंट पड़ा है। मैं तो यह कहूंगा कि उन्होंने मैटर को ह ा अप करने की कोि ा ा की है। स्पीकर साहब, 'हरियाणा सींड कम्पनी' और 'लिबर्टी कारपोरे ान' एक दूसरे के खिलाफ ऐलीगे ान लगा रहे हैं। लिबर्टी सीड कारपोरे ान यह कहती है कि हरियाणा सीड कम्पनी ने बाजार से जिसमें नै ानल सीड कार्पोरे ान भी भाामिल है, पैडी का बीज खरीदकर बेचा है, इसलिये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। इसी तरह से हरियाणा सीड

कम्पनी यह कहती है कि उन्होंने लिबर्टी सीड कार्पोरे ान से जो सीड लिया था, वही बेचा है, उन्होंने और कहीं से खरीद नहीं किया। सीड घटिया किस्म का था इसीलिये किसानों की ि ाकायतें आई हैं। किसानों की जो ि ाकायतें थीं और जो उनके बिल्ज थे, उनकी कापियां लिबर्टी सीड कार्पोरे ान को भेजी गई। मैं हाउस की जानकारी के लिये यह भी बताना चाहता हूं कि करनाल में चीफ सीड सर्टिफिके ान औफिसर डिप्टी चीफ सर्टीफिके ान ऑफिसर और सीड सर्टिफिके ान औफिसर ये जो तीन अधिकारी हैं, इनको इसलिये सस्पैंड कर दिया गया कि उन्होंने यह रिपोर्ट दी कि सीड प्रोसैसिंग के जो नार्म्ज हैं, उनको लिबर्टी सीड कार्पोरे ान पूरा नहीं कर रही थी। औफिसर्ज को इस बात का एतराज था कि सीड गलत तरीके से बन रहा हैं। उन्होंने यह कहा कि लिबर्टी सीड कार्पोरे ान की एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के औफिसर्ज के साथ मिलीभगत होने के कारण ऐसा हो रहा है। यह ि ाकायत उन्होंने डायरैक्टर, एग्रीकल्चर को की और उन का प्रोसैसिंग काक काम उन औफिसर्ज ने रोक दिया। उन्होंने यह काह कि नौर्म्ज के मुताबि सीड प्रोसैसिंग होनी चाहिए। ि ाकयत होने पर डायरैक्टर ऐग्रीकल्चर जुलाई के महीने में लिबर्टी सीड कार्पोरे ान के औफिस में आए और जिन औफिसर्ज ने काम को रूकवा रखा था, वह काम भाुरू करवाया। डायरैक्टर ने अपनी सैटिसफैक ान के लिये 'मान' नाम के आदमी को इस बात की तहकीकात करने के लिये लगाया। उस आदमी ने भी चीफ सर्टिफिके ान औफिसर की बात को सही बताया। इसके बावजूद

भी डायरैक्टर ऐग्रीकल्चर और दूसरे औफिसर्ज, लिबर्टी सीड कोर्पोरे ान की मदद कर रहे हैं। जिस कार्पोरे ान की वजह से किसान का बड़ा भारी नुक्सान हुआ, उसी की मदद की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जो कमेटी बनाई गई है, उससे काम चलने वाली नहीं है क्योंकि लिबर्टी सीड कार्पोरे ान का उद्घाटन मुख्य मन्त्री जी ने किया था और औफिसर्ज के दिमाग में यह बात घुसी हुई है कि जो वहां लेाग हैं, वे मुख्य मन्त्री जी के वि वास के आदमी हैं और वे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। स्पीकर साहब, इससे किसान प्रभावित हुए हैं और किसानों का नुक्सान हुआ है इसलिये सदन की एक कमेटी बना दी जाए और वह जांच करे कि नार्म्ज फौला–अप हुए हैं या नहीं हुए हैं। इससे दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा ताकि लिबर्टी सीड कार्पोरे ान/हरियाणा सीड कम्पनी के खिलाफ उचित कार्यवाही की जा सके। दूसरा सवाल यह है कि इस कार्पोरेान ने हरियाणा सीड कम्पनी को या दूसरी कम्पनीज को सीड दिया, उन्होंने क्या कोई केस इस कार्पोरे ान के खिलाफ रजिस्टर करवाया है? क्या इस कार्पोरे ान ने फाउंडे ान सीड की जांच कर ली थी या नहीं यानी फाउंडे ान सीड सर्टिफाइड सीड था या नहीं था?

श्री हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, बेरी साहब तो भाायद रोहतक में पैडी लगाते हैं। पी0 आर0 103 सीड बहुत कम होता है। भाायद उनको यह मालूम नहीं होगा। पता नहीं ये किस बेस

पर यहां पर कह रहे हैं। अडल्ट्रेटिड सीड था पैडी में, सोइंग में, जिससे इनको दूसरी वेरायटी नजर आने लगी। मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह सीड लास्ट ईयर तैयार हुआ था। इस साल नहीं हुआ है। लास्ट ईयर तैयार करने के कारण लोगों के खिलाफ एक ान हुआ। बीज सर्टीफाई करने वाला जो हमारा इंचार्ज था, उसको इन सब बातों को देखना चाहिए था कि वह इस सीड को सटीफाई करते और मोहर लगाते कि आया यह सीड ठीक है या नहीं। यह जो आज यहां पर बातें कह रहे हैं, इनको मैंने पहले भी कहा है कि यह सीड कुछ समय पहले तैयार हुआ था, यह सीड आज तैयार नहीं हुआ है। यह कई महीने पहले का तैयार किया हुआ था और जब सेल में चला गया तो सरकार की ओर से 2 लाख 60 हजार क्विंटल सीड किसानों को दिया गया जिसकी किसानों की ओर से कोई ि ाकायत नहीं थी। लिबर्टी सीड कारपोरे ान एक प्राईवेट संस्था है। उन्होंने ही अपने किसी डीलर के द्वारा यह सीड लोगों को बेचा था। यह खराब नहीं था इसमें केवल मिक्सचर हो गई थी। जैसे अभी रामबिलास भार्मा जी ने कहा कि सीड बीजने पर घास हो गया। मेरे ख्याल में वे बाजरे की बात करते होंगे उनको पता नहीं कि पैडी क्या होती है? (हंसी) यह सीड जमींनेट नहीं हुआ था, सीड खराब था, ऐसा कहा यह दरअसल मिक्स हो गया। किसानों ने इस बीज को बोया। उनकी फसल अच्छी हुई उन्होंने कटाई भी की लेकिन यह क्लेम अव य किया कि इससे उनकी प्रोडक ान में कीम जरूर हुई है। पैदावार में फर्क आया और हमारा खेत डिले हो गया, यह जरूर

क्लेम किया गया। आप लोग मेरी बात को समझने की कोि ा ा करें। यह जो आप बातें कर रहे हैं, यह तो आपकी फिजूल की लड़ाई है। सीड–मिक्स होने पर खेत लेट अव य हो गये (ाोर) आप लोग मजींदार हैं, गेहूं की बिजाई करनाल में कहीं जाकर नवम्बर के महीने में होती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि बेरी जी के इलाके रोहतक में हमने धान का बीज पहुंचा दिया है और जो पुरानी किस्म का व्हीट था, वह बदल दिया है जिसका नम्बर 2329 है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारी सरकार की किसानों के साथ पूरी हमदर्दी है जितनी इस सरकार को महदर्दी है, उतनी आप की सरकार की नहीं थी। हमारे वक्त में किसानों में काफी प्रोसपैरिटी आई है। पहले से ज्यादा किसानों को उनकी जिन्स का अच्छा भाव हमने दिया है। किसानों की फूड–ग्रेनज की प्रोडक ान कितनी बढ़ी ह इस और भी आपको ध्यान देना चाहिए।

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कृशि विभाग ने जो पूरे हिन्दुस्तान की रिपोर्ट आई उसमें द ार्शाया गया है कि प्रोडक ान कम हुई है। कम इसिलए हुई है क्योंकि खाद की कीमतें बढ़ गई है।

श्री हरपाल सिंहः हरियाणा में तो प्रोडक ान बढ़ा है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि सैन्ट्रल पूल में हरियाणा ने कितना अनाज दिया है। मैं आपको बताता हूं कि हमने 46 लाख

टन दिया है। अगर प्रोडक ान नहीं होती तो यह अनाज कहां से जाता। आप अम्बाला से दिल्ली तक पहुच जाएं, आपको कहीं कोई खेत खाली नजर नहीं आता। मैंने बता दिया कि किसानों का जो नुक्सान है, वह हम बिल्कुल बर्दा त नहीं कर सकते। जो किसान के हितों के साथ खिलवाड़ करेगा, उससे सख्ती से निबटा जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। इसलिये आपको चिन्ता नहीं करनी चाहिए। जो बात बेरी जी ने कही थी वह ठीक नहीं है। किसी ने कोई उद्घाटन नहीं किया। हमें मुख्य मन्त्री जी के आदे ा हैं कि किसी की लिहाज नहीं करनी है।

चौधरी ओम प्रका ा बेरीः स्पीकर सर, इस में हरियाणा प्रदे ा का भी नुकसान है। लिबर्टी सीड कार्पोरे ान की जब बिल्डिंग बनी थी, उस समय डांगी जी पी0 डब्ल्यू0 डी0 मिनिस्टर होते थे। उस वक्त इनके पास एक ि ाकायत आई थी कि उन्होंने नै ानल हाई–वे पर 15 मीटर लम्बी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। आपके पास ि ाकायत आई थी कि उसकी इन्कवायरी करवाई जाए, इस वजह से हमें भांका हुई थी।

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, हम इन सब का ईलाज कर देंगे।

श्री अध्यक्षः श्री आनन्द सिंह डांगी।

Prof. Ram Bilas Sharma: Hon'ble Speaker Sir, I have to make one humble submission that you have admitted the Call Attention Motion on a specific matter, then how other

members are allowed to speak? You have called the name of Shri Dangi to speak on this motion, how he can speak on this motion, when you have permitted us on this motion?

श्री अध्यक्षः बीच में डांगी जी का नाम आ गया था, इसलिये मैंने उनको बुलाया है।

चौधरी आनन्द सिंह डांगीः अध्यक्ष महोदय, जो बात बेरी साहब ने कही कि लिबर्टी सीड कार्पोरे ान वालों ने नै ानल हाई वे पर 15 मीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। मैं उस वक्त पी0 डब्ल्यू0 डी0 मिनिस्टर था। मैंने उसकी बाकायदा इन्कवायरी करवाई थी और बाकायदा पैमाई ा करके देखा गया था, उसमें किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी।

प्रो0 राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, माननीय कृशि मन्त्री जी नेअपने जवाब के पेज 3, पैराग्राफ 4 में फरमाया है–

"As stated aboe, 31 farmers have given their complaints. Total aggregate area is only 283 acres."

स्पीकर साहब, जिन 31 किसानों नेकम्पलेंट की थी यह उनका एरिया है। जैसे कृशि मन्त्री ने फरमाया है, ऐसी बात नहीं है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आज के दैनिक ट्रिब्यून में भी इस पर एक सम्पादकीय लेख है। कृशि मन्त्री 31 किसानों की 283 एकड़ जमीन के बारे में जो ि ाकायत है, उसको खुद मान रहे हैं और 163 एकड़ जमीन तो इनके औफिसर्ज ने मौके पर जा कर देखी है। यह ठीक बात है कि मेरे इलाके में चावल नहीं होता। अगर

इनकी एस0वाई0एल0 कैनाल के बनने का काम इसी रफ्तार से चला तो इनका यह ाड़यंत्र है कि ये मेरे इलाके में चावल नहीं होने देंगे। स्पीकर साहब, चौधरी हरपाल सिंह जी तो इस कैबिनेट के बहुत योग्य मन्त्री हैं। इनके टोहाना में चावल से ले कर घोड़े तक, सब कुछ होता है। स्पीकर साहब, हम हरियाणा भर के किसानों से मिलते रहते हैं वे कहते हैं कि जीरी का बीज बहुत ही घटिया था जिसके कारण वहां पर जीरी नहीं हुई है। इन्होंने खुद इस बात को माना है कि वहां पर चावल का जो पौधा है, उसकी किसी की हाईट एक फट की है और किसी की उससे कम की है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वह चावल का पौधा क्या पैदावार देगा? स्पीकर साहब, हमारा कोई हंगामा खड़ा करने का मकसद नहीं है। इस बारे में एक बहुत सम्मानित अखबार ने भी लिखा है। स्पीकर साहब, इस में हरियाणा सीडज डिवैल्पमैंट कार्पोरे ान की एक चिट्ठी है, मैं उसकी दो लाईने पढ़ना चाहूंगा। हरियाणा सीडज डिवैल्पमैंट कारर्पोरे ान ने लिबर्टी सीड्ज कम्पनी के मालिक को चिट्ठी लिखी है कि हरियाणा सीडज डिवैल्पमैंट कारपोरे ान ने आपसे पी0आर0 103 जीरी का बीज खरीदा।

श्री अध्यक्षः आपको यह चिट्ठी किस ने दी है।

प्रो0 राम बिलास भार्माः स्पीकर साहब, यह चिट्ठी हमें वहां के किसानों ने दी है। जो किसान इससे प्रभावित हुए हैं उन्होंने दी है। वहां पर किसान यूनियन का आन्दोलन चल रहा है,

उन्होंनें मुझे दी है। इसके अलावा हम प्रैस के कुछ मित्रों से ले कर आए हैं। स्पीकर साहब, जिस बात से जनहित जुड़ा हो, उसको उठाना हमारा कत्तत्व्य है आखिर हम भी जन प्रतिनिधि हैं। हमारे भी कुछ काम हैं। यह चिट्ठी उन्होंने 1–9–94 को लिखी है। उस चिट्ठी में वह लिखते हैं–आपसे पी0आर0 103 जीरी का बीज लिया था जोकि किसानों को बेचा गया था, जिसमें दूसरे बीज की काफी मात्रा में मिलावट पाई गई है। इस बात को मन्त्री महोदय ने भी अपने जवाब में स्पीकार किया है।

यह उस चिट्ठी में लिखा है, जो हरियाणा सीडज डिवैल्पमैंट कारपोरे ान ने लिबर्टी सीडज कम्पनी को लिखी है। लिबर्टी सीडज कम्पनी के मालिक श्री धर्मपाल गुप्ता ने उसके जवाब में उनको लिखा है–

"It is very much on record that you have also purchased paddy seed of variety PR-103 from the open market."

यानि दोनों कबूल कर रहे हैं कि ओपन मार्किट से आपने जीरी का बीज खरीदा। आज के इंगलि ा ट्रिब्यून ने तो उसका नाम भी दे दिया। उस पत्रकार ने तो कमाल किया। उसने लिखा है कि मि0 सुखबीर सिंह से 90 हजार रुपए का जीरी का बीज खरीद कर आगे किसानों को बेच दिया। वह एक आम किसान है और वह सर्टीफाईड बीज पैदा करता है। यह पूंजी कमाना, मुनाफा कमा करके रात भर में करोड़पति बनना, उस

गरीब किसान की सारी मेहनत पर पानी फेर देता है। स्पीकर साहब, आप किसपन हैं, और पैडी के एरिया के किसान हैं। आप किसान की पीड़ा को जानते हैं और महसूस कर सकते हैं। स्पीकर साहब, जीरी का बीज 8 रुपए प्रति किलोग्राम से लेकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम तक बेचना बड़ा पाप है और इस पाप में ये भी भाामिल हैं। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि उससे दो–तीन जिले प्रभावित हुए हैं, इसलिये उनकी स्पैं ाल गिरदावरी कराएं। अभी भी वह जीरी खड़ी है। किसान आन्दोलन कर रहे हैं। वहां के डी0सी0 किसानों को यह आ वासन दे कर भी आए हैं कि आपको इस सारे नुकसान का मुआवजा दिलवाएंगे इस बात को मन्त्री जी ने अपने जवाब में भी स्पीकार किया है। उससे दो–तीन जिलों के किसान प्रभावित हुए हैं, उनकी स्पै ाल गिरदावरी कराएं और जिस किसान का जितना नुकसान हुआ है, वह उस कम्पनी से दिलवाएं और उस कम्पनी का लाईसैन्स तुरन्त जब्त कर लें ताकि वह आयंदा बीज न बेच सके।

श्री हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, अगर किसानों को कोई नुकसान होता है तो राम बिलास भार्मा को किसानों की जितनी चिन्ता है हमें उससे फालतू चिन्ता है। मैं हाउस को अ योर करता हूं कि हम हरेक किसान को, जिसका जितना नुकसान हुआ है, उसके फील्ड को आईडैंडीफाई करेंगे एक–एक एकड़ को देखेंगे और उनको कम्पनसे ान दिलवाएंगे।

प्रो0 राम बिलास भार्मा: आप उस कम्पनी के लाईसैन्स को तो तुरन्त सस्पैन्ड कर दें क्योंकि उसने हेराफेरी की है।

श्री हरपाल सिहं: स्पीकर साहब, जिन्होंने हेराफेरी की है, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे और आप अगले सै ान में देख लेना कि हमने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है।

प्रो0 राम बिलास भार्मा: आपको उस कम्पनी का लाईसैंस तुरन्त सस्पैन्ड कर देना चाहिए।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो कृशि मन्त्री ने इस बारे में पूरी डिटेल में जवाब दे ही दिया है। इस बारे में मैं इतना बात देना चाहता हूं कि चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो उसको बख्भाा नहीं जाएगा। जो किसान के साथ बीज के मामले में भी खिलवाड़ करे उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे। इससे बुरी बात नहीं हो सकती कि किसानों के साथ बीज के मामले में भी खिलवाड़ किया जाए। इस चीज को हम सहन नहीं करेंगे और सम्बन्धित व्यक्तियों के खिलाफ अव य ऐक ान लेंगे।

ध्यानाकर्शण सूचनायें

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काल अटैं ान मो ान, अम्बाला में जो तेल का डिपो है उसमें मिलावट के बारे में दिया था और आपने कल बताया था कि वह अंडर कंसीडरे ान है। मैं जानना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्षः वह गवर्नमैंट के पास कमैन्टस के लिये भेजा हुआ है। महेन्द्र प्रताप सिंह जी, आप खड़े हैं, क्या जवाब देने के लिये तैयार हैं?

खाद्य तथा आपूर्ति मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह): इस बारे में ये जबानी कुछ कहना चाहें तो मैं मौखिक रूप में ही बताने के लिये तैयार हूं क्योंकि जब इन्होंने कल और परसों इस मामले को रेज किया था तो मैंने पता करवाया है। मैं लिखित में जवाब नहीं दे सकता। चूंकि मो ान अभी एडमिट ही नहीं हुआ है इसलिये जबानी तौर पर अव य कुछ बता सकता हूं क्योंकि इस बारे में एक आध अखबार में भी कुछ आया था। आपने इसको एडमिट नहीं किया है लेकिन लोकहित को ध्यान में रखते हुए इसका जवाब मैं अव य ही देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्षः चौहान साहब, आप अपनी बात जबानी कह दें मिनिस्टर साहब भी जबानी बता देंगे।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहानः ठीक है जी। स्पीकर साहब, 5 सितम्बर को 'दि ट्रिब्यून' में एक बहुत ही हृदय विदारक खबर पढ़ने को मिली। उसके संदर्भ में मैंने एक ध्यानाकर्शण प्रस्ताव दिया था कि अम्बाला में जो इण्डियन आयल का डिपो है, उसमें बड़ी मात्रा में मिलावट की जा रही है। वहां से तकरीबन 50 टैंकर रोज मिकलते हैं। यदि उनमें से एक टैंकर को भी ब्लैक में बेचा जाये तो उसकी कीमत 30 हजार रुपये होती है। इस प्रकार यदि

50 टैंकर ब्लैक में गए हों तो उनकी कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए बैठेगी और इनका सारा असर किसानों के ट्रक्टरों पर व दूसरे वाहनों पर पड़ता है। स्पीकर साहब आप स्वयं किसन हैं और दिक्कत को समझ सकते हैं। पहली बात तो यह है कि वह तेल कन्ज्यूमर्ज को नहीं मिलता। दूसरे वह डीजल और पैट्रोल में मिलाया जाता है जिसकी वजह से किसानों के ट्रैक्टर्ज खराब होते हैं और बसें तथा दूसरी गाड़ियां भी उससे खराब होती हैं। तीसरी बात यह है कि जिन लोगों के ऊपर कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वे लोग कानून को अपने हाथ में ले कर उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। अखबार में यह भी लिखा है कि इस सकैंडल के पीछे डी0एफ0एस0सी0 है जो नाजनैतिक तौर पर सीधे उच्च लैवल पर मिला हुआ है। उसकी वजह से ही यह सकैंडल हुआ है। उसको इसीलिए वहां पर लगाया गया है ताकि वह लाखों करोड़ों का वारा–न्यारा कर सके। (विध्न) अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरी रिक्वैस्ट है कि वहां पर जो फूड एण्ड सप्लाईज का अफसर लगा हुआ है, वही सारा सकैंडल कर रहा है और उसके साथ पुलिस के अधिकारी और ट्रांपोर्टर भी मिल हुए हैं। उनको मुख्य मंत्री जी की भाह मिली हुई है या किसी और मंत्री की भाह है, यह मैं नहीं कह सकता लेकिन अध्यक्ष महोदय आपसे मेरी यह रिक्वैस्ट है कि इस प्रकार का जो अजीब किस्मका सकैंडल हरियाणा में हुआ है, इस को सरकार देखें। गांवों में लोगों को जलाने के लिए मिट्टी का तेल नहीं मिलता लेकिन फूड एण्ड सप्लाईज के अफसर इस बात को सर्टिफाई करते हैं कि तेल बड़े डिस्ट्रियूटर से छोटे

डिस्ट्रिब्यूटर को और फिर वहां से लोगों को ठीक ठाक वितरित हो गया है। यह सारी की सारी कार्यवाही किस प्रकार से हो रही है, अध्यक्ष महोदय, अगर यह वस्तुस्थिति है तो मै। आपके माध्यम से यह रिक्वैस्ट करूंगा कि सरकार इस बारे कड़ा नोटिस ले। जो भी कर्मचारी या अधिकारी, चाहे वह कितने ही उच्च पद पर कार्यरत है या चाहे उसको कितना ही राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है, उसके खिलाफ कार्यवाही करके तेल उन लोगों तक पहुंचाने की कार्यवाही करें जो लोग उस तेल को प्राप्त करने के सही हकदार हैं।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस अखबार की खबर पढ़ कर यह मो ान दिया है और कल इसका जिक्र किया था, आपने उसको अच्छी तरह से सुना और समझा है। इस खबर में एक बात जिसके ऊपर ज्यादा जोर देने की कोि ा ा की गई है उसका केन्द्र बिन्दु यह है, जिस पर इन्होंने अपने मो ान का आधार बनाया है कि एफ0 एण्ड एस0 विभाग का एक अधिकारी मन्त्री जी का नजदीकी है या उसको मुख्यमंत्री जी का संरक्षण/वरदहस्त अधिकारी प्राप्त है। (विध्न) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैं इस बात से इन्कार नही करता हूं कि कहीं पर कमी या विकार नहीं हो सकता। कमी और विकार कहां पर है, क्यों है और कितना है, इस मामले में सवाल इस बात का हनी है। सवाल है, व्यवस्था के अन्दर किसी भी व्यक्ति में या कहीं पर भी

कोई कमी को सरकार कितना महत्व देती है या उसको दूर करने की कितनी भरसक कोि ा ा करती है? स्पीकर साहब, मैं यहां पर इस विशय पर यह बात इसलिये कह रहा हूं कि खबर के पीछे जो मन् ाा है, मैं उसको कलीयर करना चाहता हूं। प्रजातन्त्र में प्रेस का बहुत बड़ा अहम रोल है। माननीय सदस्य की जानकारी इस खबर पर आधारित है। इस खबर को बारीकी से पढ़ा जाए तो पता चल जाएगा कि इसके पीछे कुछ राजनीति है। इसकी कटिंग मेरे पास है। यह खबर ''ट्रिब्यून'' में 5 तारीख को छपी है। इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। इसका जो हैडिंग छपा है, उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि मानों कोई बड़ा भारी सकैंडल हो और इसके साथसाथ मुख्य मन्त्री जी को भी केन्द्र बिन्दु बनाया गया है। डी0एफ0एस0सी0 अम्बाला को मुख्य मंत्री का नजदीकी और वि वासपात्र या उनको वरदस्त प्राप्ति का जिक्र खबर में किया है। इस प्रकार इसमें राजनैतिक उद्दे य अधिक नजर आता है। (विध्न और भाोर)

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, ये पढ़े लिखे होनहार सदस्य हैं। मैं जो कह रहा हूं इनको समझना चाहिए। इन्होंने जो खबर को तोड़ कर दिया है उसमें राजनीतिक बात नजर आती है। इन्होंने इस बात को उठाया है, यह गलत बात नहीं है। उस खबर में जो बात सामने आई है उस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां से 50 टैंकर तकरीबन रोजनिकलते है। अगर हम एक लगाएं तो डेली 6 लाख लिटर तेल बनता है। अध्यक्ष

महोदय, यह मामला माननीय सदस्य हाउस और जनता से जुड़ा हुआ है, जितना तेल वहां से जाता है उसमें से हरियाणा में तो 25 प्रति ात ही जाता है, बाकी हिमाचल पंजाब, यू0पी0 और यू0टी0 में जाता है। यह इण्डियन आयल कम्पी के डिपो से जाता है। हरियाणा के होलसेलर, जहां पर उनकी एलोके ान होती है, ड्राफ्ट द्वारा पेमैंट देकर टैंकर ले जाते हैं। जब यह खबर मैंने पढ़ी तो मैंने मुख्यमन्त्री जी से बात की तो मुख्यमन्त्री जी ने कहा कि इस बात की सच्चाई का पता करें। इसकी हमने डायरैक्टर और डी0सी0 लैवल से जानकारी प्राप्त की है। हम जो बता रहे हैं, वह रिकार्ड के मुताबिक ही बता रहे हैं। जिस ट्रक का जिक्रर इन्होंने किया है, उसकी ए0डी0सी0 महोदय, ने खुद जांच की है। उसका नम्बर भाायद एच0एन0क्यू0 6351 है। यह ट्रक नीलोखेड़ी का है। अध्यक्ष महोदय, हम किसी घटना वि ोश की जांच/जानकारी करते समय रिकार्ड आदि की भी जांच करते है। वैसे तो आमतौर पर रिकार्ड में कमियां रहती हैं लेकिन उस दिन जो ट्रक गए हैं, वे लगभग 20 के करीब गए हैं और हर जिले में रिटेल प्वांयट तक गए हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर जनता की तरफ से कोई ि ाकायत हमारे पास पहुंचे तो हम उसकी तुरन्त जांच व देखभाल करते हैं। लेकिन उनकी तरफ से भी कोई ि ाकायत नहीं पहुंची। जहां तक उस होलसेलर के ट्रक की बात है तो हम ने उस ट्रक को कब्जे में ले लिया है। अतः उपरोक्त के दृश्टिगत मैं यह कह सकता हूं कि इस दिन अम्बाला डिपो से कुछ निकले हुए तेल का 25 प्रति ात हमारे जिला में पहुंचा है। कहीं खुर्द–बुर्द नहीं हुआ है। अब इसके

लिए मैं ज्यादा हाउस में कहना नहीं चाहूंगा और न ही मुझे कुछ कहना चाहिए चूंकि इसकी हम जांच करवा रहे हैं। 75 प्रति ात सप्लाई जिसमें सैन्टर का भी जिक्र आया है, इस बारे में थोड़ी सी और रो ानी डाल दूं। अध्यक्ष महोदय, पंजाब से एक चालान बुक कहीं पर चोरी हुई है। इस चालान बुक के आधार पर एक टैंकर दिल्ली आदि कहीं गया है। हालांकि डिपो के मैनेजर ने इस खबर का डिनायल भी छापा है, अखबार केनामानिगार ने जो मामला प्रका ित किया है कि यह उनके अपने सूत्र व बातचीत पर आधारित है, उसे पूर्णतया सत्य पर आधारित मानना सम्भव नहीं है।

हमारे डायरेक्टर महोदय ने भी अपने स्तर पर इसकी जांच व मालूमात की है। उसके अनुसार पंजाब के किसी होल सेलर की एक चालान बुक दो साल पुरानी चोरी की गयी और उसके आधार पर वह ट्रक डिपो से डीजल लेकर गया है मिट्टी के तेल की इसमें कोई बात नहीं है। उसमें दिल्ली में भेजा दिखाया है जबकि दिल्ली में वह नहीं जा सकते क्योंकि अगर वह दिल्ली में जाएगा तो उसको यहां से माल ट्रांसफर कराना पड़ेगा जिसकी दिल्ली ट्रांसफर कराने की आव यकता नहीं है। यूंकि वहां उक्त आईटम की सप्लाई की आव यकता ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसकी इंक्वायरी हो रही है लेकिन जहां तक पी0डी0एस0 का मामला है तो पिछले दो तीन सालों से गेहूं की, चावल की ओर दूसरे अनाजों की भी पैदावार बढ़ी है। सरदार साहब ने इसके

बारे में बताया है कि इन फसलों की पैदावार बढ़ी है। यह सब किसानों की मेहनत व गवर्नमैंट की प्रो किसान नीति से ही संभव हुआ है। केन्द्रीय सरकार ने भी हरियाणा की इस बात के लिये सराहना की है क्योंकि पंजाब के बाद हरियाणा ने ही केन्द्रीय पूल में सबसे ज्यादा अनाज दिया है। लेकिन धीरपाल सिंह जी कह रहे थे कि इनकी पैदावार नहीं बढ़ी है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह कृशि से संबंधित मामले हैं लेकिन फिर भी मैं इनको बता देता हूं। पता नहीं धीरपाल जी को कहां से आंकड़े मिले हैं जो कि इन्होंने कह दिया कि पैदावार घटी है लेकिन यह रिकार्ड की बात है कि पिछले दो सालों में दे ा में अनाज की पैदावर बढ़ी है। यह पैदावार इसलिये भी बढ़ पायी है क्योंकि पिछले तीन सालों में दे ा में स्थिरता, अच्छी बारि ा और पावर सप्लाई ठीक रही है। केवल चीनी को छोड़कर बाकी सभी फसलों की पैदावार बढ़ी है। हरियाणा की पैदावार भी इन वर्शों में 1.06 लाख टन हुई है।

श्री अध्यक्षः आप प्वायंट पर ही अपनी बात रखिए।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पर ही आ रहा हूं। जहां तक मिट्टी के तेल की बात है जिसका माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे, अध्यक्ष महोदय, आप भी और सारी जनता भी जानती है (विध्न) अध्यक्ष महोदय, अब हमने मिट्टी के तेल और चीनी व पी0डी0एस0 आईटम के लिये डिस्ट्रिक्ट विजीलैन्स कमेटी गठित की है तथा इसके लिये हमने जन जागरण प्रोग्राम भी चलाया है और जहां पर हमें ि ाकायत मिलती है, वहां

मैं स्वयं भी गया हूं तथा सारी जांच करके तदानुसार हमने ऐक ान भी लिए हैं। अरेस्ट भी किया है और कर्मचारी सस्पैन्ड भी किए हैं। मेरे साथी तेल की बात कह रहे थे। मैं इनको बताना चाहूंगा कि सरकार ने पी0डी0एस0 को काफी हद तक सुदृढ़ और चुस्त किया है फिर भी अभी कुछ कमियां हैं। मैं इससे भी इंकार नहीं करता कि कुछ व्यवस्था में भी इनहरैन्ट कमियां हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मिट्टी का तेल हर जिले में न पहुंचता हो। मिट्टी का तेल हर जिले में पहुंचता है। मिट्टी के तेल की सप्लाई संबंधी अनियमितता के बारे में प्रेस के माध्यम से मुझे पता चला है। वहां के सारे रिकार्ड हमने ले लिये हैं और ए0डी0सी0 इंक्वायरी कर रहे हैं। हमारी कोि ा ा यही होगी कि जो दोशी है, उनको सजा मिले चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो। सरकार के लिये तो सारे ही कर्मचारी और अधिकारी अपने हैं। सरकार इनमें कुछ फर्क नहीं करती। इसलिये हमारे पास जैसे ही इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाएगी, हम उसी के मुताबिक कार्यवाही करेंगे। उसमें कोई कमी नहीं होगी। यह मैं सदन को और मानीय सदस्य को भी आ वासन देना चाहूंगा कि जो भी दोशी होगा, उसको सजा जरूर दी जाएगी।

प्रो0 राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, आपने यह एक अच्छी प्रथा कायम की है कि जिस दिन कालिंग अटें ान मो ान आये तो उसको उसी दिन ऐडमिट करके उसका जवाब दिलाया जाए। यह एक अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे

कालिंग अटें ान मो ान के साथ भी ऐसा ही करेंगे। मैंने आज ही एक कालिंग अटें ान मो ान दिया है जो कि यमुनानगर जिले में हरियाणा की सबसे कीमती लकड़ी खैर के काटे जाने के बारे में है। अध्यक्ष महोदय यह लकड़ी हरियाणा के सबसे कीमती पैदा होती है। बहुत बड़ी संख्या में खैर की लकड़ी अवैध रूप में काटी जा रही है। हरियाणा सरकार के जंगलों को खाली किया जा रहा है जिससे सरकार का व हरियाणा का बहुत भारी नुक्सान है। स्थानीय असरदार लोग और यू0पी0 तक के लोग इस अवैध काम में भाामिल है। इस बारे में मैंने काल अटैन्- ान मो न दिया है।

श्री अध्यक्षः यह डिसअलाऊ कर दिया है।

श्री चमन लाल गुप्ता, भूतपूर्व एम0एल0ए0 से सम्बन्धित मामले को उठाना

प्रो0 राम बिलास भार्माः अध्यक्ष महोदय, कैथल में इस सदन के माननीय पूर्व सदस्य श्री चमन लाल गुप्ता के साथ बड़ी ज्यादती हुई थी। मुख्य मन्त्री जी ने बड़ी फिराखदिली से श्री ओ0पी0 गुप्ता सै ान जज की अध्यक्षता में इन्क्वायरी बैठाई थी। उन्होंने रिपोर्ट दी थी और बड़े अथौरिटेटिवली सुजैस्ट किया था, आर्डर दिया था कि चमन लाल गुप्ता के साथ बड़ी भारी ऐट्रोसिटी हुई है। उन्होंने उसमें तीन अफसरों को जिम्मेदार ठहराया था और उनके खिलाफ प्रौसीक्यू ान व अरैस्ट करने की बात कही थी। It is very unfortunate that nothing has been done so far. मुझे

इस संबंध में कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना है। स्पीकर सर, मैं तो एक बात कहता हूं कि फौजी की मुसीबत में फौजी काम आता है, इसी तरह से विधायक की भी एक बिरादरी होती है। चमन लाल गुप्ता जी इस सदन के माननीय सदस्य रहे है।। उनके साथ ज्यादती हुई और उस पर अगर हम कुछ नहीं कर पायेंगे तो यह ठीक नहीं है। मुख्य मन्त्री जी से मैं वि ोश तौर से कहूंगा कि वे कार्यवाही करें।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): जोबात श्री राम बिलास भार्मा जी ने श्री चमन लाल गुप्ता , एक्स एम0एल0ए0 के बारे में कही है, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है। इस पर सरकार कार्यवाही करने जा रही है और रिपोर्ट के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी।

ध्यानाकर्शण सूचनाएं (पुनरारम्भ)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद में जो हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, उसके बारे में मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि वे सदन में वक्तव्य देंगे। जो श्री राम वर्मा का मर्डर हुआ है . . . . . .

श्री अध्यक्ष: इस वक्त ऐसी बात कहने का कोई टाईम नहीं है। कर्ण सिंह जी, आप बैठिए।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक काल अटै- ान मो ान दिया है। और वह यह है कि सरकार ने यह

आदे ा दिया था कि 1991 की जनगणना के आधार पर वार्ड बन्दी की जाएगी। हमारे पलवल की तरफ स्थानीय प्र ाासन 1991 की जनगणना के आधार पर वार्डबन्दी नहीं कर रहा है।

श्री अध्यक्षः यह मो ान आने आज 10 बजकर 27 मिनट पर दी है और आज के लिये हमने चार काल अटैं ान मो ान लगा दिए हैं। आम कायदा यह है कि एक काल अटैं ान मो ान एक दिन में लगता है आप बैठ जाइए। आपका काल अटैं ान मो ान डिसअलाउ कर दिया है।

चौधरी ओम प्रका ा बेरीः अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख को मैंने एक ध्यानाकर्शण प्रस्ताव दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 96 एक्साईज एण्ड टैसे ान इंस्पैक्टरर्ज की अप्वायंटमैंट रद्द की थी . . . . . .

श्री अध्यक्षः यह डिसअलाउ कर दिया गया है।

प्रैस सम्वाददाताओं की चैकिंग/तला ाी पर चर्चा

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, प्र न काल के समय मैंने यह मैं ान किया था कि तीन दिन से प्रैस का अपमान हो रहा है। सी0आई0डी0 के लोग तला ाी ले रहे हैं जबकि पब्लिक रिले ान डिपार्टमैंट के अधिकारी प्रैस वालों को पहचानते हैं, उनकी तला ाी क्यों ली जा रही है?

श्री अध्यक्षः तीन दिन की बात आपने अब कही है, पहले तो नहीं कही थी।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, जब पता लगेगा, तब कहेंगे। सी0आई0डी0 के सबसे बड़े अफसर ने यह तला ाी ली है जबकि उनको प्रैस गैलरी में जाने का कोई अधिकार नहीं है, वे प्रैस लौबी में जा सकते हैं। उनकी तला ाी इस तरह से ली गई, जैसे वे क्रिमीनल हों। स्पीकर सर, पहले तो मैटल डिटैक्टर लगा हुआ है, उससे तला ाी ले ली जाती है और लिफ्ट में जाने से पहले चैकिंग करते हैं। प्रैस लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है, उनके साथ यदि ऐसा व्यवहार किया जाता है तो यह गलत है उन लोगों की अपनी गैलरी है, उनको पास इ ाू किए हुए हैं। अगर कोई भाक वाली बात हो तो लोक सम्पर्क विभाग का आदमी वैरीफाई कर सकता है, उसका कार्ड चैक कर सकते हैं। जब उनको आलरेडी कार्ड द्वारा एंट्री अलाउड है, फिर उनके ऊपर पाबन्दी लगाना, उनको क्रिमीनल की तरह से ट्रीट करना उनके साथ ज्यादती है। स्पीकर साहब, ऐसा बर्ताव करना एक तरह से डेमोक्रेसी का मर्डर हैं आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे टैरेरिस्ट ऐक्टीविटीज होती रही है लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आज तो अमन चैन है। यह अनहैल्दी ट्रेडी ान है। उनकी कलम पर पाबन्दी लगाना प्रैस के साथ अत्याचार है। मिलिटैंट्स तो ए0के0 47 राईफल्ज चलाते थे लेकिन ये लोग तो अपनी कलम चलाते हैं। इनकी कलम पर आपको साईलैंसर नहीं लगाना चाहिए।

ए0के0 47 राइफल्ज को आप चुप करादें तो ठीक है लेकिन इनकी कलम को साईलैंट करना ठीक नहीं है। यह डैमोक्रेसी का तीसरा स्तम्भ है, यह डैमोक्रेसी का मर्डर होगा।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहानः स्पीकर साहब, जो विपक्ष के नेता ने कहा है, वह बिल्कुल ठीक है। अध्यक्ष महोदय, जो प्रैस वाले मुख्य मन्त्री जी को अच्छे नहीं लगते, उनको पास नहीं दिए जाते।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, प्रैस का जितना आदर और सम्मान यह सरकार करती है उतना सम्मान किसी सरकार ने आज तक नहीं किया अब ऐसा नहीं होता, जैसा कि आपकी सरकार में होता था। चाहे वह देवी लाल का राज्य था चाहे चौटाला का राज्य था या किसी और का राज्य था, प्रैस वालों के साथ जितनी ज्यादती, आपके जमाने में होती थी, वह अब नहीं होती। आपको याद होगा कि मेहम में आपने प्रैस वालों की क्या हालत की थी और सिरसा के अन्दर क्या हालत की थी। आप चीप पापुलैरिटी हासिल करने के लिये यह सब कुछ कह रहे हैं ताकि आपके जो काले कारनामें हैं, वे छूप जाएं। सस्ती पापुलेरिटी के लिये आप यह सब कह रहे हैं . . . . . .

प्रो0 सम्पत सिंहः क्या आपके नोटिस में यह बात नहीं आई ?

चौधरी भजन लालः किसी भी प्रैस वाले ने मुझे नहीं कहा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर किसी हरियाणा के ऑफिसर की ज्यादती होगी, तो हम जरूर उसके खिलाफ ऐक ान लेंगे। आपने कहा है कि कोई औफिसर प्रैस गैलरी में आ गया। स्पीकर साहब, कोई भी सीनियर औफिसर जहां तक उसके जाने के लिए कायदा कानून है, वहीं तक वह जाएगा।

प्रो0 सम्पत सिंहः आप इंक्वायरी करवा लें। यह बात प्रैस के लोग कहते हैं।

चौधरी भजन लालः पता कर लेंगे कि कहां तक कोई औफिसर जा सकता है। जहां तक वह जा सकता है, वहीं तक उसे जाना चाहिए। लेकिन प्रैस के साथ इस तरह की हमदर्दी जाहिर करके और प्रैस की सिम्पथी हासिल करने की कोि ा ा करना ठीक नहीं है। प्रैस को जितना आदर और सम्मान इस सरकार ने दिया है, वह सभी लोग जानते हैं।

प्रो0 राम बिलास भार्माः जो कुछ लीडर आफ दि अपोजी ान कह रहे हैं कि प्रैस वालों की तला ाी ली गई और उनके साथ ज्यादती की गई तो क्या मुख्य मन्त्री जी उसकी जांच करवाएंगे?

वाक आउट

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, प्रैस पर जो यह हमला है, हम उसको कन्डैम करते हैं और इज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करते हैं।

(इस समय प्रो0 सम्पत सिंह सहित समाजवादी जनता पार्टी के सभी उपस्थित सदस्य सदन से उठकर चले गए)

प्रैस संवाददाताओं की चैकिंग/तला ाी पर चर्चा (पुनरारम्भ)

एक आवाजः क्या मुख्य मंत्री जी जानते हैं कि प्रैस वालों के साथ कोई ज्यादती हुई है?

चौधरी भजन लालः ज्यादती हुई होती तो वे कहते। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह जो विधान सभा का दायरा है, यह न तो स्टेट गवर्नमैंट के अन्डर आता है और न ही यू0टी0 के अन्डर आता है। यह विधान सभा का दायरा अध्यक्ष महोदय के अन्डर आता है। हमारा जो दायरा है, उसमें यदि किसी अधिकारी की कोई कोताही है, तो उसके खिलाफ हम ऐक ान लेंगे।

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल साफ है कि यह विधान सभा की जुरिस्डिक ान है। विधान सभा की जो जुरिस्डिक ान है, यह आपकी है। यह आ वासन सदन को आपकी तरफ से आना चाहिये था कि एक प्रैस कोरस्पौंडैन्ट के साथ ऐसी ज्यादती हुई है, उसकी आप प्रोपर इंक्वैस्टीगे ान करेंगे,

इंक्वायरी करवाएंगे और उस अधिकारी को सजा देंगे जिसने प्रैस–कोरसपौन्डैन्ट के साथ ऐसी ज्यादती की है। हम यह आ वासन आपकी ओर से सदन में चाहते हैं।

श्री अध्यक्षः साहेबान, इसके लिए एक प्रैस गैलरी कमेटी बनी हुई है। प्रोफैसर सम्पत सिंह जी ने कहा कि यह मामला दो–तीन दिनों से हुआ है, लेकिन हमें न कल किसी ने, न परसों किसी ने और न ही आज किसी ने बताया कि किसी प्रैस कारसपान्डैन्ट के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, न ही किसी प्रैस गैलरी कमेटी के मैम्बर ने हमारे नोटिस में यह बात लाई है। अगर प्रैस गैलरी कमेटी का कोई मैम्बर हमारे नोटिस में लाएगा तो जो दोशी होगा, जांच करके उनके खिलाफ ऐक ान लिया जायेगा।

कथित वि ोशाधिकार भंग का प्र न

चौधरी ओम प्रका ा चौटाला, एम0एल0ए0 द्वारा गलत तथा झूठा ब्यान देने सम्बन्धी

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदी ा नेहरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अहम मुद्दा है जिस पर मैं बोलना चाहता हूं। कल चर्चा के समय यहां सदन में उसी बात पर काफी भाोर भाराबा हुआ और एक बात हमारे सामने आयी और ओम प्रका ा चौटाला के खिलाफ अलजामात भी यहां सब के सामने आये कि उन्होंने घड़ियां चोरी की थी और उन्होंने अपनी सफाई में एक बात बड़े स्पश्ट भाब्दों में कही और हरेक पार्टी के लोगों को, खासतौर पर

सरकार को ही दोशी ठहराया कि सरकार की यह यह कमियां हैं। उन्होंने कहा कि जो मापदण्ड पार्लियामैन्टरी सिस्टम के अनुसार अपनाने चाहियें, वह इस सरकार ने नहीं अपनाये। ऐलीगे ान और काऊंटर ऐलीगे ान के दौरान ओम प्रका ा चौटाला जी ने बड़े ही स्पश्ट भाब्दों में कहा कि जो घड़ियां चोरी की गई थीं उस केस में वे बाइज्जत बरी हुए थे। जो बात उन्होंने कही वह स्पश्ट तौर पर कहीं और कैटेगरीकली कही। दो–तीन बार कहा कि वे बाइज्जत बरी हुए हैं। जो कस्टम का आर्डर है, उसको मैं यहां हाउस के सामने पढ़ना चाहूंगा। स्पीकर साहब, इस को पढ़ने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे। वह इस प्रकार है–

"On 22-10-1978 Shri Om Parkash S/o Shri Devi Lal resident of village Chautala, Tehsil Dhabwali, Distt. Sirsa arrived at Delhi Airport by Japan Airline flight No. JL-461. Shri Om Parkash presented his baggage for Customs clearnace and on being asked by the Customs Officer, he declared that his baggage contained only his used personal cloth, a few stitched cloth and textile. He also stated that besides that one revolver and 25 rounds were booked by him as his un-accompanied baggage which were to arrive subsequently. The baggage presented for customs clearance apart from the goods declared by Shri Om Parkash was found to contain 48 wrist watches, 36 watches strapes, 46 fountain pens/Bal point pens and some misc. goods collectively valued at Rs. 14,750. On the failure of Shri Om Parkash to produce any valid import Licence/C.C.P. the said goods valued Rs. 14,750 were seized under Section 110 of Customs Act, 1962 under a panchnama drawn at the spot."

कई फैक्टस आगे यह देकर कहता है—

"S/Shri Sham Sunder Sardana and Sant Lal in their statements on 28-10-1978 admitted to have left India and to have stayed together with Shri Om Parkash at abroad; but denied to have any concern with the wrist watches and other goods seized from the suit case presented by Shri Om Parkash. In their subsequent letter dated 5-11-1978, they claimed that the seized goods were presented to 'jointly and were their joint property.'

Regarding watches seized in the case it was stated that these were manufactured. . . . . .

इस बारे में सारी बात डिटेल में आ गई है। अब जो रलैवैंट आर्डर है, उस पर मैं आता हूं। उसमें यह लिखा है:—

"The Assistant Collector under his order dated 1-9-1980 and ordered absolute confiscation of goods seized in the case under Section 111(d) and 111(1) of the Customs Act, 1962. He also imposed penalty of Rs. 2,000 on Shri Om Parkash under Section 112 of Customs Act, 1962.

Shri Om Parkash filed an appeal against the order of Assistant Collector of Customs, Delhi Airport, New Delhi to the Appellate Collector of Customs New Delhi. The Appellate collector of customs under his order dated 7-11-1981 modified the order of Assitant Collector, and allowed the appellant Shri Om Parkash to redeem the goods on payment of Rs. 10,000 in lieu of confiscation. The personal penalty was reduced from Rs. 2,000 to 10,000 in terms of the order passed by the Appellate Collector of Customers, New Delhi."

As he himself had admitted yesterday that he had not taken the goods. But Speaker, Sir, my clinching point is that a penalty of Rs. 1,000 was imposed on him and when penalty is imposed, then obviously,

उनको सजा हुई और कल उन्होंने यह भी कहा कि यहां कई ऐसे लोग भी कई हैं जिनके ऊपर ये ये मुकदमे हैं। स्पीकर साहब, मैं हाउस में इस बात को दोहराना चाहता हूं कि श्री आनन्द सिंह डांगी पर अपैक्स कोर्ट ने कॉस्ट डाली थी, न कि पैनल्टी। There is a difference between the cost, penalty and sentence. Obviously, paying is not 'penalty'. Even then he has resigned from the Cabinet. इस तरह की कोई और बात नहीं। पार्लियामैंटरी सिस्टम में जो नार्मज रहने चाहिएं, वे हमने रखे हैं। लेकिन उन्होंने स्पैसिफिकली कहा– ''मैं बा–इज्जत बरी हुआ हूं''। जब उनके ऊपर फाईन या पैनल्टी लगी है, तो वे कैसे बा–इज्जत बरी हुए? The dictionary meaning of the word 'penalty' is 'punishment for breach of law'. तो जब यह सजा और जूर्म है, उसके बावजूद उन्होंने हाउस को गुमराह किया है। उन्होंने हाउस को वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं करवाया, उन्होंने गलत और झूठ बोला है। सामने खम्भे पर लिखा है कि या तो सभा में प्रवे ा न किया जाए, यदि प्रवे ा किया जाए तो सही बात बोलो। झूठ बोलना पाप है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है उन्होंने हाउस को गुमराह किया, गलत बात कही है और स्पश्ट तौर पर इख्लाक के खिलाफ बात कही है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हम उनके

खिलाफ प्रिविलेज मो ान ला रहे हैं। इसलिए आप मुझे उनके खिलाफ प्रिविलेज मो ान मूव करने की इजाजत दें। (ाोर)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, इन्होंने अपनी स्टेटमैंट दे दी, अब आप मुझे बोलने दें। (ाोर)

श्री अध्यक्षः पहले आप उनको मो ान मूव करने दें, उसके बाद आपको भी बोलने का टाईम देंगे।

Chaudhri Jagdish Nehra: Sir, with your permission I want to raise a question of breach of privilege against Shri Om Parkash Chautala that while giving personal explanation before this August House on 14th September, 1994, regarding seizure of watches case under Customs Act, he made a false and wrong statement on the floor of the House that he was honourably acquitted in that case, where as Shri Om Parkash Chautala, now M.L.A., was held guilty under section 111(d) and 111(1) of the Customs Act, 1962. The Assistant Collector of Customs had imposed a penalty of Rs. 2, 000 on Shri Om Parkash Chautala under section 112 of Customs Act, 1962 and the watches were confiscated. It is also brought to the kind notice of this august House that the appeal filed by Shri Om Parkash Chautala was only modified to this extent that the personal penalty was reduced from Rs. 2,000 to Rs. 1,000. The above correct factual position reveals that he has tried to mislead the House by making false and baseless statement based on palpable falsehood, deliberately and knowingly with an ulterior motive to conceal the true facts before this august House.

In view ofthe above, I give the notice of privilege motion to give consent to raise the matter on the floor of the House today and the matter may be referred to the Privileges Committee for submitting its report to the House being a matter of recent occurrence, which requries the intervention of the Assembly.

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of breach of privilege from Shri Jagdish Nehra, M.L.A., Minister for Parliamentary Affairs regarding false and wrong statement made by Shri Om Parkash Chautala on the floor of the House on 14th September, 1994 that he was honourably acquitted in the case of seizure of watches by the Custom Authorities. I give my consent to the raising of this question of privilege and hold the matter proposed to be dicussed in order. As regards his making of statement on this matter, he has done so.

Now, I request those Members, who are in favour of leave being granted to move the motion, to please rise in their seats.

(At this stage, all the ruling party members present in the House rose in their seats.)

Mr. Speaker: As the number of Members who rose in favour of the motion exceeds 15, the leave is granted.

Now, Shri Jagdish Nehra, may move his motion to refer the matter to the Committee of Privileges.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra): Sir, I beg to move-

That the matter regarding false and wrong statement made by Shri Om Parkash Chautala on 14th September, 1994 that he was honourably, acquitted in the case of seizure of watches by Custom Authorities be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of next Session.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the matter regarding false and wrong statement made by Shri Om Parkash Chautala on 14th September, 1994 that he was honourably, acquitted in the case of seizure of watches by Custom Authorities be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of next Session.

प्रो0 सम्पत सिंह (भट्टू कलां): स्पीकर साहब, अभी पार्लियामैंटरी एफेयर्ज मिनिस्टर ने अपनी ब्रूट मैजोरिटी का फायदा उठाकर ऐसे आदमी के खिलाफ प्रिविलेज मो ान लाने की कोि ा ा की है, जिसने कल धड़ल्ले के साथ अपनी बात कही थी। उस बीच ये जवाब भी दे रहे थे। (ाोर व व्यवधान)

Mr. Speaker: Hon. Members are requested not to create interruptions please.

प्रो0 सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, कल उन्होंने बाकायदा सारी बातें साफ की थीं और एक सिंह गर्जना हाउस के अन्दर हुई थी। ये जितने भी सामने बैठे हैं, इनको एक तरह से अगर मैं यूं कहूं कि ये . . . . . की तरह बैठे रहे। आज जब वह भोर हाउस

में बैठा नहीं है तो . . . . (ाोर एवं विध्न) ये सारे कैसे खड़े हो गए।

श्री अध्यक्षः आप सभी बैठिए। (ाोर एवं विध्न)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, प्वायंट आफ आर्डर। प्रोफैसर सम्पत सिंह जी बहुत पुराने मैम्बर हो गए हैं। इनको बहुत सभ्यता से बात कहनी चाहिए। इनका यह कहना कि हम . . . . . की तरह बैठे रहे, रिकार्ड पर नहीं आना चाहिए।

श्री अध्यक्षः यह भाब्द रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी भजन लालः इन्होंने यह कहा कि वह बड़ा भोर है। इस बारे में मेरा कहना यह है कि जब उनके खिलाफ यह प्रिविलेज मो ान लाने का केस टाईप हो रहा था, तो उनको पता लग गया। किसी को पता नहीं लगा कि जाते हुए और भागते हुए किस गली से वह भोर भागा है। ऐसा भोर है जिसके हाथ बड़े भाानदार है और पांव भी बड़े भाानदार है।

प्रो0 सम्पत सिंहः वह कायर नहीं है। . . . (विध्न व भाोर)

चौधरी भजन लालः उस भोर का क्या कोई मुकाबला है? स्पीकर साहब, जो बात हमने उसके बारे में कही है, वह हकीकत में है और रिकार्ड की बात है। क्या उस पर भी ये बोलना चाहते हैं? या तो आप यह कहें कि ये सारी बातें झूठी है। ये

सारी बातें रिकार्ड की हैं। आप यह कहो कि रिपोर्ट झूठी है और वह बाइज्जत बरी हुआ है। (ाोर)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, चलो . . . . भाब्द तो विलोप हो गया है। स्पीकर साहब मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सिंह गर्जना के सामने 'बेचारो' की तरह बैठे हुए थे, दब के बैठे हुए थे। उस समय इनकी . . . । (ाोर एवं विध्न)

चौधरी जगदी ा नेहराः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, ये काफी समय मंत्री भी रहे हैं। सम्पत सिंह का यह कहना कि . . . यह भाब्द तो आजकल गांव में भी लोग नहीं बोलते, लेकिन वे पढ़े–लिखे हैं। इस भाब्द को आप कार्यवाही से निकलवाइए।

श्री अध्यक्षः इन भाब्दों को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

चौधरी जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, कल आपकी इजाजत से बोलते हुए सी0एम0 साहब ने कहा था कि मैं . . . . . . ।

श्री अध्यक्षः श्री जगदी ा नेहरा जो कुछ कह रहे हैं, वह भी रिकार्ड न किया जाये।

चौधरी जगदी ा नेहरा: स्पीकर साहब, यह तो आपने भी माना है . . . . . I am not saying anything. (Noise & Interruptions).

Prof. Sampat Singh: Speaker Sahib, he does not deserve to be a Parliamentary Affairs Minister.

श्री अध्यक्ष: सम्पत सिंह जी, आप मुद्दे पर बोलें।

प्रो0 सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, जब ये ऐसी कोई बात करते हैं तो फिर हम क्या बोलेंगे? क्या यह कोई तरीका है इनका? (ाोर)

Mr. Speaker: Whatever Shri Nehra has said, it will not be recorded.

Prof. Sampat Singh: He does not deserve to be a Parliamentary Affairs Minister. (विध्न) क्या यह कोई बात करने का तरीका है? (ाोर)

(इस समय श्री धीरपाल सिंह जी बोलने के लिए खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष: धीर पाल सिंह जी, आप बैठिए। (विध्न तथा भाोर)

(इस समय विरोधी पक्ष के कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर अपनी अपनी बातें कहते रहे जिससे काफी समय तक कुछ स्पश्ट सुनाई नहीं दिया)

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहेबान, आप सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठिये। (ाोर) I will request the members not to interrupt him. Let Sh. Sampat Singh speak. (Noise & Interruptions.)

चौधरी जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, मैं अपने भाब्द वापिस लेता हूं। (विध्न एवं भाोर)

एक आवाजः जो बात इन्होंने कही है, वह ठीक नहीं है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः उनकी बात पहले ही रिकार्ड से निकाल दी गई है। (ाोर)

बिजली मन्त्री (श्री ए0सी0 चौधरी): स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। चौधरी धीरपाल सिंह जी ने कहा है कि – ''आप हाउस को . . . .. कैसे बना रहे हैं'', यह भाब्द नावाजिब है और पार्लियामैंटरी तथा चेयर की भाान के खिलाफ हैं इसलिए इनको ये भाब्द विदड्रा करने चाहिएं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अगर कोई ऐसी बात है तो वह कार्यवाही में रिकार्ड नहीं की जाएगी। (विध्न) धीरपाल सिंह जी आप बैठ जाएं और इन्हें बोलने दीजिए।

प्रो0 राम बिलास भार्मा (महेन्द्रगढ़): स्पीकर सर, मेरी इस बारे में एक विनती है। स्पीकर सर, कल से सत्ता पक्ष की ओर से अनपार्लियामैंटरी लैंग्वेज उपयोग करने की एक होड़ सी

लगी हुई है। यह औगस्ट हाउस है। अगर यहा पर इस प्रकार की बातें होंगी तो पूरे हरियाणा में क्या कुछ हो सकता है, इसका अन्दाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। स्पीकर सर, श्री जगदी ा नेहरा जी ने कुछ ऐसे भाब्दों का इस्तेमाल किया जो ठीक नहीं है। वे केवल मन्त्री ही नहीं, पार्लियामैंटरी अफेयरज मिनिस्टर भी हैं और यह विभाग उनके पास है।

श्री अध्यक्षः उन्होंने अपनी बात विदड्रा कर ली है।

प्रो0 राम बिलास भार्माः स्पीकर सर, ऐसे नहीं उनको खड़े हो कर अपनी बात को विदड्रा करना चाहिए because it is in bad taste. हम में भी जब कोई कमी होती है, तो आप हमें महसूस करवाते हैं और हम आपके आदे ा को मानते हैं। (विध्न) स्पीकर साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह इस महान सदन का अपमान है। मैं आपसे गुजारि ा करूंगा कि श्रीमान् नेहरा जी से इन भाब्दों को विदड्रा करने के लिए कहें। इससे श्री नेहरा जी की प्रतिश्ठा में कोई कमी नहीं होगी। (विध्न) वे खड़े हो कर इसको विदड्रा करें और इस बात को मानें। इससे उनकी प्रतिश्ठा कम नहीं होगी बल्कि प्रतिश्ठा बढ़ेगी। उनको इस प्रकार की बात भाोभा नही देती इसलिए उन्हें खुद ही इसको विदड्रा करना चाहिए था। (विध्न)

श्री अध्यक्षः उन्होंने पहले ही विदड्रा कर दिया। सम्पत सिंह जी, आप अपनी बात को जारी रखें।

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, सवाल विदड्रा करने का नहीं है, पार्लियामैंटरी अफेयरज मिनिस्टर अनपार्लियामैंटरी भाब्द बोलें, इससे फालतू कोई गलत बात नहीं हो सकती। मेरा तो यह कहना है और ऑब्जर्वे ान है कि he does not deserve to be Parliamentary Affiars Minister. स्पीकर सर, दूसरी बात यह है कि इनकी लैंग्वेज में ही अगर इनको जवाब दिया जाए तो यह अच्छा नहीं होगा। स्पीकर सर, मैंने भी . . . . . वापिस लेकर बात खत्म कर दी थी। इनका भी बात करने का तरीका ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्षः इनके ये भाब्द रिकार्ड न किये जाएं। (विध्न एवं भाोर)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर इन्होंने नोटिस आफ प्रिविलिज देना ही था तो वे कल यहां पर थे तो आप उनको प्रापर इन्फर्मे ान दे सकते थे। कल उन्होंने जो बात कही थी, उसका जवाब वे आज दे देते। दूसरी बात यह है कि अगर इनको यह प्रस्ताव लाना ही था तो आज इनको उसकी इतनी जल्दी क्यों हो रही है। ये उनकी प्रैजैंस में प्रस्ताव लाते? (विध्न एवं भाोर) स्पीकर सर, आप इनका बोलना बन्द करवाइये। (विध्न एवं भाोर) अगर इनका यही तरीका रहा तो हाउस की कार्यवाही नहीं चलेगी। (विध्न)

चौधरी जगदी ा नेहरा: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (विध्न एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष: बार बार इन्ट्र ान हो रही है, यह ठीक नहीं है, आप बैठिए। (विध्न)

प्रो0 सम्पत सिंह: स्पीकर सर, सरकार को चाहिए था कि वह इस प्रस्ताव को उनकी प्रैजैंस में लाती। (भाोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब यह जो इन्होंने बताया है कि इतना उन पर कस्टम लगा है। यह जरूरी नहीं है कि वह फाईनल अथौरिटी है, उससे ऊपर भी अथौरिटी होती है। अध्यक्ष महोदय, अगर ये यहा पर किसी की जुबान बन्द करना चाहें, तो कर सकते हैं क्योंकि ये सत्ता में हैं। लेकिन जब हम बाहर पब्लिक में जाएंगे और ये लोग जुबान बन्द करना चाहेंगे, तो यह नहीं हो सकता। फिर इन्होंने चोरी का इल्जाम लगा दिया। चोरी में तो थैफ्ट केस होता है यह चोरी का केस नहीं था। (भाोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, मैं मुख्य मंत्री जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब यह वाक्या हुआ था तो चौधरी ओम प्रका ा चौटाला जी बाहर से आए थे। उस वक्त हमारे मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल जी बीमार होने की वजह से अस्पताल में एडमिटिड थे और चौधरी भजन लाल जी भी हमारी पार्टी में थे। इन्होंने खुद देवी लाल जी के पास आकर कहा था कि ओम प्रका ा चौटाला आपका लड़का है, और वह बहुत अच्छा है। आप अपना ब्यान वापिस ले लें। मैं ऑन ओथ कह सकता हूं कि

इन्होंने कहा था कि ओम प्रका ा चौटाला बहुत बढ़िया आदमी है और बहुत बढ़िया काम करता है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। यह बात तो ठीक है कि जब चौधरी देवी लाल जी बीमार थे तो मैं उनका हाल–चाल पूछने पी0जी0आई0 गया था और मैंने उनसे कहा कि ओम प्रका ज्ञ आपका बेटा होते हुए भी आप यह कहते हैं कि वह आपका बेटा नहीं है। यह अच्छी बात नहीं है। आपको उसे बेटा मानना ही पड़ेगा, बेटा मानना ही चाहिए। इसमें मैंने क्या गलत बात कह दी? मैंने कोई गलत बात नहीं कही। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि वह बहुत अच्छा आदमी है। मैंने ओम प्रका ा को कभी अच्छा नहीं कहा, न ही वह अच्छा है और न ही अच्छा कहूंगा। मैंने तो देवी लाल जी को कहा किवह आपका बेटा है। ऐसी क्या मु कल है कि चौधरी देवी लाल कह दे कि ओम प्रका ा मेरा बेटा नहीं है। अब उनका एक रणजीत बेटा है। वह कह दे कि देवी लाल मेरा बाप नहीं है। देवी लाल तो भला और भारीफ आदमी है और वह तो फंस गया है। कहां जाए? इसलिए मैंने इनसानियत के नाते कहा था कि बेटा होते हुए उसको मानने से इन्कार न करो।

प्रो0 सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, आज ये बात को तोड़ मरोड़ कर कह रहे हैं। उस वक्त तो इन्होंने यही कहा था कि आप ओम प्रका ा चौटाला के साथ ऐसी बात न करें। वह बहुत ही बढ़िया आदमी है। इन्होंने डिफैन्ड किया था। अध्यक्ष महोदय,

14 हजार की घड़ियों के बारे में कल भी जिक्र किया था। जब भी आदमी बाहर जाता है तो वह कुछ न कुछ वहां से लाता है। ये हपले भी बाहर गए थे और इस बार भी गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जब ये अमरीका गए थे तो वहां के इंडियन्ज की अमरीकन एसोसिए ान के इन्वीटे ान में काफी चर्चा हुई और उन्हीं दिनों में . . . . . । (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायन्ट आफ आर्डर है। अभी जो इन्होंने प्रधान मंत्री जी के बारे में बात कही है, वह कार्यवाही से निकाल देनी चाहिए।

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह ने जो प्रधान मंत्री के बारे में अभी बातें कहीं हैं, वे सब कार्यवाही से निकाल दें।

चौधरी जगदी ा नेहराः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो लैक्चर दे रहे हैं, यह कोई मायने नहीं रखता। हम जो प्रिविलेज मो ान लाए हैं, या तो ये कह दें कि वह गलत है और झूठा है या कहें सही है। तब तो इनकी बात कहने की है। अब ऐसे ही लैक्चर करने का तो काई औचित्य नहीं है। (विध्न)

प्रो0 सम्पत सिंहः मैं यह कह रहा था . . . . . (विध्न)

चौधरी भजन लालः क्या आप बरी होने के कागज दिखाओगे?

प्रो0 सम्पत सिंहः हां, हम कागज दिखा देंगे। (विध्न) आप आज इस प्रिविलेज मो ान को विदड्रा कर लें और हम अगले सै ान में यह कागज दिखा देंगे। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, हाउस के नेता नेअभी यहकहा कि क्या आप जानकारी दोगे। मेरी आपसे एक विनती है कि आप हाउस को कल तक के लिए और बढ़ा दें ताकि हम आपको कल सारे तथ्य लाकर दिखा सकें। मैं सारे हाउस से भी और आपसे भी यही विनती करूंगा कि आप हाउस कल के लिए बढ़ा लें ताकि हम यह सारी जानकारी कल सदन में लेकर आ सकें। आज चौधरी साहब भी यहां पर नहीं है इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम तो आपसे प्रार्थना ही कर सकते हैं क्योंकि हम आप पर दबाव तो नहीं डाल सकते। हाउस में हमारा बहुमत तो है नहीं, इसलिए हम केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं और मैं आ ाा भी करता हूं कि आप मेरी इस प्रार्थना को जरूर स्पीकार करेंगे।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, ओम प्रका ा जी तो अभी यही थे और जैसे ही उनको पता लगा कि उनके खिलाफ प्रिविलेज मो ान आ रहा है तो वह जान बूझ कर चले गए। (ाोर)

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, वे यहां नहीं थे।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, वे यहीं थे। लेकिन अगर एक मिनट के लिए हम इनकी बात को मान भी लें कि वे

यहां पर नहीं थे और कल के दिन तक भी अगर वे साबित नहीं कर सके कि उनके खिलाफ जो जुर्माना हुआ था, वह गलत है और वे बाईज्जत बरी हो गये थे तथा वे इस तरह के कागज ने दे सकें तो फिर ये क्या करेंगे?

श्री धीरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैंने ही आवसे इसके लिए विनती की है इसलिए मैं यह बात आप पर छोड़ता हूं कि आप जो भी मुझे सजा देंगे, उसको मैं मानूगां।

चौधरी भजन लालः आप तो अपनी पार्टी के प्रधान हैं, इसलिए आप बतायें कि जैसा मैंने कहा है, अगर वैसा नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे?

श्री धीरपाल सिंहः तब आप यह मो ान ला सकते हैं।

चौधरी भजन लालः मो ान तो ला रखा है। अध्यक्ष महोदय, अगर ये कल को भी साबित न कर पाएं तो फिर इनको युनानीमसली यह बात माननी होगी कि ये ओम प्रका ा जी को अपना लीडर नहीं मानेंगे और यह कहेंगे कि वे उनके आचरण को कंडैम करते हैं। (ाोर)

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होता कि जिस वक्त आपने यह प्रिविलेज मो ान मूव किया था और रूलिंग पार्टी के माननीय सदस्यगण को बोलने के लिए खड़ा किया था, तो उससे पहले आप हमको बोलने का समय देते। लेकिन यह आपकी मर्जी कि आपने हमें बोलने का समय नहीं दिया। मैं यह

समझता हूं कि जिस तरह से लीडर ऑफ दी अपोजी ान ने काह कि यह जरूरी नहीं कि यह हुक्म आखिरी अदालत होगी। अदालत तो इससे बड़ी भी है और हो सकता है वह वहां से बरी भी हो गया हो। माननीय सदस्य ने भी कहा कि वह बाइज्जत बरी हो गया। (विध्न) अध्यक्ष महोदय हर चीज में प्रिविलेज मो ान लाना और इसको इतना सस्ता बनाना, कोई अच्छी बात नहीं है। मैं यह समझता हूं कि रूलिंग पार्टी को यह प्रिविलेज मो ान ड्राप कर देना चाहिए। इस प्रिविलेज मो ान को लाने में इतनी जल्दबाजी वाली कोई बात नहीं थी, इसे अगल सै ान में भी लाया जा सकता था। उस समय ऐसी कोई रूकावट तो है नहीं। मैं यह समझता हूं कि हाउस में जो बातें कही जाती हैं या जो कुछ भी होता है, उसके लिए हर चीज को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बनाना, कोई अच्छी बात नहीं है। रूलिंग पार्टी की तरफ से भी ऐसी ऐसी बातें कहीं जाती है, जिनका न सर होता है और न पांव होता है। इसलिए मैं लीडर ऑफ दी हाऊस से यही कहूंगा कि वे इस मो ान को ड्राप कर दें। इन बातों में कुछ नहीं रखा है। अगले सै ान में आप यह दोबारा कह देना या फिर पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर कह सकते हैं। वैसे उनको कुछ कहना सुनना तो आता नहीं। अगले सै ान में वे भी इस बात की सफाई दे देंगे और अगर वे सफाई नहीं दे सकें, तब सदन को तो पता चल ही जाएगा। फिर इससे ज्यादा सजा आप उनको और दे भी क्या सकते हैं? इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा किआप इस प्रिविलेज मो ान को विदड्रा कर लें।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर सर, मैटर केवल इतना है कि कल चौधरी ओम प्रका ा चौटाला ने बोलते हुए कहा कि उनके खिलाफ कई आरोप लगे। उन्होंने कहा कि स्मगलिंग का जो मेरे ऊपर ऐलीगे ान है, 48 या जितनी भी घडियां हैं, वे उस केस में बाइज्जत बरी हुए हैं। आज गवर्नमैंट की तरफ से पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर ने एक फैसले की नकल पढ़कर सुनाई। उस नकल से यह जाहिर हो रहा है कि पहले असिस्टैंट कलैक्टर (कस्टम) ने उनके ऊपर दो हजार रुपये की पैनल्टी इम्पोज की। उसे प चात वे अपील में गए। उस अपील में मोडीफिके ान हुई और उनकी इतनी प्रेयर मानी गई कि एक हजार रुपये कम करके, एक हजार की पैनल्टी उन पर रख दी गई। Does it amount to sentence? उसको 'sentence' माना जाए या न माना जाए, यह अगल बात है हालांकि पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर ने बाकायदा उसकी डैफीने ान पढ़कर सुनाई। It amounts to penalty. उसमें माना गया– it is a sentence; it is a punishment. उसके बिनांह पर उनके खिलाफ प्रिविलेज मो ान ले आए। धीरपाल सिंह जी और सम्पत सिंह जी को ऐतराज है कि क्योंकि मैम्बर साहब हाजिर नहीं हैं, इसलिए आज प्रिविलेज मो ान नहीं आना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में रूल्ज ऑफ प्रौसीजर एण्ड कंडक्ट ऑफ बिजनैस नामक किताब के रूल 261–62 में भाायद यह कहीं नहीं लिखा कि जिसके खिलाफ प्रिविलेज मो ान आता है, उसका हाजिर होना जरूरी है। जब हाउस यह महसूस करे कि फलां मैम्बर ने हाउस को गुमराह किया

है, गलतब्यानी की है, असत्य बोला है, तब प्रिविलेज मो ान बनता है और तभी आ सकता है। इनको सटपटाने की आवव यकता नहीं है, उस कलैक्टर के ऑर्डर फाईनल नहीं है। अगर वे बरी हो गए थे, तो प्रैस के सामने सफाई पे ा कर दें, फिर प्रिविलेज मो ान का क्या औचित्य रह जाएगा? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मो ान से कोई फांसी तो लगने नहीं जा रही। सिर्फ ऐलीगे ान ही है और जब वह नकल पे ा हो जाएगी तो ड्रॉप हो जाएगा, इसमें एतराज वाली कोई बात मुझे नजर नहीं आती है।

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं बंसी लाल जी से एक बात कहना चाहता हूं। के0आर0 पुनिया ने इसी सदन में 14 मार्च, 1990 को यह मामला उठाया था, जो उन्होंने बताया। यहां पर यह पो र्न इन्होंने हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया था। बाकायदा ऐलीगे ान लगाया था कि आप पर एक हजार रुपये का जुर्माना हुआ है। मेरी श्री पुनिया से रात को भी बात हुई। वे दिल्ली में हैं। आप भी उनसे बात कर सकते हैं। दूसरे, आपने कहा कि मैम्बर हाजिर नहीं है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी इस हाउस के काफी सीनियर मैम्बर हैं, वे सारी बातों को जानते हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक प्वायंट रेज किया है कि मैम्बर का हाजिर होना जरूरी नहीं है। अगर मैम्बर हाउस के सामने गलत बयानी करे तो हाउस का कर्तव्य बनता है कि उसका नोटिस ले। वे (चौधरी ओम प्रका ा चौटाल) तो यही थे, जब उनको पता लगा तो वे जान बूझकर चले गए। हाउस की जरूरत नहीं है कल आकर वे स्पीकर

साहब हो कागज दिखा दें। स्पीकर साहब, यह हाउस आपको यह अधिकार देता है। वे आपको आकर दिखा दें कि इस आर्डर के तहत वे बाइज्जत बरी हो गये थे तो आप इस मो ान को विदड्रा/ड्राप कर लेना।

चौधरी बंसी लाल (तो ााम): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा और वीरेन्द्र सिंह ने भी कहा कि मैम्बर का सदन में होना जरूरी नहीं है। मैं भी मानता हूं कि सदन में हाजिर होना जरूरी नहीं है। वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रिविलेज कमेटी ने कोई फांसी तो लगानी नहीं। आपने उनको ऐक्सपोज कर दिया, अगर उनके पास कोई सबूत होगा तो पे ा करने की कोि ा ा करेंगे। सवाल तो यह है कि आप प्रिविलेज मो ान को इतना सस्ता क्यों बनाते हो?

चौधरी भजन लालः हाउस को गुमराह किया गया है, इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? वे यहां से गए क्यों? कम से कम यहां बैठे रहते?

लोक सम्पर्क राज्य मन्त्री (श्री सुरेन्द्र कुमार मदान): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के कहने पर आज के दिन को नौन औफिि ायल डे से औफिि ायल–डे में कन्वर्ट किया गया है क्योंकि आज एक अहम मसला जो एस0वाई0एल0 का था, डिस्कस होना था लेकिन मि0 चौटाला हाजरी लगाकर गैर–हाजिर हो गया।

वे जानबूझ कर गैर–हाजिर हुए हैं, इससे अफसोस की बात और क्या हो सकती है?

चौधरी वीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां): अध्यक्ष महोदय, मैं भी पिछले 17–18 साल से इस हाउस से किसी ने किसी भाक्ल में ऐसाि ाएटिड रहा हूं। प्रिविलेज कमेटी को यह हाउस कांस्टीच्यूट करता है और प्रिविलेज का फैसला हाउस का फैसला होता है। मुझे अच्छी तरह याद है, केवल हरिद्वारी लाल के केस को छोड़कर, जिसमें डिसक्वालीफिके ान का मुद्दा था, और उस समय चौधरी बंसी लाल मुख्य मन्त्री होते थे, प्रिविलेज कमेटी ने कोई फैसला नहीं किया। स्पीकर साहब, आपके नोटिस में यह बात आती होगी कि जब भी नया सै ान आता है तो उसकी रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि प्रिविलेज कमेटी को अगले सै ान तक की डेट बढ़ाने का टाईम दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के मुद्दे जल्द से जल्द निपटाए जाने चाहिएं क्योंकि जो लोग झूठ बोलते हैं, गल्त बयानी करते हैं, वे ऐक्सपोज हों। हम जो नए मैम्बर आते हैं, उनके दिमाग में यह बात रहती है कि चाहे कोई कुछ भी बोल ले, चाहे वह रिकार्ड के आधार पर हो या न हो, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता और उसका कोई नोटिस नहीं लेता। विद आल रिस्पैक्ट टू दि कमेटी, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर केसिज का डिस्पोजल जल्दी होगा तो वे लोग जो हाउस में गल्त बयानी करने के आदी हो गए हैं, उनको डर पैदा होगा।

चौधरी जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, चौधरी सम्पत सिंह जी ने जो बात कही . . . . . .

श्री धीपाल सिंहः स्पीकर साहब, जो मि ान ये लेकर आए हैं, अगर यह बात झूठ पाई गई और कोर्ट से सच्चाई का पता लग गया तो इनको क्या सजा होगी? (ाोर एवं व्यवधान) रिकार्ड हम पे ा करेंगे। (ाोर एवं व्यवधान)

चौधरी जगदी ा नेहराः स्पीकर साहब, सम्पत सिंह और वीरेन्द्र सिंह ने यह खद ाा जाहिर किया कि अगर असिस्टैंट कलैक्टर, से कस्टम कलैक्टर को अपील होगी तो फिर क्या होगा? मैंने आज और कोई काम नहीं किया, इसी मुद्दे को स्टडी किया है। स्पीकर सर, 1982 के एक्ट की धारा 128 के तहत यह प्रोवीजन है–

"128-Appeals to Collector (Appeals). – Any person aggrieved by any decision or order passed under this Act by an officer of customs lower in rank than a Collector of Customs may appeal to the Collector (Appeals) within three months from the date of the communication to him of such decision or order . . . . . .

इसका मतलब यह है कि जो ऐग्रीवड पर्सन है, वह कस्टम के कलैक्टर के पास अपनी अपली किसी केस के खिलाफ, दो–तीन महीने के अन्दर–अन्दर कर सकता है। दूसरा मेरा यह कहना है कि चौधरी बंसी लाल जी ने मेरे बारे में यह कह दिया कि इसको कुछ आता जाता है नहीं। मैं उनका पूरा आदर करता

हूं। वे हमारे बुजुर्ग हैं। मैंने कभी उनके बारे में कोई गल्त बात नहीं कही। लेकिन यह जो मैंने पढ़ा है, यह भी चौधरी बंसी लाल जी का ही मंगवाया हुआ था क्योंकि ये उस समय पार्लियामैंट में ऐस्टीमेटस कमेटी के चेयरमैन थे। उसमें लिखा है कि–

"Further information required by the Estimates Committee".

बंसी लाल जी कह रहे हैं कि मैं नासमझ हूं। मगर मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, न ही कहूंगा क्योंकि वे मेरे बुजुर्ग हैं। हमने इन सभी पहलुओं को देखा है क्योंकि कल को अगर कोई गल्त बात हो जाए, तो अच्छा नहीं है। स्पीकर साहब, यह आफर भी मुख्य मन्त्री महोदय से इनको है कि वह कल को या परसों को अगर आपको अपनी डिफैन्स में कुछ दिखा देंगे, तो ठीक है। हमने यह ऐलीगे ान उन पर लगाया था और उन्होंने भी हम पर आक्षेप किया, और भी बहुत सारी बातें हुई। इनके खिलाफ एक जांच नहीं है। इन्होंने सिविल ऐवीऐ ान मिनिस्टर के प्राईवेट सेक्रेटरी, मिस्टर भसीन के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। इसके इलावा भी मेरे पास और मुख्य मन्त्री महोदय के पास भी कुछ कागज थे। स्पीकर साहब, हम इस हाउस की इज्जत करते हैं। इस हाउस के सम्माननीय सदस्यों की भी इज्जत करते हैं। हमने तो कोई ऐसी वैसी बात यहां पर नहीं कही। यह बात बिल्कुल गलत है जैसे कि श्री ओम प्रका ा जी ने कहा कि 'मैं बाइज्जत बरी हुआ हूं।' फिर हमने कागज ढूंढे कि वे यह कैस कह रहे हैं कि वे

बाइज्जत बरी हुए हैं जबकि उनको एक हजार रुपये पैनल्टी के तौर पर देने पड़े। स्पीकर साहब, अगर मै। भी गल्त बोलूं, चौधरी बंसी लाल जी भी गल्त बोलें, ओम प्रका ा जी भी गल्त बोलें तो फिर यह हाउस सिर्फ गल्त बोलने के लिये ही रह गया। इसलिये मेरी आपसे विनम्र विनती है और विपक्ष के भाईयों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो बात यहां पर कहें, वह सही कहें। उल्टा विपक्ष के भाईयों का यह दायित्व बनता था, फर्ज बनता था कि वे कहें कि यह बात आपने गल्त कही है, यह ठीक नहीं है। वह कहें कि अगर किसी से कोई गलत बात बोली गई है, तो ठीक नहीं है। पर वे कहें कैसे? हमने यहां पर कोई गल्त बात की ही नहीं है? (ाोर) इसलिये स्पीकर साहब, हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने जो आफर उनको दी है, वह हमारी पार्टी व हमारी सरकार कस यही स्टैंड है कि यदि ओम प्रका ा जी अपनी डिफैन्स में कल या परसों जब भी वे चाहें, आपको कागज दिखा दें तो ठीक है, हम मान जाएंगे लेकिन इस तरह से गल्त बात कहकर हाउस को गुमराह करना उनके लिये ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्षः नेहरा साहब, आपने जो अभी रेफरैन्स दिये है, उसकी एक कापी हमें रिकार्ड के लिये भिजवा दें।

चौधरी जगदी ा नेहराः ठीक है जी। हम आपको एक कापी भिजवा देंगें

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, आप नेहरा साहब को यह भी निर्दे ा दें कि वे इसकी एक एक कापी सभी मैम्बरान को भिजवा देवें ताकि हम सब भी उसको देख लें। (ाोर)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। (ाोर)

श्री अध्यक्षः सम्पत सिंह जी, आप बोल चुके हैं। एक दफा नहीं, कई दफा बोल चुके हैं। (ाोर एवं व्यवधान) आप क्या कहना चाहते हैं ? (ाोर)

प्रो0 सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मैं बोल रहा था . . . . (ाोर) मैं बोल रहा था और बीच में प्वायंट आफ आर्डर्ज रेज हो गये। (ाोर) मैं तो बोला ही नहीं था। इसलिये मुझे कुछ कहने का अवसर दिया जाना चाहिये। (ाोर)

श्री अध्यक्षः अच्छा बोलिये, आप क्या कहना चाहते हैं। (ाोर) इसके बाद आप नहीं बोलेंगे।

प्रो0 सम्पत सिंहः बाद में क्यों नहीं बोलूंगा सर? (ाोर) अगर ये लोग कोई और प्वायंट रेज करेंगे तो हमें भी बोलना पड़ेगा। (ाोर) स्पीकर सर, दो तीन बातें यहां पर कही गई हैं। नेहरा साहब, चौधरी बंसी लाल जी व वीरेन्द्र सिंह जी की तरफ से कुछ बातें कही गई। जहां तक ऐब्सैन्ट वाली बात का ताल्लुक है कि एक आदमी हाउस में नहींहै तो उस बारे में मेरा यह कहना है कि वे सुबह से यहां पर हाजिर थे और अभी किसी

जरूरी काम से आदमी को कहीं जाना भी पड़ सकता है। (ाोर) एस0वाई0एल0 नहर का जहां तक ताल्लुक है, हम इस बारे में बहुत सीरियस हैं। (ाोर) परन्तु ये हमें यहां पर बोलने नहीं दे रहे हैं। (ाोर) स्पीकर सर, आप इनको आदे ा दें कि वे हमें बीच में न टोकें अगर ये लोग हमें बोलने नहीं देंगे तो हम भी इनको यहां पर बोलने नहीं देंगे। (ाोर) आप स्वयं ही इस बात का फैसला कर लें और इन्हें समझाएं कि वे हमें बीच बीच मे बोलने से न रोकें। (ाोर) मैं एस0वाई0एल0 के सम्बन्ध में कुछ कह रहा था, स्पीकर सर, हमारी पार्टी के सभी मैम्बर साहेबान यहां पर बैठे हैं। हम इस बारे में बड़े ही सीरियस हैं। मैं इज लीडर आफ दा अपोजी ान भी यहां पर बैठा हूं। इनके सामने हम सारी बातें कहेंगे और अगर इनमें कुछ दम होगा तो ये जवाब देंगे। हाउस को यह कहकर गुमराह करना कि फलां केस यहां पर था, इसीलिये वे यहां से चले गये, यह ठीक बात नहीं है। उनको सर, इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। (ाोर) यह सारी बातें मैं इसलिये यहां पर कह रहा हूं क्योंकि ये खुद सारी बातें यहां पर रिकार्ड पर लेकर के आए हैं। बिल्कुल असत्य, मिथ्या और निराधार बातें हैं, जो ये कह रहे हैं। (ाोर) उनको इन सभी बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। अगर इन्होंने इस मुद्द को यहां पर लाना ही था तो जैसाकि कल की बैठक भी लम्बी चली थी, कल ही इस मसले को ला सकते थे। आज सुबह जब वे यहां पर थे, तब भी ला सकते थे लेकिन आज जानबूझ कर, हाउस को गुमराह करने के लिये ये इस मामले को, जबकि वे यहां पर नहीं हैं,

जरूरी काम से कहीं गये हैं, तो ये इस मामले को यहां पर लेकर आए हैं जोकि उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये किताबें लेकर आए है तो मुकाबले में काउंटर किताबें हमने भी लानी है। इसलिए हम इनको कह रहे हैं कि जब ये खुद कहते हैं कि कोई फांसी लगने वाली नहीं है तो फिर इनको इसमें अगले सै ान में लाने में क्या तकलीफ है? एक तो इसमें यह प्वायंट है कि जो इन्होंने पढ़ कर सुनाया कि यह कस्टम डियूटी कोई सजा है या नहीं, यह हमें भी तो पढ़ कर सुनानी पडेगी। एक वकील को सुनना हो, तो यह माना जा सकता है कि उसकी सारी बातें ठीक होंगी लेकिन जब मुकाबले में दूसरा वकील किताबें उठा कर बात करता है तो दोनों पक्ष सामने आते हैं। एक दिन में पूरी तरह से फैसला नहीं होता, लम्बी बात चलती है क्योंकि एक्ट की बातें होती हैं। आज ये इस बात को अचानक लेकर आ गए। इसलिए मैं इनको कह रहा हूं कि अगर ये एक्ट की बात करते हैं तो बाकायदा काउंटर एक्ट हम भी लाएंगे और हम भी डिस्क ान करेंगे। इतने सीनियर लीडर के खिलाफ ये कोई चीज वैसे ही उठा कर ले आएं, यह ठीक नहीं। ये इसको हमारी जुबान बन्द करने के लिए लाए हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने पढ़ कर सुना दिया कि यह फैसला फाईनल होगा। अब ये इनके कागज पत्र हैं, तो वे कागज पत्र हमने भी इनके मुकाबिले में दिखाने हैं। इसलिए स्पीकर साहब, मेरी आपसे प्रार्थना है, इनसे नहीं है, क्योंकि इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है और हम डरने वाले नहीं हैं। मैं आपसे एक हम्बल रिक्वैस्ट करना चाहता हूं

कि अब इनको यह मो ान लाने की क्या आव यकता है? जब फैक्ट्स एंड फिगर्ज इनके पास हैं तो इसको बाद में भी ला सकते थे। ये कह रहे हैं कि कल को कोई बात इस बारे में प्रैस में न ले आए। स्पीकर साहब, उसकी कोई वैल्यू नहीं। जब प्रिविलेज मो न आ जाता है और एडमिट हो जाता है उसके बाद जो मैटर है, that is ceased with the Privilege Committee. अगर प्रैस में कोई ब्यान दे या न दे, उसकी कोई कीमत नहीं है। वह फैक्टस दे दें या न दे दें, चाहे छपवाएं या ना छपवाएं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद तो प्रिविलेज कमेटी की सिटिंग्ज और मिटिंग्ज होती है, उनमें बात चलती है। तो यूं ही गुमराह कर देना कि ये अखबारों में ब्यान दे देंगे तो बात मान लेंगे सही नहीं है। स्पीकर साहब, इस तरह से ये कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। आप कोई भी कानून मुझे दिखा दें कि आज प्रिविलेज कमेटी ने कोई मो ान एडमिट किया है और कल को मैम्बर ने कोई ब्यान दे दिया, फैक्टस के साथ, तो उसके बाद उसको उसी दिन नल एंड वायड मान लिया गया हो। ये अपने घर का कानून बनाने की कोि ा ा कर रहे हैं। स्पीकर साहब, घर का कानून बनाने से बातें नहीं चलेंगी। (विध्न) कमेटी में इसको रखने की जरूरत ही क्या है। (विध्न)

श्री अध्यक्षः आप कोई रीजन की बात हो तो करें, रैपिटी ान करने की जरूरत नहीं है।

प्रो0 सम्पत सिंहः मैं रीजन के साथ ही बात कर रहा हूं। अगर इस तरह से प्रिविलेज मो ान लाने लगेंगे तो यह बात बता दो कि ये जो 60–62 कांग्रेस का अमला बैठा है, इनमे से एक आदमी भी बता दो जो सत्य बोलता है। . . . . .

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। हाउस के सारे मैंबरों के बारे में यह कह देना कि सारे मैंबंर यहां गलत बोलते हैं या गलत ब्यानी करते हैं, इन भाब्दों को आप हाउस की कार्यवाही से निकलवाएं।

श्री अध्यक्षः ये भाब्द रिकार्ड पर न लाए जाएं।

चौधरी भजन लालः हम बाकायदा स्पीकर साब को अधिकार देते है।, एक दिन का नहीं बल्कि यह हाउस 7 दिन तक का अधिकार देता है कि यह मामला 7 दिन तक प्रिविलेज कमेटी को नहीं भेजा जाएगा, यदि 7 दिन में श्री ओम प्रका ा चौटाला और सम्पत सिंह, स्पीकर साहब की तसल्ली करवर दें और स्पीकर साहब यह कह दें कि ओम प्रका ा चौटाला ने रिकार्ड दे दिया है, वह बाइज्जत बरी हो गया है तो यह मामला प्रिविलेज को देने की आव यकता नहीं है। हाउस स्पीकर साहब को यह अधिकार देता है। (थम्पिंग)

प्रो0 सम्पत सिंहः क्या स्पीकर साहब, ऐसा कभी हुआ है? (ाोर) आप मेरी बात सुन तो लें। स्पीकर साहब, हाउस के भी कायदे कानून हैं और हाउस उन कायदे कानून के मुताबिक ही

चलेगा। हाउस यूं ही नहीं कि आप पास कर दो और किसी को फांसी चढ़ा दो। कोई कायदा कानून तो होना चाहिए। स्पीकर साहब, आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज तक कभी भी प्रिविलेज मो ान कंडी ान एडमिट नहीं हुआ। आज आप प्रिविलेज मो ान एडमिट करते हैं और उसके बाद वह प्रिविलेज कमेटी को जाए या न जाए, यह कभी हुआ है? प्रिविलेज मो ान एडमिट होन के बाद ये लोग आपको यह अधिकार नहीं दे सकते। आज तक कभी भी प्रिविलेज मो ान कंडी ानल एडमिट नहीं हुआ है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि ये बिल्कुल असत्य बोलते हैं। यह बिल्कुल बेबुनियाद बात है।

चौधरी भजन लालः ठीक है, फिर आप प्रिविलेज कमेटी के सामने अपना रिकार्ड दिखाना। (ाोर)

प्रो0 सम्पत सिंहः प्रिविलेज मो ान कभी भी कंडी ानल एडमिट नहीं होता। (ाोर)

श्री अध्यक्षः ऐसा है कि House is master of itself यह मो ान पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर की तरफ से आया है और इसको एडमिट करने के लिए कायदे के अनुसार 15 मैम्बर चाहिए। यदि 15 मैम्बर उसके हक में हैं तो वह एडमिट हो जाएगा। अगर यह पास होता हैतो प्रिविलेज कमेटी इसको देखेगी। प्रिविलेज कमेटी में सभी पार्टीज के मैम्बर प्रपो र्निटली करते हैं। उस

कमेटी के सामने अगर वह कोई कागज दिखा देते हैं तो मामला ड्रोप हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। (ाोर)

प्रो0 सम्पत सिंहः यह पहले क्यों न हो, हाउस तो फिर भी बैठना है। (ाोर) ये बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, इसको हम बिल्कुल बर्दा त नहीं करेंगे। (ाोर)

श्री धीरपाल सिंहः ये अपनी ब्रूट मैजोरिटी का फायदा उठा कर लोकतन्त्र की हत्या कर रहे हैं। आप इतने बड़े नेता के खिलाफ इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते। (ाोर)

Mr. Speaker: Question is –

That the matter regarding false and wrong statement made by Shri Om Parkash Chautala on 14th September, 1994 that he was honourably acquitted in the case of seizure of watches by Custom Authorities, be referred to the Committee of Privileges for examination and report by the first sitting of next Session.

The motion was carried.

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion under Rule 15.

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra): Sir, I beg to move-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly, indefinitely.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly, indefinitely.

Mr. Speaker: Question is-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule Sittings of the Assembly, indefinitely.

The motion was carried.

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker: Now, the Parliamentary Affiars Minister will move the motion undr Rule 16.

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra): Sir, I beg to move-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die

Mr. Speaker: Question is-

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die

The motion was carried.

नियम 84 के अधीन प्रस्ताव/नेमिंग आफ मैम्बर्ज/बैठक का स्थगन

श्री धीरपाल सिंहः स्पीकर साहब . . . . . .

श्री अध्यक्षः आप बिना इजाजम से बोल रहे हैं, यह ठीक नहीं। जो सदस्य बगैर इजाजत से बोलगा, वह रिकार्ड न किया जाए।

Prof. Sampat Singh: Speaker Sir, * * * * * * *

(At this stage, some members of the Janata Party came to the well of the House and started raising slogans.)

Mr. Speaker: Shri Chhattar Pal Singh Ji, please take your seat. Let me make it clear. (Noise & Interruptions) Hon'ble Members, the matter regarding Shri Chhattarpal Singh was raised in the House yesterday and I had already given my ruling thereon. (Noise & Interruptions) Therefore, no discussion is allowed on this point. (Noise & Interruptions)

Hon. Members, I have received a notice of motion under Rule 84 from S/Shri Bansi Lal, Om Parkash Beri, Chhattar Singh Chauhan, Karan Singh Dalal, Om Parkash Jindal, Ram Bhajan, Attar Singh, Smt. Janki Devi, S/Shri Om Parkash Sampat Singh, Satbir Singh Kadian, Ramesh Kumar, Krishan Lal, Amar Singh Dhanday, Jai Pal Singh, Mani Ram Rupawas, Suraj Bhan Kajal, Ram Kumar Katwal, Daryao

Singh, Bharath Singh, Balwant Singh, Zile Singh, Mohan Lal Pippal, Dhir Pal Singh and Ram Bilas Sharma, which is as under:-

"That the progress relating to the construction work of S.Y.L. canal be discussed.

Now Shri Bansi Lal may move his motion. (Interruptions).

(इस समय जनता पार्टी के लगभग सभी सदस्य बिना इजाजत के वैल में आ गए तथा वहीं से इक्ट्ठे ही बोलने लगे। इतना भाोर था कि कुछ भी सुनाई नहीं दिया।)

Mr. Speaker: Bansi Lal Ji, you may move your motion.

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, मैं बोलूंगा तब जब मुझे कोई बोलने देगा।

श्री अध्यक्षः आप बोलिए। (ाोर) सारे मैम्बर साहेबान अपनी अपनी सीटों पर जाएं।

(मैम्बर्ज वैल में ही रहे और उन्होंने चेयर के आदे ा की पालना नहीं की)

चौधरी बंसी लालः बोलूं, तभी जब कोई सुनेगा। (ाोर एवं व्यवधान) यह तो आपका फ्रैण्डली मैच है, पहले आप अपने फ्रैण्डली मैच को सुलझा लें।

श्री अध्यक्षः चौधरी बंसी लाल जी, आप बोलिए और अपनी मो ान मूव करें।

(इस समय जनता पार्टी के सदस्यों की तरफ से नारों की आवाजें तथा श्री कृश्ण लाल द्वारा जोर जोर से भाोर मचाना)

Mr. Speaker: Shri Krishan Lal Ji, don't behave like it. (Interruptions & Noise) I name Shri Krishan Lal. He may be taken out. (Interruptions and Noise) Marshal, take him out.

(Shri Krishan Lal continued to defy the Chair and did not stop raising the slogans.)

चौधरी बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, इस मो ान को पास हुए काफी देर हो गई है, अब इस बात को ओवर–रूल करें (ाोर एवं व्यवधान) इतने भाोर में हमें तो कुछ सुनता नहीं। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार कटवालः स्पीकर साहब, आप अपना फैसला . . . . (ाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कटवाल साहब, आप बैठिए, बिना इजाजत से न बोलिए, यह ठीक बात नहीं है। (ाोर एवं व्यवधान)

श्री राम कुमार कटवालः स्पीकर साहब, आप . . . . . (ाोर)

Mr. Speaker: Shri Ram Kumar Katwal is also named. He may please leave the House. (Interruptions)

(इस समय निरन्तर नारेबाजी तथा भाोर– ाराबा होता रहा)

श्री अध्यक्षः मा र्ाल, नेम किए दोनों सदस्यों को सदन के बारह ले जाएं।

आवाजें: हम नेम किए हुए सदस्यों को बाहर नहीं ले जाने देंगे। (ाोर) वाच एण्ड वार्ड स्टाफ को कोई आदमी इनको हाथ न लगाए। (ाोर)

श्री अध्यक्षः आप यह कहने वाले कौन होते हो कि इनको कोई हाथ न लगाए? वाच एण्ड वार्ड स्टाफ की सहायता से मा र्ाल इनको हाउस से बाहर ले जाएं।

श्री रमे ा कुमारः स्पीकर साहब, ये हाउस से बाहर नहीं जाएंगे। (ाोर)

Mr. Speaker: Shri Ramesh Kumar is also named. (Noise & Interruptions) Sergeant-at-arms, take all the named members out of the House.

श्री दरयाओं सिहंः स्पीकर साहब . . . . . (ाोर)

श्री अध्यक्षः श्री दरयाओं सिहं जी, तथा अन्य सभी सदस्य अपनी अपनी सीटों पर चले जाएं। आपका यह तरीका ठीक नहीं है। (व्यवधान व भाोर)

(इस समय कोई भी सदस्य अपनी सीट पर नहीं गया तथा बिना इजाजत से बोलते रहे और भाोर मचाते रहे।)

Mr. Speaker: Shri Daryao Singh is also named. He may please leave the House. (Interruptions and Noise) Marshal, take them all out.

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, एस0वाई0एल0 कैनाल के बारे में पहले काफी विस्तार से डिस्क ान हो चुकी है और बहुत सी बातें जो उठाई गई थी, उनका जवाब हमने दे दिया है, इस पर अब डिस्क ान की आव यकता नहीं। हम इस नहर को जल्द से जल्द बनवाने की कोि ा ा करेंगे। (ाोर) इनके व्यवहार को देखते हुए यही अच्छा है कि अब हाउस को एडजर्न कर दिया जाना चाहिए। (ाोर एवं व्यवधान)

(इस समय काफी देर तक जनता पार्टी के सदस्य हाउस के वैल मे खड़े हो कर नारेबाजी करते रहे और भाोर मचाते रहे)

श्री अध्यक्षः आपका यह तरीका ठीक नहीं है। आपको यह भाोभा नहीं देता (व्यवधान) आपको चेयर के आर्डर्ज को मानना चाहिए। (ाोर)

13.00 बजे

चौधरी भजन लालः स्पीकर साहब, एस0वाई0एल0 पर बहुत डिस्क ान हो चुकी है, एस0वाई0एल0 इनके सामने कुछ भी नहीं है और न ही डिस्क ान की आव यकता है। इस पर बहुत

दफा डिस्क ान हो चुकी है और हमने पूरा जवाब दे दिया है। मैं सदन को यह वि वास दिलाना चाहता हूं कि हम जल्दी से जल्दी नहर को बनवाएंगे और पूरी कोि ा ा करेंगे। (ाोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, इनमें से कोई भी बोलना नहीं चाहता है। इस बारे में और अधिक कहने की आव यकता नहीं है क्योंकि कल भी यमुना नदी के पानी के बंटवारे पर बहस के समय भी एस0वाई0एल0 के बारे में जवाब दिया जा चुका है। (ाोर एवं व्यवधान)

(इस समय श्री अमर सिंह ढाडे, श्री सम्पत सिंह, श्री भरत सिंह, श्री बलवन्त सिंह, श्री धीरपाल सिंह, श्री जयपाल सिंह, श्री जसविन्द्र सिंह, श्री मनीराम दड़बा कलां, श्री सूरज भान ता श्री जिले सिंह ने भी चेयर के आदे ाों की अवहेलना की तथा नेम किये हुए सदस्यों को बारह ले जाने से रोका तथा वाच एण्ड वार्ड स्टाफ को अपनी डियूटी नहीं करने दी)

Mr. Speaker: I nameSarvshri Amar Singh Dhandey, Sampat Sing, Bharath Singh, Balwant Singh, Dhir Pal Singh, Jaipal Singh, Jaswinder Singh, Mani Ram Darba-Kalan, Suraj Bhan and Zile Singh. They may please leave the House. Sargeant-at-arms, please take them out of the House with the aid of Watch & Ward Staff. (Interruptions).

(The Hon. Members did not withdraw from the House and continued speaking without permission and raising slogans. They also prevented the staff to execute the orders of the Chair.)

I have name all the members of the Janata Party, take them out please. (Interruptions).

आनरेबल मैम्बर्ज, जनता पार्टी के सभी उपस्थित मैम्बर्ज को मैंने नेम कर दिया है और यह सब कुछ रिकार्ड में आ जाएगा। (व्यवधान एवं भाोर)

All the members of the Janata Party present in the House should withdraw from the House.

(At this stage pandemonium and turmoil continued in the House.)

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, इन हालात में अगर आप ठीक समझे ंतो हाउस को एडजर्न कर दें। (ाोर एवं व्यवधान)

(At this stage there was continuous raising of slogans and shouting/counter-shouting.)

Mr. Speaker: Now the House stands adjourned sine die.

13.06 hours

(The Sabha then *adjourned *sine die*.)